

**OFFICE OF THE DIRECTOR, STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION &
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, JABALPUR, M.P.**

NAAC द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

Website: www.sisejbp.org,

email: sisejtejbp@gmail.com

Ph: 0761-2625775

No./SISE/2026/NCTE/AFFILIATION/482

DATE: 19/05/2026

To,

The Regional Director,
Western Regional Committee (NCTE),
G-7, Sector-10, Dwaraka
New-Delhi - 110075 INDIA

Sub: Application for affiliation of B.Ed. (Science) & M.Ed. (Science) for session 2026-27.

Ref: WRC/OAPW0977/213012/260th /2016/174918 Dated: 20/10/16.

Respected Sir,

With reference to your letter (WRC/OAPW0977/213012/260th /2016/174918 Dated: 20/10/16.) we are sending you the required documents for affiliation of B.Ed. (Science) & M.Ed. (Science) for session 2026-27.

We have also successfully uploaded the required documents on our website.

Thanking you

- We Request you to kindly mention B.Ed. Science & M.Ed. science in the Affiliation list for our Institute.
- We would also request you to kindly correct the name of our Institute in the affiliation list Published by you

Corrected name to be mentioned in the list

“State Institute of Science Education & College of Teacher Education Jabalpur”

(Copy of the request letter is attached herewith)


संचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक-विशालाहा विद्यालय
जबलपुर
SISE & CTE JABALPUR M.P.

**OFFICE OF THE DIRECTOR, STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION &
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, JABALPUR, M.P.**

NAAC द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

Website: www.sisejbp.org,

email: sisetjbp@gmail.com

Ph: 0761-2625775

No./SISE/2026/NCTE/AFFILIATION/483

DATE: 19/05/2026

✓ To,

The Regional Director,
Western Regional Committee (NCTE)
G-7, Sector-10, Dwaraka
New-Delhi - 110075 INDIA

Sub: 1 – Requisition for inclusion of B.Ed. (Science) & M.Ed. (Science) in your portal.
2 – Requisition for inclusion of college of teacher education with the existing name of the college in your list.

Ref: 1 – Letter of Under Secretary Govt. of M.P. Department of School Education no F 448/2013/20-2 Dated 01/06/2013.
2 – Our Letter no SISE/2024/NCTE/AFFILIATION/1488 Dated 30/04/2024
3 – Letter of Regional Director, NCTE/WRC/M.P./2024/116685 dated 21/03/2014

Respected Sir,

With reference to the above mentioned Letter we are in urgent need to focus your attention on inclusion of B.Ed. (Science) & M.Ed. (Science) in your official portal (NCTE) as well as inclusion of college of Teacher Education with State Institute of Science Education (Reference 1,2)

Further I want to mention that in reference Letter 3 You have already mention B.Ed. (Science) & M.Ed. (Science) in your Corresponding letter.

Regards,

Director

SISE & CTE JABALPUR M.P.
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

Copy to :- 484

- 1- Principal Secretary, School Education Govt, of M.P. Bhopal
- 2- Director, RSK, Bhopal for necessary action.
- 3- Regarding RDVV, Jabalpur M.P.
- 4- Office order file.

Sd/-
संबालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
SISE & CTE JABALPUR M.P.
जबलपुर

Form IV
(See sub-rule (3) of rule 8 of NCTE Rules, 1997)

QUESTIONNAIRE FOR INSPECTION

Inspection of Recognised Institutions
(Under Section 13 of the National Council for Teacher Education Act, 1993)

Digitalized Format for Self Appraisal Report
Year of Appraisal 2025-2026

Profile of the Teacher Education Institution

1. Name of the institution : STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION & COLLEGE OF TEACHER EDUCATION JABALPUR
2. Address for communication : STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION & COLLEGE OF TEACHER EDUCATION P.S.M. CAMPUS JABALPUR
MADHYA PRADESH PIN CODE - 482001
3. Phone No. (with STD Code) : 0761-2623116
4. Fax No. : —
5. E-mail : sisc.jabalpur@gmail.com
6. Date of establishment of the institution: 1966
7. Course(s) offered :

1	2	3	4	5
Name of the course in full	Stage/level	Duration	Year of starting the course	Intake approved
<u>B.Ed. SCIENCE</u>	<u>STATE LEVEL</u>	<u>2YTS</u>	<u>1977</u>	<u>100</u>
<u>M.Ed. SCIENCE</u>	<u>STATE LEVEL</u>	<u>2YTS</u>	<u>1992</u>	<u>50</u>
8. Name of the University/Examining Body to which the institution is affiliated : Rani Durgavati Vishwavidhyala Jabalpur
9. Number and date of the order of the Regional Committee granting recognition/Permission (course wise) : WRC/OAPW/0977/213012/260th
2016/174198 Dt 20.10.2016
B.Ed. Science and M.Ed Science

1,
मंचालक
शिक्षा संस्थान एवं
विद्यापीठ महाविद्यालय
जबलपुर

10. **Mode of selection of candidates**

- | | Yes | No |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| (a) Centralised test at the state level | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (b) Test conducted by the university | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (c) Test conducted by the institution | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (d) Test conducted by an independent agency | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (e) Based on marks obtained in the qualifying examination | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (f) By the management | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

11. **Criteria for admission**

- 50% Fresher and 50% Govt Teacher criteria is based on Percentage of last (B.Sc./M.Sc) Examination*
- | | Yes | No |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) As per NCTE norms | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (b) Norms superior to NCTE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (c) In relaxation of NCTE norms with respect to minimum percentage of marks | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (d) In relaxation of NCTE norms with respect to qualifying course | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (e) In relaxation of special eligibility provisions of NCTE norms such as participation in national/regional/state/university level events | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (f) In relaxation of professional experience | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (g) In relaxation of professional experience and performance in qualifying course | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
- And M. Ed 50% Govt Teacher & 50% fresher criteria is based on Percentage of Bsc. Bed & M.Sc.*

12. **Academic calendar of the outgoing academic session**

- | | | |
|---|-------------|---|
| (a) Start of admission | D D M M Y Y | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 5 2 5 |
| (b) Closure of admission | D D M M Y Y | 0 4 0 9 2 5 |
| (c) Start of teaching | D D M M Y Y | 0 1 0 7 2 5 |
| (d) Last teaching day | D D M M Y Y | 3 0 0 6 2 5 |
| (e) Number of teaching days <i>including all Summer</i> | | 1 8 9 |

(f) Number of days of vacation/break during the academic session

13. Practice Teaching at School

(a) Total number of practicing teaching days

(b) Minimum number of practice teaching lessons given by each student

14. Pre-practice teaching at the institution

(a) Number of pre-practice teaching days (simulated/micro-teaching/any other)

(b) Minimum number of pre-practice teaching lessons given by each student

(c) Total number of demonstration lessons held

15. Examinations

(a) Number of sessional tests held for each paper

(b) Number of assignments for each paper

(c) Date of commencement of annual examination

D D M M Y Y
- - 0 6 2 5

(d) Date of declaration of result

D D M M Y Y
0 7 2 5

(e) Date of submission of dissertation (Post-graduate course)

D D M M Y Y
3 0 0 4 2 5

16. Scheme of examination

(a) External examination only

Yes No

(b) Internal and external examinations

(c) Internal examination only

17. Student support and progression

(a) Number of students who appeared in the final examination

B.Ed Sc 146 + M.Ed Sc 36

(b) Number of students who passed in the examination

On Semester Exam in Jan 25

(c) Number of students who failed in the examination

- (d) Number of students who joined higher studies
- (e) Number of students who took up teaching employment
- (f) Number of students who secured employment through the institution

18. Teaching Resources

- | | Yes | No |
|--|---|--------------------------|
| (a) Principal/Head of the Department is in position | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) Number of teachers employed on full-time basis | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (c) Number of teachers employed on part-time basis | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (d) Number of Guest lecturers engaged | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (e) Number of teachers on regular scale of pay | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (f) Number of teachers on consolidated remuneration | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (g) Number of teachers with qualifications as per NCTE norms | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (h) Number of teachers yet to qualify NET/SLET | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (i) Number of teachers yet to obtain post-graduate degree in education | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |
| (j) Number of teachers without school experience | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> | |

19. Professional Development of Teachers

- (a) Number of teachers who attended in-service courses during the preceding year
- (b) Number of teachers enrolled in part-time post-graduate course in education (M.Ed./M.A.(Education)/M.Phil)
- (c) Number of teachers enrolled in full-time post-graduate course in education (M.Ed./M.A.(Education)/M.Phil)
- (d) Number of teachers enrolled in Ph.D. programme

- (e) Number of teachers who participated in seminars/conferences/workshops
- (f) Number of papers published by the teachers
- (g) Number of teachers who received professional recognition/ awards

20. Land and Building

- | | Yes | No |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Institution functions from its own building | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) Institution functions from a rented building | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (c) Institution building is under construction | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (d) Institution building is shared for running another course(s) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (e) Title of the land is on free-hold ownership basis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (f) Title of the land is on long-lease as per law | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

21. Educational Technology

- (a) Number of computers with supporting accessories
- | | Yes | No |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| (b) Access to Internet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- (c) Number of hands - on experience hours provided to each student per week
- (d) Number of education related CD-ROMs available
- (e) Number of education related video-cassettes available
- (f) Number of education related audio-cassettes available
- | | Yes | No |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| (g) Website of the institution | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (h) Availability of LCD projector | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- (i) Availability of OHP
- (j) Availability of TV
- (k) Availability of VCR
- (l) Availability of public-address system

22. Library resources

- (a) Number of books in the library
- (b) Number of books added to the library during the preceding year
- (c) Total Number of educational journals/periodicals being subscribed
- (d) Number of encyclopaedia available in the library
- (e) Number of books available in the reference section of the library
- (f) Total seating capacity in the library

23. Sports and Physical Education Resources

- | Institution has | Yes | No |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Playground (football/hockey etc.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (b) Playground (football/hockey etc.) of another institution on sharing basis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) Gymnasium/Multipurpose hall | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (d) Facilities for gymnasium | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (e) Facilities for athletics | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| (f) Facilities for Health Education | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (g) Facilities for Anatomy Lab | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

(h) Facilities for Physiology Lab

	✓
--	---

Organisation and Management

24. Institution is

Yes	No

(a) Government owned

✓	
---	--

(a) Aided

	✓
--	---

(b) Unaided

-	-
---	---

(c) University Department

-	-
---	---

25. (a) Minimum emoluments (basic pay and allowances) paid to teachers on regular appointment is

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

(b) Minimum emoluments (basic pay and allowances) paid to teachers on adhoc service is

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

(c) Minimum consolidated remuneration paid to teachers is

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

(d) Per lecture honorarium paid to guest lecturers is

-	-	-
---	---	---

26. (a) Salaries are paid in cash

Yes	No
	✓

(b) Salaries are paid through account payee cheque

✓	
---	--

27. (a) Salaries are disbursed each month

Yes	No
✓	

(b) Teachers are paid salary for the vacation period

✓	
---	--

Expenditure and Receipts

28. (a) Salaries paid to teaching staff during the preceding financial year

3	5	2	1	1	1	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

(b) Salaries paid to non-teaching staff during the preceding financial year

7	9	2	2	3	5	5	-
---	---	---	---	---	---	---	---

संचालक

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
उच्च शिक्षा विभाग
जबलपुर

- (c) Amount spent on utilities during the preceding financial year
- (d) Amount spent on purchase of books and journals for the library during the preceding financial year
- (e) Amount spent on purchase of equipment during the preceding financial year
- (f) Amount spent on purchase of furniture during the preceding financial year
- (g) Amount spent on capital expenditure during the preceding financial year
- (h) Amount spent on contingencies during the preceding financial year
29. (a) Amount carried forward from the previous financial year
- (b) Receipts from fees (tuition and all other fees) during the preceding financial year
- (c) Receipts from donation during the preceding financial year
- (d) Receipts from consultancies and extension programmes during the preceding financial year
- (e) Amount of grants received from the governments during the preceding financial year
- (f) Income from investments during the preceding financial year

30. Excess of expenditure over income

Yes No

Amount of excess expenditure over income.

31. The institutional accounts of the preceding financial year have been audited

Endowment fund and Reserve Fund

32. (a) Amount of Endowment fund

(b) Amount of Reserve fund

(c) Endowment fund is maintained jointly with NCTE

Yes	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

33. Resume of the institution

Brief appraisal of the overall performance of the institution during the preceding academic session and plans for future development may be given.

(Signature of the Head of the Institution/Principal)


राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

(Signature of the Manager/Secretary of the Society/Trust)

List of documents

1. Academic calender of activities of the preceding session.
2. Copy of time-table of the preceding sessions.
3. Staff profile (Proforma-1)
4. List of practicing school
5. Details of fee structure (proforma2)
6. Details of salary disbursement (proforma 3)
7. Copies of FDRs towards maintenance of Endowment and Reserve funds
8. Receipt and Expenditure statement account for the preceding financial year with auditors certificate

Note : All the documents are to be signed by the Principal / Management.


राचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
गंत्रालय
वल्गम भवन, भोपाल-462 004

आ द श

भोपाल दिनांक / /06/2013

क्रमांक एफ 44-8/2013/20-2 :: राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं का उन्नयन किया जाता है, उन्नयन पश्चात् संस्थाओं के नाम निम्नानुसार होंगे :-

स.क्र.	वर्तमान संस्था	उन्नयन पश्चात् परिवर्तित नाम
1.	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर
2.	जिला स्त्रोत केन्द्र, हरदा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हरदा
3.	जिला स्त्रोत केन्द्र, श्योपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्योपुर
4.	जिला स्त्रोत केन्द्र, उमरिया	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उमरिया

2/ उक्त संस्थाओं के उन्नयन की स्वीकृति भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के टीचर एजुकेशन एग्जैम्पल बोर्ड (T.E.A.B) की बैठक दिनांक 15/10/2012 के अनुमोदन के क्रम में प्रदान की जा रही है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
उक्त आदेशानुसार

(श्री एस. डी. डी.)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा क्र. एफ 44-8/2013/20-2

भोपाल दिनांक / /06/2013

प्रतिनिधि :-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कैम्पस भवन, नई दिल्ली।
4. उप कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, म.प्र।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. महालेखाकार, ग्वालियर, म.प्र।
7. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (पश्चिम क्षेत्रीय समिति) इ.प्र.मं. वि.सं. भोपाल जी.ओ.र.सं.नाथ।

राज्यालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

बेटी है तो कस्त है

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(सरकार का एक विधिक संस्थान)
पश्चिम क्षेत्रीय समिति



National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
Western Regional Committee

पत्र क्र.प.क्षे.स./म.प्र./2014/116685

दिनांक 21.3.14

प्रति,

कार्यालय संचालक,
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
जबलपुर।
मध्यप्रदेश।

विषय: राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में।

संदर्भ: प.क्र./एन.सी.टी.ई./2013/5573 दिनांक 05.12.2013।

महोदय,

उपर्युक्त पत्रांतर्गत अवगत कराया जाता है, कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल कार्यालय द्वारा संदर्भित संस्था को 14.10.1998 में पाठ्यक्रमों बी.एड.(साइंस) 100 सीटों एवं एम.एड. (साइंस) 20 सीटों के संचालन हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। जिसकी मान्यता आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

संस्था के एम.एड. (साइंस) पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में पत्र क्रमांक WRC/OAPW0977/213012/NAAC/2013/109878,79 dated 06.11.2013 द्वारा एनसीटीई रेग्यूलेशन 2009 के क्लॉज 8(5) के हवाले से जानकारी दी गई है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्न:- पत्र क्रमांक WRC/OAPW0977/213012/NAAC/2013/109878,79 dated 06.11.2013

Shri. A. Tiwari
to Smt. Johnson
24/3/14

भवदीय
(सुनील श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय निर्देशक

8226
24-3-14

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष / Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372, फेक्स / Fax: 0755-2660912

E-mail: wrc@ncte-india.org Website: www.nctewrc.co.in

NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org

No. WRC/OAPW0977/213012/260th/2016 / 174918

Date: 20-10-16

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4

Revised Order

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. And whereas, the **STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION, JABALPUR, MADHYA PRADESH** by affidavit dt. 08.08.2016 has consented to come under new Regulations and sought for two basic units in B.Ed. which require additional facilities

3. And whereas, the matter was placed in **260th Meeting held on October 13-15, 2016** of WRC and the Committee decided that "... Show Cause Notice was issued 28/07/2016 for not submitting Affidavit to abide by the NCTE Regulations, 2014. The institution has submitted the Affidavit on 08/08/2016.

The WRO to issue Revised Order."

4. And whereas, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely,

- The institution shall identify/select the full component of the faculty/staff, as per NCTE Regulations, 2014, and approval of the affiliating body be obtained and the same may be conveyed to the Western Regional Committee in the prescribed manner and in the prescribed proforma, giving details of qualification and experience of the Faculty/Staff selected alongwith the letter of approval of the affiliating body by that date.
- The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, as per Regulations, 2014 and inform the Regional Committee with required documents such as certified
- copy of registered land documents, Certificate for Land Use (CLU), copy of approved Building Plan (BP) and Encumbrance Certificate (EC) in proof of having the additional facilities, before May 30, 2016. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can be given to the Visiting team at the time of inspection.
- In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institutions shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Western Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. Now therefore, in the light of the above and in accordance with the **NCTE Regulations, 2014, the Western Regional Committee (NCTE) hereby issues the revised recognition order to State Institute of Science Education, Jabalpur, Madhya Pradesh for conducting B.Ed programme of two years duration with an annual intake of 100 students (two basic units of 50 students each) from the academic session 2016-17 subject to fulfillment of the conditions mentioned above.**

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc, as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

Handwritten signature and date: 20/10/16

Continued on next

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self- Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a chartered Accountant.

8. The institutions shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution:
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph
- c) Name of faculty members who left or joined during the last, quarter:
- d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- e) Fee charged from students;
- f) Available infrastructural facilities:
- g) Facilities added during the last quarter:
- h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If institution contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act 1993.

9. Recognition order dt. 14.10.1998, 10.05.2000, & 03.10.2000, be treated as cancelled from the date of issue of this revised order.

By Order,

(Awdhesh Nayak)
Regional Director

The Manager,
Government of India Press
Department of Publications (Gazette Section)
Civil Lines, New Delhi – 110054.

Copy to:

- 1 The Principal/Secretary, State Institute of Science Education, Jabalpur, Madhya Pradesh.
- 2 The Secretary, Higher Education, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal – 462011, Madhya Pradesh with a request to update the recognized list with the revised recognition orders issued by WRC time to time from the copy of order endorsed to you.
- 3 The Registrar, Rani Durgavati University, Saraswati Vihar, Pachpedi, Jabalpur, Madhya Pradesh 482001.
- 4 The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhavan, New Delhi – 110 001.
- 5 The Under Secretary,(Computer Section), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
- 6 The Computer Programmer, Computer Section, WRO, (NCTE), Bhopal.
7. Office Order file/institution no. **OAPW0977/213012.**


Regional Director

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ 349 /73/सी.सी./24/अडतीस

भोपाल, दिनांक 03/06/2024

प्रति,

1. कुलसचिव
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विषय:-प्रवेश सत्र 2024-25 की ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया में जमा की जाने वाली फीस के संबंध में।

--00--

विषयांतर्गत प्रवेश सत्र 2024-25 की जारी प्रवेश मार्गदर्शिका एवं एन.सी.टी.ई. की मार्गदर्शिका में प्रवेश शुल्क जमा करने के संबंध में दिए गए निर्देश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. प्रवेश शुल्क राशि रूपये 5000/- अथवा इससे कम होने पर संपूर्ण शुल्क एकमुश्त जमा करना होगा।
2. प्रवेश शुल्क राशि रूपये 5000/- से अधिक होने पर प्रथम किश्त 5000/- रूपये जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकता है शेष शुल्क तीन समान किश्तों में जमा करना होगा।

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 03/06/2024

पृ.क्रमांक/ 350 /73/सी.सी./24/अडतीस

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
5. सी.ई.ओ., एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

[Login](#)[Apply Now](#)

Department of Higher Education

Government of Madhya Pradesh



ई-प्रवेश 2025 -26

उच्च शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश शासन, भारत

Ug / PG / NCTE



Latest News

सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण का शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि सातक

Instructions

Student

College

Principal

University

Help Center

- » सभी हेल्प सेंटरों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी विद्यार्थी का 12वीं कक्षा का रोल नंबर फॉर्म भरते समय 'Already Exist' दिखाता है और वह विद्यार्थी अपनी मूल मार्कशीट लेकर आता है, तो ऐसे विद्यार्थियों का रोल नंबर अपडेट करवाने के लिए हेल्प सेंटर को ई-प्रवेश को मेल के माध्यम से ईमेल आईडी - helpdesk.epravesh@mp.gov.in पर सूचित करना अनिवार्य होगा।
- All help centers are hereby informed that if a student's 12th standard roll number shows as "Already Exist" while filling the form, and the student presents their original mark sheet, then the help center must inform ePravesh via email at helpdesk.epravesh@mp.gov.in for updating the roll number.

Issue Date 29/05/2025

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया (Online Admission Process)



चरण 1 - साइन अप/पंजीकरण (Sign Up/Registration)

Candidate

समस्त आईडी अनिवार्य (1024x768) २क



चरण 2 - लॉगिन प्रक्रिया (Login Process) : Powered by

Candidate

- आप लॉगिन प्रक्रिया अपने मोबाइल, परिवार के मोबाइल, लैपटॉप, स्कूल, महाविद्यालय (शासकीय महाविद्यालयों में आवेदन पत्र निःशुल्क भरे जाएंगे, जबकि शेष महाविद्यालयों में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन किया जाएगा), कंप्यूटर सेंटर या लोक सेवा केंद्र से पूरी करके पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्ययनक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

चरण 4 - आरक्षण और वजन (Reservation & Weightage)

Candidate

- जाति का प्रमाणपत्र आवश्यक है।

चरण 5 - दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Document)

Candidate

- जन्म प्रमाण पत्र
- मार्कशीट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- कैडर प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- अधिभार प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- EWS प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो तो)
- पात्रता प्रमाणपत्र (यदि डेटा प्राप्त नहीं हो पाता हो तो)

चरण 6 - कॉलेज चयन प्रक्रिया (College Choice Filling)

Candidate

- आप अधिकतम 10 कॉलेज चुन सकते हैं।

चरण 7 - आगे बढ़ें और लॉक करें (Proceed & Lock)

Candidate

- छात्रों को अपनी भरी गई जानकारी की जांच करनी चाहिए।

चरण 8 - पंजीकरण फॉर्म का भुगतान करें (Registration Form Payment)

Candidate

- आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

चरण 9 - यदि विवरण स्वतः लोड न हो, तो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। (If data not fetched then send for approval)

Help Center

- यदि आपकी पूरी आईडी और डेटा गलत पाया जाता है, तो फॉर्म स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

चरण 10 - स्वीकृति प्रदान करें अथवा सुधार हेतु छात्र को वापस भेजें (Approved/Back to Student)

Help Center

चरण 11 - आवंटन (Allotment)

Candidate

- यदि आपको मेरिट के आधार पर चुने गए कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, तो इस xx/xx/xxxx तिथि को आवंटन किया जाएगा।

चरण 12 - शुल्क जमा करना (Fees Submission)

Candidate

- यदि आपको आवंटन प्राप्त हो जाता है, तो आपको xx/xx/xxxx से xx/xx/xxxx तक शुल्क का

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 14-05-2025

क्रमांक I/261370/2025/सी.सी./2025/38 : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2025-26 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा NCTE पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न:- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 14-05-2025

पृ. क्र. I/261370/2025/सी.सी./2025/38

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश।
 2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
 6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर। रीवा/उज्जैन / छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
 7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 9. प्रवेश एजेंसी की ओर कार्यवाही हेतु।
 10. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, एन.सी.टी.ई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
 11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

राज्यालक

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

Digitally signed by
Beeran Singh Bhalavi
Date: 14-05-2025
15:00:15

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय), ITEP एवं
बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित
बी.एड. पाठ्यक्रम 2025- 26 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी

प्रथम चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन /आवेदन	15-05-2025 से 30-05-2025 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	16-05-2025 से 31-05-2025 तक
	मेरिट सूची का प्रकाशन एवम प्रथम चरण में सीट आवंटन	01-06-2025
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	05-06-2025 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित हेल्पसेंटर पर मूल दस्तावेजों, टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना।	05-06-2025 से 11-06-2025 तक
5	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	05-06-2025 से 12-06-2025 तक

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय), ITEP एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी

द्वितीय चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन/आवेदन	07-06-2025 से 13-06-2025 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	08-06-2025 से 14-06-2025 तक
	मेरिट सूची का प्रकाशन एवम प्रथम चरण में सीट आवंटन	15-06-2025
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	19-06-2025 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित हेल्पसेंटर पर मूल दस्तावेजों, टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना।	19-06-2025 से 23-06-2025 तक
5	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	19-06-2025 से 24-06-2025 तक

dr

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एमपी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय), ITEP एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी

तृतीय चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	ऑनलाइन पंजीयन/आवेदन	20-06-2025 से 25-06-2025 तक
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	21-06-2025 से 26-06-2025 तक
	मेरिट सूची का प्रकाशन एवम प्रथम चरण में सीट आवंटन	27-06-2025
3	प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना	30-06-2025 (प्रातः 11 बजे)
4	आवंटित हेल्पसेंटर पर मूल दस्तावेजों, टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना।	30-06-2025 से 03-07-2025 तक
5	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	30-06-2025 से 04-07-2025 तक

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश / नियम / विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई./NCTE वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।
 - 1.1 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।
2. पोर्टल की जानकारी :-
 - 2.1 पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी विभागीय पोर्टल epravesh.highereducation.mp.gov.in / ई-प्रवेश मोबाइल एप एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयों का नाम जोड़ने की कार्यवाही -
 - I प्रत्येक महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी/अद्यतन करनी होगी।
 - II प्रोफाइल बनाने का कार्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व किया जाएगा।
 - III प्रोफाइल अद्यतन करते समय शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र / निरन्तरता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - IV विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - V विधि पाठ्यक्रम हेतु BCI की NCTE पाठ्यक्रम हेतु NCTE की मान्यता (recognition) एवं निर्धारित सीट संख्या का पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - VI NCTE पाठ्यक्रमों एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रवेशित वर्ष का शुल्क, विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का सत्यापन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - VII महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
 - VIII महाविद्यालय को प्रोफाइल अद्यतन करते समय संकायवार एवं विषयवार सीटों का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।
 - IX अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं अशासकीय महाविद्यालय की प्रोफाइल का सत्यापन उच्च शिक्षा संचालनालय की सम्बद्ध शाखा द्वारा किया जायेगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को प्रत्यावर्तित (Reverse) किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होता होगा। महाविद्यालय

द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

X उच्च शिक्षा संचालनालय की सम्बद्धता शाखा के सत्यापन उपरांत पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय का सत्यापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को प्रत्यावर्तित (Revert) किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा जिसकी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की होगी।

XI विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर NCTE से सम्बन्धित महाविद्यालयों को ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा।

XII माननीय न्यायालय से प्रवेश के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले निर्णयों के लिए भी संबंधित आवेदक महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल दर्ज करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत शेष कार्यवाही नियमानुसार आयुक्त उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर से ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी।

4. आयु संबंधी प्रावधान :- विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

5. स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :-

5.1 स्नातक स्तर हेतु :- 10+2 परीक्षा एवं समकक्ष उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :

स.क्र.	10-2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय /गृह विज्ञान संकाय
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय / गृह विज्ञान संकाय
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय
4	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव. विज्ञान समूह) (जीव. विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी आदि विषय)
5	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 4.7)का अवलोकन करें

नोट :- BCA /BBA के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के नियमों के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

5.1.1 पात्रता संबंधी स्पष्टीकरण:-

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एम.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड, से मुक्त बोर्ड / एम.पी. बोर्ड / पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रवेश पंजीयन से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसे ऑनलाइन पंजीयन के समय विद्यार्थी को अपलोड करना होगा।

5.1.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक -

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को अंतिम माना जायेगा।

5.1.3 आई.टी.आई.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

5.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर (दो वर्षीय / 4 सेमेस्टर) हेतु - स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.फॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स्नातकोत्तर दो वर्षीय / 4 सेमेस्टर		
स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.फॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.फॉम./बी.कॉम (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी कॉम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के

		लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी में गृहविज्ञान विषय के साथ स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय), पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड आवश्यक अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।

स्नातकोत्तर एक वर्षीय / 2 सेमेस्टर

1	एम.कॉम. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.कॉम. ऑनर्स अथवा बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च।
2	एम.एस.सी. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च।
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स अथवा बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स विथ रिसर्च।

राज्य शिक्षा सस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

4	एम.ए. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.ए. ओनर्स अथवा बी.ए. ओनर्स विथ रिसर्च।
---	-------------------------------------	---

5.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण:- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 पी.जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.3. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत -

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

5.3.1 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत : हायर सेकण्डरी एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकण्डरी (ग्यारहवीं) में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे-

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

5.3.2 पत्राचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम से विधि में प्रवेश :- यदि आवेदक ने पत्राचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम से 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन किया हो तो वह एल.एल.बी. त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: आवेदक जिसने 10+2 अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन विश्वविद्यालय) से बिना आधारभूत मूल शिक्षा (बेसिक क्वालिफिकेशन) के प्राप्त किया हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।

5.3.3 एल.एल.एम. में प्रवेश-

(अ) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा (एल.एल.बी. त्रिवर्षीय / पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होंगे।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विशेष टीप: न्यायालयीन निर्णय अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

5.4 एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश

5.4.1 अर्हताएं

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु-

स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में) 50 प्रतिशत अंकों के साथ, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) में 55 प्रतिशत अंकों के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जाएगा, जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।

(ख) एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी०एड०/बी०ए०बी०एड०/बी०एससी०बी०एड०/उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(ग) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु-

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय / जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय/वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो। अथवा 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय / अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर-क्षेत्रीय / जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों / ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय / अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

राज्य

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

प्रवेश प्रक्रिया अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक में अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(ब) एम.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु-

(I) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)।

(II) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया एम.पी.एड पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश, अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक, एवं अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा चयनित वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होंगे।

(ङ) एम.पी.एड / बी.पी.एड पाठ्यक्रम में मेरिट हेतु बोनस अंक का विभाजन

स.क्र.	अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक		
1.	क	60 प्रतिशत एवं उससे अधिक	60
	ख	50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम	50
	ग	45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम	40
	घ	40 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 45 प्रतिशत से कम	30
2.	स्पोर्ट्स प्रोफिसियेन्सी के लिए बोनस अंक		
	क.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	40
	ख	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागिता	35
	ग	सीनियर/जूनियर नेशनल/ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	30
	घ	सीनियर/जूनियर नेशनल/ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सहभागिता	25
	ङ	ज़ोनल अंतर विश्वविद्यालय (East/West/North/South Zone) स्तर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	20
	च.	ज़ोनल अंतर विश्वविद्यालय (East/West/North/South Zone) स्तर प्रतियोगिता में सहभागिता	15
	छ	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	20
	ज	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	15
	झ	अंतरमहाविद्यालयीन/संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	10
ञ	अंतरमहाविद्यालयीन/संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	8	

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

ट	जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	05
ठ	जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	02

नोट : पिछले 3 वर्षों में प्राप्त प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

नोट : बोनस अंको का अधिभार केवल एक बार ही दिया जावेगा

- स्पोर्ट्स प्रोफिसिएंसी के लिए बोनस अंक केवल एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर दिए जाएंगे, जो विद्यार्थी की सर्वोच्च उपलब्धि को दर्शाता हो। यदि किसी विद्यार्थी के पास एक से अधिक प्रमाण पत्र हैं, तो केवल उच्चतम स्तर के प्रमाण पत्र को ही अंक प्रदान करने के लिए मान्य माना जाएगा।
- ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार/म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों पर ही बोनस अंक प्राप्त किए जा सकेंगे।

(च) बी.एड. एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु-

- प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उनके समकक्ष ग्रेड की स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह वांछनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रुचि और अनुभव हो।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।
- उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रासांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी।

(छ) इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) पाठ्यक्रम हेतु

- सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू (+2) परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पैटर्न के अंतर्गत) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू (+2) परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पैटर्न के अंतर्गत) अंकों में छूट और सीटों में आरक्षण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेश के समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार होगा।
- ITEP- सम्बन्धित में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित विषय और योग्यता परीक्षा के माध्यम से होगा।
- NEP 2020 की अनुशंसाओं के तहत ITEP-में प्रवेश के लिए एकल राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा का आयोजन NTA द्वारा किया जाएगा।

नोट:- बी.ए. बी.एड./ बी.एस.सी./बी.एड. आदि पाठ्यक्रमों में एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रवेश दिया जावेगा।

(ज) बी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु

मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे

राज्य शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

नोट: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

(अ) बी.एड (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु -

(i) ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम दो वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापकों के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे। प्रार्थी को उस संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष से, जहां वह सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि / विशेषज्ञता सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, प्रवेश के लिये पात्र है।

(iii) आवेदक को सेवारत संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. प्रवेश प्रक्रिया:-

- प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2025-26 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2025-26 में समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश दो चरण ऑनलाइन माध्यम से एवं तत्पश्चात सीएलसी चरण आयोजित किया जायेगा।
- ऑनलाइन प्रवेश में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। सीएलसी चरण में रिक्त सीटों पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

6.1 ऑनलाइन पंजीयन :

6.1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन मोबाइल एप / ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे।

6.1.2 पंजीयन के पश्चात आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्रांतांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार, मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे नत्थापन के समय कोई परेशानी न हो। आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन मूल दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज

प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन/प्रवेश निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। टी.प. आवेदक की अंकसूची तथा आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं/11 वीं की अंकसूची में अंकित जन्म तिथि को मान्य कर सत्यापन किया जाए।

- 6.1.2 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदक को कोर्स एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।
- 6.1.3 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन (अन्य विश्वविद्यालयों से स्थान्तरित विद्यार्थियों के लिए) फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी आई. डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक ही यूनिवर्सिटी आई. डी के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात् नियमित विद्यार्थी के लिए "आर" और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए "पी" शब्द का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे "बीयू" अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिवर्सिटी आई. डी यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा और उसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे "बीयू/डी.ए.वि. वि" अंकित किया जाएगा।
- 6.1.4 पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु अहर्ता स्नातक है, उनमें अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तियों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ / पंचम सेमेस्टर के कुल प्राप्तियों के आधार पर प्रावीण्यता निर्धारित की जाएगी।
- 6.1.5 NCTE पाठ्यक्रमों हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक 983/सीसी.14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/406/आउशि.सम्ब./15 दिनांक 04.06.2015 के तहत स्नातक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किन्तु स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत एवं बि.वि. द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे तथापि, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हों। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ए.टी.के.टी. होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।
- 6.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा:-

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क की राशि 100 रुपये का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। छात्राओं से प्रथम चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रथम चरण के उपरांत पंजीयन शुल्क एवं विलंब शुल्क सहित राशि रुपये 150/- का भुगतान समस्त छात्र/छात्राओं को करना होगा। तत्पश्चात् ही ऑनलाइन ई-सत्यापन होगा।

6.1.8 वांछित पाठ्यक्रम के स्थान त्रुटिवश अन्य पाठ्यक्रम में पंजीयन होने संबंधी प्रावधान :-

यदि आवेदक द्वारा जैसे स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिवश स्नातक में पंजीयन हो जाता है तो आवेदक को ऐसा पंजीयन निकटतम हेल्प सेन्टर से निरस्त करवा कर पुनः नवीन पंजीयन कराना होगा।

6.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश:-

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें सी.एल.सी चरण में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाइस फिलिंग एवं दस्तावेज / प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

6.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा।

6.3 महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2025-26 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 10 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाइस फिलिंग) कर सकेंगे।

6.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया:-

ई सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिभार के इच्छुक आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई-सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय)-

1. जन्म तिथि प्रमाण पत्र
2. न्यूनतम अहर्कारी परीक्षा की अंक सूची।
3. स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।
4. स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम वर्ष, सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई

राचालक

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्ययक शिक्षा महाविद्यालय

जयपुर

अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ दोनो अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

5. स्नातकोत्तर (एक वर्षीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक ऑनर्स/ ऑनर्स with रिसर्च का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक तृतीय वर्ष/ षष्ठम सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
6. जाति प्रमाण पत्र संबंधी:- जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो।
 - (अ) आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आठशि/शा-5 अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।
 - (ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जायेंगे।
7. संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी:- संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें। (सैनिक/प्रतिरक्षा कर्मचारी/ विधवा / परित्यक्तता वर्ग आदि), यदि लागू हो तो)
8. मूल निवासी संबंधी:- मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूलनिवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
9. आय प्रमाण-पत्र:- नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) ई.डब्ल्यू.एस.(EWS) के आवेदकों के लिये स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप 6 अनुसार (क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02.11.2017)
10. चिकित्सा प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।
11. (i) अधिभार प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।
बिंदु क्रमांक 5.4.1 का (ड) की तालिका के अनुसार
(ii) अधिभार प्रमाण-पत्र NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जो भी लागू हो।-
- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022 -23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।
- (द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र.25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
12. सेवारत संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र (बी.एड अंशकालीन हेतु)।

6.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया :

- (अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।

6.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश:-

- (अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर आबंटन अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
- (ब) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा से एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
- (स) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- (द) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

6.5.2 असत्यापित / त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन संबंधी निर्देश -

- (अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन फार्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त / अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
- (ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विभागीय पोर्टल द्वारा संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी। आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश (एस.एम.एस एवं विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कैडिडेट स्टेटस से) चेक करते रहे।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- (स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक को मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा के स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पर्ची (ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।
- (द) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- (य) सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी युक्त/अनावश्यक दोहराव / एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए गार्जेट टैब पर प्रेषित करेंगे। जिससे महाविद्यालय के पोर्टल पर अनावश्यक लंबित आवेदन न हो।
- (र) सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाइन पंजीयन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि / विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों के माध्यम से त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। त्रुटिसुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।
- (ल) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
- (व) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदकों / हेल्प सेंटर द्वारा की गई त्रुटि का सुधार सत्यापन उपरांत नहीं किया जा सकेगा, ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा।

6.6 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण:-

- (अ) गुणानुक्रम का निर्धारण -
प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी। शीट आवंटन मेजर विषय के आधार पर किया जायेगा।
- (ब) स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) में प्राथमिकता का निर्धारण -
किसी एक विषय में स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।
- (स) बीपीएड एवं एमपीएड पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशिएन्सी के लिए बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार कुल समेकित प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
सत्यापन के पश्चात केवल NCIE पाठ्यक्रमों की गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची जारी की जावेगी।

राज्य शिक्षा विभाग

राज्य शिक्षा विभाग, म.प्र.
अध्यक्ष, शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

6.6.1 प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया

- (अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाइन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।
- (ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय / विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जायेंगे।
- (स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
- (द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने/प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (य) NCTE पाठ्यक्रमों में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को समस्त मूल दस्तावेजों एवं मूल टी सी/ माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु आवंटित हेल्पसेंटर पर उपस्थित होंगे। सत्यापन उपरांत आवेदन पत्र एवं आवंटन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल टीसी / माइग्रेशन हेल्प सेंटर में जमा की जाएगी। सत्यापन उपरांत आवेदक प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे।
- (र) अहर्कारी परीक्षा के परिणाम घोषित न होने पर आवेदक मूल टीसी/ माइग्रेशन के स्थान पर अपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (ल) ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित का भुगतान विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।
- (व) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में टी-1 दिवस में ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा।

6.6.2 महाविद्यालय/संकाय/ मेजर विषय में आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश:-

आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में खातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक उपलब्ध तीन विषयों में से मेजर 1 के साथ मेजर 2 /माइनर तथा वैकल्पिक विषय का चयन कर सकेंगे। महाविद्यालय में अन्य संकाय संचालित होने की स्थिति में आवेदक को वैकल्पिक विषय के स्थान पर किसी दूसरे संकाय से सामान्य वैकल्पिक विषय के चयन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आवेदक को संबंधित महाविद्यालय में संचालित

संचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

व्यावसायिक विषय में से एक व्यावसायिक विषय एवं प्रोजेक्ट / इर्टनशिप / अप्रेंटिसशिप / कम्यूनिटी इंगेजमेंट में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा।

6.6.3 ऑनलाइन (प्रवेश शुल्क एवं नामांकन शुल्क भुगतान प्रक्रिया)

- (अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व (माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गई स्कॉलरशिप आई.डी. दर्ज करना होगा।
- (ब) ऐसी बालिकाएं जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है। प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाइली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- (स) मत्र 2025-26 में जनभागीदारी द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ऐसी स्थिति में यदि आवेदक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर योजना चयन करने की स्थिति में आवेदक को प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना होगा।
- (द) आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क सामान्य पाठ्यक्रम हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित राशि तथा संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क 5000 तक एक मुश्त तथा 5000 से ऊपर 3 किश्तों में जमा करना होगा शुल्क जमा करने के पूर्व ही आवेदक को पाठ्यक्रम अनुसार लाइली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का चयन भी करना होगा। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु समस्त शुल्क तीन किश्तों जमा किया जायेगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना तथा लाइली लक्ष्मी योजना 2.0 के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 के अनुसार होगी। (NCTE में लागू नहीं)
- (य) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ यू.पी.आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा।
- (र) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाइल/ई-मेल पर प्राप्त होगी।

6.6.4 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का ब्राउज़ में भी पंजीयन कमांक एवं आई.डी. पासवर्ड डालकर पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद का प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है।

6.6.5 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन / प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश

शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण - विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाईल अद्यतन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

6.6.6 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश रसीद (Admission Slip), मूल टी.सी. एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता होगी।

6.7 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया:-

महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

7. ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-

7.1 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार / पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

7.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

7.3 चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों में शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

7.4 सी.एल.सी. चरण में समय-सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कडिका 26.11 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।

7.5 ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रवेश प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन / परिवर्तन कर सकेंगे।

7.6 यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की मुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

संचालक
उच्च शिक्षा विभाग एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

✓

आवेदक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्व-विवेक से बहुत सौच-समझ कर करें, जिसमें मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में ही सुनिश्चित हो सके।

- 7.7 NCTE पाठ्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदकों को सीट आवंटित होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने या प्रवेश लेकर निरस्त कराने की स्थिति में ऐसे आवेदकों को घोषित समय सारणी अनुसार आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया में ज्वाइंस फिलिंग के अवसर से पृथक किया जाएगा।
- 7.8 पुनः वरीयता व्यक्त करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 7.9 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन / दस्तावेज अपलोड / महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण/ की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 7.10 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी. चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.11 सी.एल.सी. में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

8. प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया

- 8.1 ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2025-26 से प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
- 8.2 आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सबमिट करने पर उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिसकी पावती आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी।
- 8.3 शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा।
- 8.4 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक को अपना खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड भी दर्ज करना होगा जिसमें की प्रवेश शुल्क की राशि वापस की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 8.5 चरणवार शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण कराने पर प्रवेश शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।
- 8.6 "रुक जाना नहीं" अंतर्गत प्रवेश ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदक, छात्रक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान / दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक

राज्य
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष महाविद्यालय
जबलपुर

स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

9. शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश

शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी। (उक्त कंडिका NCTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगी।)

10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश-

10.1. ऑनलाइन चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जावेगा।

10.2. प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन / दस्तावेज अपलोड / महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।

10.3. पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर आगामी सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

नोट:- इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाइन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।

10.4. प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय तारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 1000/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।

11. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :-

मध्यप्रदेश शासन की हितग्राही योजनाओं की समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हाईपरलिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

11.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना

राचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।

11.1.1 पात्रता की शर्तें :-

- i. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- ii. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम हो।
- iii. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई.आई.सी.एम.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

11.1.2 योजना का स्वरूप

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर विद्यार्थी को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

- 11.1.3 स्पष्टीकरण प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJICY)

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म०प्र० शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जायेगा। इस हेतु समय-समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

11.2.1 पात्रता की शर्तें :-

- i. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जायेगी।
- ii. विद्यार्थी के माता पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

11.2.2 योजना का स्वरूप

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा-5अ/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष) एवं

स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

11.2.3 स्पष्टीकरण: स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मेस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेशशुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी / जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।

11.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, बल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.06.2021 के अनुसार।

11.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) -

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं ख़ाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।

11.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3)-

परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)

बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)

"कोविड-19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।

11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4)-

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

11.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 6.3.2) -

(अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा

राज्य शिक्षा सहायता एवं
अध्ययन शुल्क महाविद्यालय
जबलपुर

साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(य) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका - अ) अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रूपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार लिंकड बैंक खाते में की जावेगी।

11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट-5.3.4)

11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)

11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देव लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट-8)

11.4. लाइली लक्ष्मी योजना:-

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी। लाइली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य -

- मध्यप्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना
- आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
- समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।

पात्रता की शर्त :-

- एक जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हों।
- माता-पिता जिनकी 02 या 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।

विशेष : उपरोक्त पात्रता शर्तों के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाइली लक्ष्मी योजना 2.0 में उल्लेखित विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

योजना का लाभ :

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

i. लाइली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अचधि न्यूनतम 02 वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपए 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किशतों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी।

ii. लाइली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-

स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्राथमरी / मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 244.2782015420.2ए दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।

2. वन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन / दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(NCTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं)

संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया:-

1. प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी. एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्राबधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

2. संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति, निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल अद्यतन कर मैपिंग महाविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :-

सत्र 2025-26 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

राचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- 14.1 सत्र 2024-25 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 14.2 सत्र 2024-25 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2025-26 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 14.3 सत्र 2025-26 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।
- 15. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :-**
- 15.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- 15.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / आठवां सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, प्रथम से चतुर्थ / पंचम सेमेस्टर तक के प्राप्तांको का प्रतिशत (4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः तृतीय वर्ष अथवा छठवां / सातवां सेमेस्टर) ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 15.3 महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 15.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष / षष्ठम सेमेस्टर (4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः चतुर्थ वर्ष / आठवां सेमेस्टर) के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।
- 15.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 16. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)**

राज्यपाल

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.
अध्यक्ष, शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम पोषित होने के 15 दिवस की समय सीमा में ऑनलाइन विभागीय पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

16.1 स्नातक (चतुर्थ वर्ष) क संबंध में दो विकल्प होंगे

- (i) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स (सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी)
- (ii) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स विथ रिसर्च (केवल 7.5 सी.जी.पी.ए. से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे)
- (iii) विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे।
- (iv) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा।
- (v) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च का विकल्प महाविद्यालय में न मिलने की दशा में जिला अंतर्गत निकट के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
- (vi) विद्यार्थी को संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प चयन करना होगा।
- (vii) महाविद्यालयों द्वारा सत्यापन उपरांत प्रवेश शुल्क हेतु लिंक एनिसियेट की जायेगी।
- (viii) लिंक एनिसियेट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे।
- (ix) स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जायेगा।

16.2 पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :-

स्नातक स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) शेष सेमेस्टर्स में (तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ही होगी।

16.2.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष उत्तीर्ण / एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

16.2.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण / किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

16.2.3 सत्र 2025-26 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर आर्डिनेंस 14 (1) के प्रावधान लागू होंगे (आर्डिनेंस संलग्न है) तथा पूर्व वर्षों में प्रवेशित विद्यार्थियों पर पूर्वानुसार आर्डिनेंस 14 ए) व आर्डिनेंस 14 बी) लागू होंगे (आर्डिनेंस संलग्न है)।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- 16.2.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर अध्यादेश 14(2) लागू होगा।
- 16.3 स्नातकोत्तर स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/ किसी एक सेमेस्टर में वो तथा एक समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 16.4 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क / 10 रूपए का ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की आधी राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
- 16.5 सत्र 2021-22 से लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 11.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश नवीनीकरण निःशुल्क किया जाना है।
- 16.6 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश।
कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आग्रजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 16.7 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/36, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वे विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स / विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में तथा तृतीय/पंचम/सप्तम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 16.7.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/36-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित / असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2025-26 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2024-25 की स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण

करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2025-26 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

16.8 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर / वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।

16.9 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

16.10 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया:-

महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयवधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

17. स्नातक कक्षाओं में ए.टी. के. टी. पूरक से संबंधित प्रवेश नियम

पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :-

17.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।

17.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

17.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी. के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

17.4 स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

17.5 विशेष परीक्षार्थी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/387/आठशि/शा-5अ/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद / कला/संस्कृति (युवा उत्सव)/ एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी के क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य के प्रमाणित करने पर उन विद्यार्थियों की परीक्षा उसी सत्र में परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय

राज्य
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

द्वारा समय सारणी जारी कर, आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जाएंगे।

18. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी. के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम:-

- 18.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
- 18.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी. के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- 18.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 18.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

19. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण:-

- 19.1 समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधोसंरचना तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य, जनभागीदारी समिति से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 19.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा / विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य सीट वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।
- 19.3 अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- 19.4 इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 19.5 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।
- 19.6 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।

राचालक

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.
अध्यक्ष, उच्च शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- 19.7 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राउण्डअप करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।
20. **समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम**
- 20.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) / इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।
- 20.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाईन विभागीय पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 20.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 20.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 20.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा / उपाधि मान्य नहीं होंगी।
- 20.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे नेबोनेट्टी मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता

राज्य शिक्षा विभाग
राज्य शिक्षा संस्थान एवं
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
जबलपुर

प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

20.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

21. सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पात्रता:-

(सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए लागू NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर)

21.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

- (अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (द) जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापितों एवं उनके पाल्य / पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे
1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
 2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
 3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
 4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
 5. द्वितीय और आगे वाले वर्षों में आब्रजन की सुविधा।
 6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
- (य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध माह्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

22. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :-

- 22.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

राज्य शिक्षा सस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- 22.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यूजी. सी. के जापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.॥) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी लागू रहेगी।
- 22.3 ट्रांसजेंडर को केवल सह-शिक्षा महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 22.4 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
23. **बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-**
- 23.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी. कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी. (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 23.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष अथवा द्वितीय / चतुर्थ/षष्ठम सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय / विषयों/विषय-समूह की अगली क्रक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 23.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 23.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 23.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

23.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

24. आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर) :-

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा-

24.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी

किसी अन्य संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

24.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

24.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13581-227-इक्रीस-अ (प्रा) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

24.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों /सेन्द्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इसमें सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मंडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मंडल, सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लिखित मंडल से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, ।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मंडल।

राज्य शिक्षा विभाग
राज्य विज्ञान शिक्षा सस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

- 24.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 24.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एफ, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आ.उ.शि.शा.-5अ/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 24.7 एन.सी.सी. *सी* प्रमाण पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 01 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 24.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 24.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 24.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।
- 24.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश
अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी।
सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।
अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया 01:01 (अल्पसंख्यक श्रेणी: गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जायेगी।

24.13 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

24.14 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

24.(B) आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों हेतु) :-

संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय), बी.एड. एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) ITEP एवं बीएलएड (एकीकृत चार वर्षीय) तथा बी.एड., (अंशकालीन-तीन वर्षीय) आदि।
पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यूपी. 5436/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.08. 2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को क्रमशः 01:01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा, द्वितीय चरण के उपरांत यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक आवेदकों से पूर्ति नहीं होती है तो, तृतीय चरण को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सीटें रिक्त बचने पर शेष रिक्त सीटों की पूर्ति गुणानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन जारी मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समक्ष महिला महाविद्यालय दर्ज है।

(घ) . मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा:

संक्र०	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत

2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर छोड़कर)	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोट:

मध्यप्रदेश के राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। रिट याचिका क्रमांक 5901/2019 द्वारा सुषी आशिता दुबे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत की सीमा को 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किवा जा सकेगा।

व- मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा:

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र / पौत्रियों/नातियों/गालिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. दिव्यांग प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

- I. महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों की 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
- II. सैनिक संवर्ग (एस) कुल स्थानों के तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षक कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/नाता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

राज्य शिक्षा सस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

अथवा

मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रदेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। टिप्पणी सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

III स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) -

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/ नातियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले या कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

IV. निःशक्तजन (विकलांग) कुल स्थानों का पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग में शासन के नियमानुसार आरक्षण हेतु दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिरबाधित आवेदकों को पात्रता होगी। इस संवर्ग के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. विधवा/ परित्यक्ता: इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा / परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

VI. यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VII. संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे। (संलग्न प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)

VIII. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग / संवर्ग का लाभ देय होगा।

संचालक

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
अध्यक्ष, शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- IX. तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जाएगा।
- X. तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर म०प्र० राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जाएगा।
- XI. अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आरक्षित आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर तृतीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जाएगा।

25. अधिभार :-

अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2021-22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जाएगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रदेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।
- खेलकूद विधा में महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में 'ए' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटराइट के आधार पर सुरक्षित होंगी। (24 मई 2022 के आदेशानुसार)
- कला-संस्कृति (युवा उत्सव) / एन.सी.सी. एन.एस.एस. स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5.5 सीट आउटराइट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होंगी।
- राज्य/संभाग/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए वी. सी और डी में अधिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- आउटराइट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी।

25.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए
श्रेणी। विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

राज्य शिक्षा विभाग
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर


1. ओलंपिक खेल/वर्ल्डकप चैम्पियनशिप/वर्ल्डकप / कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/एशियन चैम्पियनशिप / साउथ एशियन गेम्स/पैरासंपिक गेम्स/अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2. एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जूनियर प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल/फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल इंटर जोनल नेशनल/नेशनल स्कूल गेम्स/अंडर 17/19/खेलो इंडिया स्कूल/यूथ गेम्स अंडर 17/21/यूथ/ जूनियर नेशनल सब जूनियर / जोनल नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त / प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को।	

श्रेणी -B (प्रतिशत अधिभार)

स्टेट प्रतियोगिता /इंटर जोनल एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघद्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तरसंभाग/अन्तरजिला/सीवीएससी/केवीएस/आईपी	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिभार
एससी/डीएवी/एनवीएस/ विद्या भारती प्रतियोगिता के अंतर्गत	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत अधिभार

श्रेणी -C (प्रतिशत अधिभार)

ब्लॉक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला / संभाग स्तर जिले की प्रतियोगिता सीवीएससी	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिभार
पलस्टर/केवीएस/एनवीएस, डी.ए.व्ही/विद्या भारती/सुब्रतो कप/स्कूल स्पोर्ट्स (जिला. स्पोर्ट्स एसोसिएशन/जिला/डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन / जिला स्कूल बोर्ड से प्रमाणित के अंतर्गत	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	05 प्रतिशत अधिभार


 राचालक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर

25.2 कला - संस्कृति (युवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रेणी। विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

<p>अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां - प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय युवा उत्सव में सहभागिता पर</p>	<p><u>गतिविधियां-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/लोक), गायन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य) • शास्त्रीय/सुगम/लोक/पाश्चात्य सुगम) विज्ञ • रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन / फिल्म मेकिंग) • संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य) • फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग/स्कल्पचर) • थियेटर • वादविवाद (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • विज्ञान संबंधी गतिविधियां 	<p>अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा</p>
--	--	--

श्रेणी - B, C एवं D (प्रतिशत अधिभार)

<p>(नृत्य भारतीय शास्त्रीय / लोक, गायन हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य शास्त्रीय / सुगम लोक पाश्चात्य सुगम) विषय रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/ फिल्म मेकिंग) संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य) फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग / स्कल्पचर) ललितकला थियेटर</p>	<p>राज्य स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर</p> <p>संभाग स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी</p> <p>जिला स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी</p>	<p>15 प्रतिशत अधिभार</p> <p>10 प्रतिशत अधिभार</p> <p>05 प्रतिशत अधिभार</p>
---	--	--

राज्य शिक्षा सस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जयपुर

डिबेट (वादविवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	
--------------------------------------	---------------------------------------	--

25.3 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु -

श्रेणी I विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

1	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉन्टिनजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2	राष्ट्रपति स्काउट	
3	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
4	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	
5	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य युव एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	
6	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयत्न करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी B- (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	
3	राज्यपाल स्काउट	

श्रेणी C- (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. ए सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	

श्रेणी B- (प्रतिशत अधिभार)

1	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	

25.4

ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
---	------------

25.5

राज्य शिक्षा सस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान, सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
25.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत
25.7 स्थानीय विद्यार्थियों को प्रदेश में प्राथमिकता (स्थानीयता का निर्धारण प्रवेश के लिए	5 प्रतिशत

25.7 निर्धारित न्यूनतम संबंधित शैक्षणिक योग्यता निकट के स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होने के आधार पर दी जाएगी।)

स्पष्टीकरण - कंडिका 25 के प्रावधान NCTE पाठ्यक्रमों के प्रवेश पर लागू नहीं होंगे। NCTE पाठ्यक्रमों में अधिभार NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

26. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-

26.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार :-

- 26.1.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 26.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने ये सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 26.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरान्त ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

26.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 24.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिस विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

26.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के विन्दु क्रमांक 07 एवं कण्डिका 7.1 का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

राज्य शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

26.2.1 प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कांशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

26.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कांशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

26.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।

रिमार्क - यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

26.3 हितग्राही योजना परिवर्तन :-

26.3.1 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना / लाइली लक्ष्मी योजना / मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

26.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मांड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।

26.4 विषय / पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन:-

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय / कक्षा/ विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय / पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मांड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। सामान्य / परम्परागत पाठ्यक्रमों से विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी।

प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया:-

सत्र 2025-26 में स्नातक/ स्नातकोत्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहते हैं ऐसे स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की महमति के साथ जिस महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित किया

जाना है को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश स्थानांतरण की दशा में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क 03 दिवस की समावधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यों को पर्याप्त कारण होने पर ही अन्य महाविद्यालय में जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

विशेष टीप: आवेदक का स्थानान्तरण केवल उन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहां पूर्व महाविद्यालय में चयनित विषय संचालित हो रहे होंगे एवं रिक्त सीट संख्या के साथ नवीन स्थानान्तरित होने वाले महाविद्यालय की मेरिट सूची अन्तर्गत पात्रता बनती हो।

26.6 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।

26.7 प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन प्रक्रिया :-

- (अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात प्रवेशित विद्यार्थी को 30 दिवस की समय सीमा में मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।
- (ब) अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी अशासकीय महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाइन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिवस की समय-सीमा में आवेदक के मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।


26.8 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2025-26 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर फक्षाओं में प्रवेश / प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 5.1.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।

राचालक
राज्य विज्ञान-शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

- 26.9 प्रवेश निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रविष्टि करने संबंधी एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।
- 26.10 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान / व्यवस्था- ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- 26.11 NCTE पाठ्यक्रमों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित तिथियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- 26.12 एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उसे मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करते हुए संशोधित किया जाएगा।
- 26.13 एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को योजनाओं / छात्रवृत्ति आदि की पात्रता मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगी।
- 26.14 मार्गदर्शिका में उल्लेखित समस्त कड़िका एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगी। विद्यार्थियों को आरक्षण, अधिभार, प्रवेश की पात्रता, आदि एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार लागू होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संस्थानों में पूर्वानुसार नियम लागू होंगे।
- 26.15 इन प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / स्पष्टीकरण जारी करने, समय मारणी घोषित एवं परिवर्तन करने, प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने, प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

राज्य शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/शिशि/2020/1391

भोपाल दिनांक 13/08/2021

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल एवं जबलपुर

शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय

समस्त म.प्र.

विषय:—शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 07 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण।

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ/44-10/2019/20-2 दिनांक 20.06.2019 द्वारा शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान/शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित बी.एड. एवं बी.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम जारी किए गए थे। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में वर्ष 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 07 CTEs) की 50 प्रतिशत सीट पर विभागीय एवं शेष 50 प्रतिशत सीट्स पर गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। अतः इन महाविद्यालयों में निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किए जाएंगे:—

शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 07 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रस्तावना— म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ/44-10/2019/20-2 दिनांक 20.06.2019 द्वारा शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान/शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित बी.एड. एवं बी.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम जारी किए गए थे। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में वर्ष 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 07 CTEs) की 50 प्रतिशत सीट पर विभागीय एवं शेष 50 प्रतिशत सीट्स पर गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित 15 सीट्स गैर-विभागीय अभ्यर्थियों की सीट्स में सम्मिलित रहेगी।

निरंतर.....2/-

2. अधिकार-प्रवेश हेतु आवेदकों के चयन संबंधी नीति निर्धारण करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के विनियम 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग को रहेगा। उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे।

गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त 2021-22 के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप संचालक/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

3. प्रभावशीलता-यह प्रवेश नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय/प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे। मान. सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आई.ए. 8 दिनांक 28.06.2013 में निश्चित किए गए कैलेण्डर के अनुसार प्रवेश की तिथियां निर्धारित हैं। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021-22 में प्रवेश तथा शिक्षण तथा संबंधी तिथियां निर्धारित की गई हैं।

4. महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण

महाविद्यालय का नाम (कुल स्वीकृत स्थान)	निम्नांकित जिले के विभागीय उम्मीदवार आवेदन हेतु पात्र होंगे।	विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) भोपाल (15 सीट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है।)	भोपाल	75	60
	सीहोर		
	विदिशा		
	रायसेन		
	राजगढ़		
	होशंगाबाद		
150	योग -	75	75

महाविद्यालय का नाम (कुल स्वीकृत स्थान)	निम्नांकित जिले के विभागीय उम्मीदवार आवेदन हेतु पात्र होंगे।	विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय खण्डवा	खण्डवा	75	75
	हरदा		
	बडवानी		
	खरगौन		
	बुरहानपुर		
150	योग -	75	75
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय देवास	इन्दौर	75	75
	देवास		
	धार		
	झाबुआ		
	अलीराजपुर		
150	योग -	75	75
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर	छतरपुर	75	75
	पन्ना		
	दमोह		
	सागर		
	टीकमगढ		
	निवाड़ी		
150	योग -	75	75
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) जबलपुर	जबलपुर	107	108
	मंडला		
	नरसिंहपुर		
	डिण्डोरी		
	बालाघाट		
	सिवनी		
	कटनी		
	छिन्दवाडा		
	बैतूल		
215	योग -	107	108

महाविद्यालय का नाम (कुल स्वीकृत स्थान)	निम्नांकित जिले के विभागीय उम्मीदवार आवेदन हेतु पात्र होंगे।	विभागीय अम्बर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	गैर-विभागीय अम्बर्थियों के लिए उपलब्ध सीट
शासकीय अध्यापक -शिक्षा महाविद्यालय रीवा	रीवा	75	75
	सतना		
	शहडोल		
	अनूपपुर		
	उमरिया		
	सीधी		
सिंगरौली			
150	योग -	75	75
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर	ग्वालियर	75	75
	मुरेना		
	भिण्ड		
	श्यापुर		
	शिवपुरी		
	दतिया		
	गुना		
अशोकनगर			
150	योग -	75	75
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन	उज्जैन	85	85
	शाजापुर		
	मंदसौर		
	नीमच		
	रतलाम		
आगर मालवा			
170	योग -	85	85
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (बी.एड. विज्ञान) जबलपुर	म0प्र0 के समस्त जिले	50	50
100	योग -	50	50

2 प्रवेश हेतु पात्रता -

विभागीय अम्बर्थियों हेतु -

2.1 इन महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत सभी संवर्ग के शिक्षक/व्याख्याता पात्र होंगे।

2.2 जिलेवार आवंटित स्थान रिक्त रहने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा। विभागीय अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में महाविद्यालय में उपलब्ध सभी स्थानों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

2.3 विभागीय अभ्यर्थी के लिये बी.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उससे कम होना चाहिए।

3 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -

3.1 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में बी.एड. प्रवेश हेतु म.प्र. के मूलनिवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

3.2 गैर-विभागीय अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी को महाविद्यालयों का चयन कर प्राथमिकता निर्धारित करना होगी।

3.3 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर बी.एड. (विज्ञान) में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान स्नातक अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता -

4.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदंड अनुसार प्रवेश के लिए स्नातक अथवा स्नातकौत्तर डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) में 55 प्रतिशत अंको के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक बी.एड. प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/ जनजाति /ओ.बी.सी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विभागीय अभ्यर्थी के लिये बी.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए।

5. आवेदन प्रक्रिया –

प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इंटरनेट सुविधा अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं:-

- 5.1 पंजीयन- विभागीय एवं गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को <https://rsk.mponline.gov.in/> पर ऑनलाईन पंजीयन करना होगा। विभागीय अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रपत्र में पदनाम, कार्यरत संस्था एवं जिला की जानकारी अनिवार्य रूप से देना होगी। पंजीयन हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- 5.2 विभागीय अभ्यर्थी पंजीयन उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिले में प्राप्त कुल आवेदन को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी।
- 5.3 सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा कक्षा-10वी, 12वी एवं स्नातक के अंकसूची एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- 5.4 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को उक्त के साथ ही आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र, म.प्र. का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- 5.5 पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी।
- 5.6 संस्था चयन- विभागीय अभ्यर्थी तालिका में दर्शाए गए जिलों के लिए निर्धारित महाविद्यालय में ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- 5.7 गैर-विभागीय अभ्यर्थी को पंजीयन के पश्चात् महाविद्यालयों का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करते हुये एम.पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

6 सीट आवंटन-

6.1 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं संस्था चयन के आधार पर महाविद्यालयवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

6.2 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों का सीट आवंटन म.प्र.शासन के आरक्षण संबंधी सभी नियमों के आधार पर किया जाएगा। यह आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति	16
02	अनुसूचित जनजाति	20
03	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)	14
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10

(अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मान. न्यायालय के निर्णयानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।)

विभिन्न संवर्गों का क्षैतिजीय (Horizontal) आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।
5. महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जायेगा।

6.3 विभागीय उम्मीदवारों का चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरिष्ठता का क्रम होगा। समान नियुक्ति तिथि होने पर अभ्यर्थी की आयु को आधार मानकर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी।

6.4 सीट आवंटन के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

7. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया-


7.1 महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

7.2 महाविद्यालय को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। महाविद्यालय उन्हें प्रदान किए गए आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त सूची प्राप्त कर सकेंगे।

7.3 अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त होने पर एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। इस के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं स्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।

7.4 महाविद्यालय द्वारा एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगिन आई.डी. के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

8. शुल्क-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (02 IASEs, 07 CTEs) में प्रवेश उपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त शुल्क देय होंगे। विभागीय अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ने पर, प्रशिक्षण अवधि में हुये वेतन भुगतान एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की राशि सम्बन्धित शिक्षा महाविद्यालय में जमा करनी होगी।


(धनराजू एस.) 13/12/2024
संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल


//9//

पृष्ठ. क्र/राशिके/शिशि/2020/1392
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 13/08/2021

1. निज सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0)।
3. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास/उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर (म0प्र0)।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाईन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त प्राचार्य, डाइट/डी.पी.सी. जिला शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।


संचालक 13/08/2021
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/शिशि/2020/ 1398

भोपाल दिनांक 16/08/2021

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल एवं जबलपुर

शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय

समस्त म.प्र.

विषय:-शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 06 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु एम.एड एवं एम. एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण।

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ/44-10/20-2/555 दिनांक 20.06.2019 द्वारा शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान/शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित एम.एड. एवं एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम जारी किए गए थे। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में वर्ष 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 06 CTEs) की 50 प्रतिशत सीट पर विभागीय एवं शेष 50 प्रतिशत सीट्स पर गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किए जाएंगे।

2/- अधिकार-प्रवेश हेतु आवेदकों के चयन संबंधी नीति निर्धारण करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के विनियम 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग को रहेगा। उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे। गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त 2021-22 के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप संचालक/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

3/- प्रभावशीलता-यह प्रवेश नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय/प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे। मान. सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आई.ए. 8 दिनांक 28.06.2013 में निश्चित किए गए कैलेंडर के अनुसार प्रवेश की तिथियां निर्धारित है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021-22 में प्रवेश तथा शिक्षण तथा संबंधी तिथियां निर्धारित की गई है।

4/- महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण

महाविद्यालय	कुल सीट	विभागीय अम्बर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	गैर-विभागीय अम्बर्थियों के लिए उपलब्ध सीट
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) भोपाल (भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ होशंगाबाद जिलों के विभागीय अम्बर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।)	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय खण्डवा सम्मिलित जिले खण्डवा, हरदा, बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर (कुल सीट- 50)	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर सम्मिलित जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी	50	25	25
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (IASE) जबलपुर सम्मिलित जिले जबलपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, बालाघाट, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा बैतूल	20	10	10
शासकीय अध्यापक -शिक्षा महाविद्यालय रीवा सम्मिलित जिले रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर सम्मिलित जिले ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर	50	25	25
शासकीय अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन सम्मिलित जिले उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर-मालवा, इन्दौर, देवास, धार, झाबुआ अलीराजपुर,	20	10	10
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (एम.एड. विज्ञान) जबलपुर में सम्मिलित 10 प्रो के समस्त जिले	50	25	25

5. प्रवेश हेतु पात्रता -

विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -

5.1 इन महाविद्यालयों में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत सभी संवर्ग के शिक्षक/व्याख्याता पात्र होंगे।

5.2 सम्मिलित जिलों के विभागीय अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त न होने अथवा कम प्राप्त होने पर अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा। विभागीय अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में महाविद्यालय में उपलब्ध सभी स्थानों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

5.3 शासकीय शिक्षक द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है।

5.4 विभागीय अभ्यर्थी के लिये एम.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उससे कम होना चाहिए।

गैर-विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -

5.5 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. प्रवेश हेतु म.प्र. के मूलनिवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

5.6 गैर-विभागीय अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी को महाविद्यालयों का चयन कर प्राथमिकता निर्धारित करना होगी।

5.7 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर एम.एड. (विज्ञान) में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान स्नातक विभागीय एवं गैर-विभागीय अभ्यर्थी पात्र होंगे।

6. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता -

गैर-विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदंड अनुसार प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./बी.एल.एड. के साथ स्नातक उपाधि (दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे। एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विभागीय अभ्यर्थियों हेतु -

- 6.1 अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हों। स्नातकोत्तर हेतु वह विषय मान्य होगा जिस पर अभ्यर्थी की विभाग में नियुक्ति हुई है। एम.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होंगे।
- 6.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्ड अनुसार अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./बी.एल.एड. उपाधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विषयों में समग्र रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- 6.3 यह आवश्यक है कि आवेदक ने एम.एड. प्रवेश वर्ष की दिनांक 01 जुलाई से बी.एड. उपाधि कम से कम दो वर्ष पूर्व उत्तीर्ण की हो।
- 6.4 अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल/हायर. सेकण्डरी के अतिरिक्त एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया गया अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
- 6.5 विभागीय अभ्यर्थी के लिये एम.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए।

7. आवेदन प्रक्रिया -

प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इंटरनेट सुविधा अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं:-

- 7.1 पंजीयन- विभागीय एवं गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को <https://rsk.mponline.gov.in/> पर ऑनलाईन पंजीयन करना होगा। विभागीय अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रपत्र में पदनाम, कार्यरत संस्था एवं जिला की जानकारी अनिवार्य रूप से देना होगी। पंजीयन हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

- 7.2 विभागीय अभ्यर्थी पंजीयन उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिलों में प्राप्त कुल आवेदन को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी।
- 7.3 सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा कक्षा-10वी, 12वी एवं स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. इत्यादि की अंकसूची एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- 7.4 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों को उक्त के साथ ही आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र, म.प्र. का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- 7.5 पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी।
- 7.6 संस्था चयन- विभागीय अभ्यर्थी तालिका में दर्शाए गए जिलों के लिए निर्धारित महाविद्यालय में ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- 7.7 गैर-विभागीय अभ्यर्थी को पंजीयन के पश्चात् महाविद्यालयों का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करते हुये प्राथमिकता निर्धारित करना होगी। इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- 8 सीट आवंटन-
- 8.1 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम में एम.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।
- 8.2 गैर-विभागीय अभ्यर्थियों का सीट आवंटन म.प्र.शासन के आरक्षण संबंधी सभी नियमों के आधार पर किया जाएगा। यह आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति	16
02	अनुसूचित जनजाति	20
03	अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)	14
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10

अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मान. न्यायालय के निर्णयानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।) विभिन्न संवर्गों का क्षैतिजीय (Horizontal) आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।
5. महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे, तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जायेगा।

8.3 विभागीय उम्मीदवारों का चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरिष्ठता का क्रम होगा। समान नियुक्ति तिथि होने पर अभ्यर्थी की आयु को आधार मानकर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी।

8.4 सीट आवंटन के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

9. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया-

9.1 महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

9.2 महाविद्यालय को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। महाविद्यालय उन्हें प्रदान किए गए आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त सूची प्राप्त कर सकेंगे।

9.3 अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त होने पर एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा।

इस के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं स्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।

9.4 महाविद्यालय द्वारा एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगिन आई.डी. के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

10. शुल्क-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (02 IASEs, 06 CTEs) में प्रवेश उपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त शुल्क देय होंगे। विभागीय अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ने पर, प्रशिक्षण अवधि में हुये वेतन भुगतान एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की राशि सम्बन्धित शिक्षा महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(धनराजू एस.) 16/08/2021
संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
भोपाल दिनांक 16/08/2021

पृष्ठ. क्र/राशिके/शिशि/2020/1399
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0)।
3. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास/उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर (म0प्र0)।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाईन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त प्राचार्य, डाइट/डी.पी.सी. जिला शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(धनराजू एस.) 16/08/2021
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

Status Of Budget Distribution (DDO Wise)

Financial Year: 2025-2026

DDO: 1802004005 - Director State Science Edu. Institute JBP

Logged In User: Mrs. LAXMI SINGH (Professor)

Server Name: DCDBSRV4_Managed_4

Report Generated Time: 18/05/2026 14:14:22

Capital Heads Expenditure Limit: Limit amount : Rs.0 Expenditure : Rs.0

1802004005 (Director State Science Edu. Institute JBP)

Sr. No.	Budget Head	Allotment Period	Allotment	Surrender Amount	Accounted Expenditure	Bills Under Process	Remaining Budget	Available BCO Expenditure Limit
1	027-2202-02-105-9999-3668-11-001-V	APR-MAR	2,95,97,070.00	0.00	2,58,44,685.00	0.00	37,52,385.00	0.00
2	027-2202-02-105-9999-3668-11-003-V	APR-MAR	1,73,88,539.00	0.00	1,49,65,934.00	0.00	24,22,605.00	0.00
3	027-2202-02-105-9999-3668-11-004-V	APR-MAR	61,931.00	0.00	57,643.00	0.00	4,288.00	0.00
4	027-2202-02-105-9999-3668-11-006-V	APR-MAR	23,62,175.00	0.00	20,41,125.00	0.00	3,21,050.00	0.00
5	027-2202-02-105-9999-3668-11-008-V	APR-MAR	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
6	027-2202-02-105-9999-3668-11-009-V	APR-MAR	2,00,000.00	1,04,591.00	95,409.00	0.00	0.00	0.00
7	027-2202-02-105-9999-3668-19-001-V	APR-MAR	7,93,600.00	0.00	7,93,600.00	0.00	0.00	0.00
8	027-2202-02-105-9999-3668-19-003-V	APR-MAR	4,55,800.00	796.00	4,55,004.00	0.00	0.00	0.00
9	027-2202-02-105-9999-3668-19-004-V	APR-MAR	10,944.00	2,832.00	8,112.00	0.00	0.00	0.00
10	027-2202-02-105-9999-3668-19-006-V	APR-MAR	75,000.00	126.00	74,874.00	0.00	0.00	0.00
11	027-2202-02-105-9999-3668-19-008-V	APR-MAR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12	027-2202-02-105-9999-3668-22-001-V	APR-MAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
13	027-2202-02-105-9999-3668-22-002-V	APR-MAR	27,644.00	0.00	27,644.00	0.00	0.00	0.00
14	027-2202-02-105-9999-3668-22-003-V	APR-MAR	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	027-2202-02-105-9999-3668-22-004-V	APR-MAR	33,000.00	29,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
16	027-2202-02-105-9999-3668-22-005-V	APR-MAR	2,22,597.00	0.00	2,22,597.00	0.00	0.00	0.00
17	027-2202-02-105-9999-3668-22-006-V	APR-MAR	40,000.00	31,995.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00
18	027-2202-02-105-9999-3668-22-007-V	APR-MAR	15,000.00	958.00	14,042.00	0.00	0.00	0.00
19	027-2202-02-105-9999-3668-22-013-V	APR-MAR	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	027-2202-02-105-9999-3668-31-003-V	APR-MAR	11,000.00	20.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00
21	027-2202-02-105-9999-3668-31-010-V	APR-MAR	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	027-2202-02-105-9999-3668-34-009-V	APR-MAR	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	027-2202-02-105-9999-3668-37-000-V	APR-MAR	5,00,000.00	28,939.00	4,71,061.00	0.00	0.00	0.00

राज्यालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

TIME TABLE FOR B.Ed (Sc.) & M.Ed (Sc.) FROM JULY 2025 TO DECEMBER 2025

Revised

PRAYER 11:15 11:30	SEMESTER	Period - I 11:30-12:20	Period -II 12:20-1:10	1:10 - 2:00	Period-III 2:00-2:50	Period-IV 2:50-3:40	Period-V 3:40-5:00
	M.Ed. I	Educational Research Course 2 M. (U1)- Shri P K Behre T. W.- (U 4,5) Dr. R. Pandey Th. F.- (U2,3) Smt. S. Jain	Information and Communication Technology Course 3 M.T.W. (U1,2,3) - Shri P. K. Behre Th.F. (U 4,5) - Smt. B. Sharma Practical- Smt. B. Sharma / Shri Quazi S Ahmed	Philosophical Perspective of Education Course 1 M.T. (U1,2)-A. Ayachi W.Th.F. (U3,4,5) - S. Pandey	Science Education M.T.W. (U1,2) Dr. J. Karlekar Thu. F. (U 3,4)- Shri P K Behre	Field Engagement M.T.W. - Dr. R Pandey/ Smt S. Jain Review of Literature Th. F.- Dr. R Pandey Smt. S. Pandey	Proposal Dr. R. Pandey Library Smt. Manika Kanojia Attendance MED Smt. Zarina Bed Smt. Zarina BED Smt. Shabana Parveen
	M.Ed. III	Educational Research Course 2 M.T.W.(U,1,2) - Smt S. Jain Th. (U3, 4) -Smt. A. Ayachi F. (U 5) - Dr. R. Pandey	Sociological Perspectives of Education Course 10 Th.F. (U 1,2) - Smt. S. Nisa W. (U5)- Dr. N. Sharma M.T. (U3,4)- Smt. B. Garhwal	Edu. Administration M.T.W. U1,2,3 Smt. S Jain Th. F U3,4 Shri P K Behre G&C - M.T.U 1,2 Smt S. Pandey F. U3 Smt A Ayachi W.Th. U 4,5 Smt B Sharma	Language Across The Curriculum CCA M. (U1)- Smt. Zarina Khan T. W. (U2,3) -Shri M L Sharma Reading & Refson Texts Th. (U1)- Smt. Zarina Khan F. (U2,3)- Smt. B. Garhwal	Library Smt. Manika Kanojia Attendance MED Smt. Zarina Khan Bed Smt. Shabana Parveen	
	B.Ed I	Childhood & Growing Up CCI M.T. (U 3,4) Smt. B. Sharma W. Th. F (U 1,2) Shri R.K. Yadav	Curriculum Development and School CC3 M (U 1) - Dr. R. Pandey T. W. (U 2) - Smt. S. Nisa Th. F. (U 3,4) - Dr. S. Johnson	Education in India CC2 M.T.(U1) Shri Ajay Tiwari W-(U 2) Smt. Shabana Parveen Th. F.(U 3,4)- Shri R.K. Yadav	Teaching Skills M- Dr. S. Johnson (1-4) T.- Shri R.K. Yadav (5-7) W- Smt. A Ayachi (8-10) Th.- Smt. S. Shrivastav (11-13) F- Smt. S. Nisa (14-16)	Practicals M.T. (Educational Psychology) Smt. B.Sharma Shri R.K.Yadav W.Th.F. (Chemistry/Physics) Dr. Namita Sharma/ Smt. Shabana Parveen Smt. Zarina Khan/ Shri M.L. Sharma Library Smt. Manika Kanojia Attendance MED Smt. Zarina Khan Bed Smt. Shabana Parveen	
	B.Ed III	Unit Plan, Lesson Plan, Resource Unit/ Instructional Kit/ Workbook/ Working Model M- Dr. J. Karlekar T.- Shri P. K. Behre W- Dr. S. Johnson Th.- Smt. S. Pandey F.- School Internship, Observation Records, Unit Test Administration, Evaluation and Interpretation Shri Ajay Tiwari	Maxims of Teaching and Micro Teaching CCI M.T.- Smt A. Ayachi W- Smt B Garhwal Th.F.- Shri R.K. Yadav	Teaching Skills M- Dr. S. Johnson (1-4) T.- Shri R.K. Yadav (5-7) W- Smt. A Ayachi (8-10) Th.- Smt. S. Shrivastav (11-13) F- Smt. S. Nisa (14-16)	Practicals M.T. (Educational Psychology) Smt. B.Sharma Shri R.K.Yadav W.Th.F. (Chemistry/Physics) Dr. Namita Sharma/ Smt. Shabana Parveen Smt. Zarina Khan/ Shri M.L. Sharma Library Smt. Manika Kanojia Attendance MED Smt. Zarina Khan Bed Smt. Shabana Parveen		

PRAYER, YOGA, MEDITATION ALL STAFF & STUDENTS

Director
State Institute of Special Education & CTE
Jabalpur (M.P.)

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION & COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, JABALPUR, (M.P.)

Time table for B.Ed (Sci.) and M.Ed (Sci.) from January 2026 to June 2026

	PERIOD	Period I (11:30 AM-12:20 PM)	Period II (12:20-1:10) PM	(1:10-2:00) PM	Period III (2:00-2:50) PM	Period IV (2:50-3:40) PM	Period V (3:40-4:30) PM	(4:30-5:00) PM	
Prayer, Group wise activities (All Staff and Students)	10:30 AM - 11:20 AM	SEMESTER							
	M.Ed. II	Course 8: Psychological perspective of Education Unit 1.2.3 (W, Th, F) Dr.S.Johnson Unit 4.5 (M, T) Smt. B Sharma Practical Dr. S. Johnson	Course 7: Research Data Analysis & Interpretation-I Unit 3.4 (Th, F) Smt.S. Jain Unit 1.2.5 (M,T,W) Dr. R. Pande	P C S S	Additional Specialisation Course: Science Education (Sc. Edu.) Unit 1.2 (Th, F) Smt. A. Ayachi Unit 3.4 (M, T, W) Smt. Zarina Khan	(M, T, W) Discussion on Research Proposal with Research Incharge Dr. Rajesh Pande & related Guides (Th, F) : Capacity Building Programme (CBP) based on NEP 2020 Co-ordinator: Dr. S. Johnson (M.Ed. Incharge) & Smt. S. Jain	Library Mrs. Manika Kanojlya	Evening Attendance Shri R. K. Yadav	
	M.Ed. IV	Course 15: Research Data Analysis and Interpretation-II Unit 1.2.3 (M, T, W) Smt.S.Jain Unit 4.5 (Th, F) Dr. R. Pande	Course 14 : Contemporary issues in Indian Education (CIIE) Unit 1.2 (M, T) Smt. A. Ayachi Unit 3.4.5 (W, Th, F) Shri R.K Yadav		Advanced Level Course : Educational Administration (Edu. Adm.) Unit 1.2,3 (M, T, W) Smt.S.Jain Unit 4.5 (Th, F) Dr. Ajay Tiwari Guidance and Counselling (G&C) Unit 1.2 (M, T) Smt. B. Sharama Unit 3.4 (Th, F) Shri M.L.Sharma Unit 5 (W) Dr. Namita Sharma	(M, T, W, Th, F) Discussion on Chapters of Dissertation with research incharge Dr Rajesh Pande and related Guides			
	B.Ed II	PC-2 Content cum Methodology of Teaching Biology: Unit 1.2 (M, T) Shri R.K.Yadav Unit 3.4.5 (W, Th, F) Smt.A.Ayachi Teaching Mathematics : Unit 1.2 (Th, F) Shri M.L.Sharma Unit 3.4.5 (M,T,W) Dr. R. Pande	PC-1 Content cum Methodology of Teaching Chemistry Unit 1.2 (T, W) Dr. S. Johnson Unit 3 (M) Smt.Shabana Parveen Unit 4.5 (Th, F) Dr.Namita Sharma Teaching Physics Unit 1.2 (Th, F) Dr.Ajay Tiwari Unit 3 (W) Smt. S. Jain Unit 4.5 (M, T) Smt Zarina Khan		CC-1: Learning and Teaching (L&T) Unit 1.2 (M, T) Dr. S. Johnson Unit 3 (W) Smt. A. Ayachi Unit 4. (Th, F) Smt. B. Sharma	EPC-2 (M, T, W) Mrs Zarina Khan / Mrs B. Garwal CC-4 Language across the Curriculum - 2 (LAC-2) (Th, F) Shri R.K. Yadav	Library/CBP based on NEP 2020 Coordinator Smt. A. Ayachi & Smt. Zarina Khan		
B.Ed IV	CC-1 Gender School & Society (GSS) Unit 3.4 (M, T) Dr. Namita Sharma / Smt. S. Nisa Unit 1.2 (W, Th, F) Smt.Shabana Parveen	CC-2:ET & ICT Unit 3.4 (M, T, W) Smt. B. Sharma Unit 1.2 (Th, F) Smt. Shabana Parveen ICT Lab Incharge Shri Quazi Sujat	CC-4 Action Research (A.R.) Unit 2.3 (W, Th) Dr. R. Pande Unit 3.4 (F) Dr. Namita Sharma Unit 1 (T) Smt. A. Ayachi Environmental Education (En.Edu.) Unit 1.2 (Th, F) Shri R.K. Yadav Unit 3.4 (T, W) Smt. Manika Kanojlya Guidance & Counselling (G&C) Unit 1.2 (Th, F) Dr. S. Johnson Unit 3.4 (T, W) Smt. Shabana Parveen Practical (M) Smt. A. Ayachi & Shri R. K. Yadav (Biology) Dr. R. Pande & Shri M. L. Sharma (Mathematics)		CC-3 Creating an Inclusive School (CIS) Unit 1.2 (T,W) Smt. Shabana Parveen Unit 3.4 (Th, F) Smt. Zarina Khan/ Smt. L. S. Pawalya EPC-4 Understanding the self (M) Dr. S. Johnson Shri R. K. Yadav	Library/CBP Coordinator Smt. B. Sharma (B.Ed. Incharge), Smt. S. Parveen & Shri R.K. Yadav EPC-5 Understanding of ICT (M,T,W,Th) Smt. B. Sharma, Smt. S. Parveen & Shri Quazi Sujat			

MORNING ATTENDANCE TIME: 10:30 AM to 10:40 AM

WEEKLY PRAYER TIME ACTIVITIES (Prayer, Thoughts, Value Base Activities, Reflection etc.)

TIME: 10:40 AM to 11:20 AM

WEEK	WEEK FIRST	WEEK SECOND	WEEK THIRD	WEEK FOURTH
GROUP NAME	ABDUL KALAM	ARYABHATTA	KALPANA CHAWLA	SWAMI VIVEKANAND
MENTORS	Dr. S. Johnson Smt. S. Parveen Smt. M. Kanojlya Shri Quazi Sujat	Smt. S. Jain Dr. R. Pande Smt. B. Garwal Shri M.L. Sharma	Smt. S. Nisa Smt. A. Ayachi Smt. Z. Khan Dr. N. Sharma	Smt. B. Sharma Dr. A. Tiwari Shri R.K. Yadav

Director
 SISE & CTE
 Jabalpur M.P.






(B) NAME OF FACULTY AND STAFF IN FULL AS MENTIONED IN SCHOOL CERTIFICATE ALONG WITH THEIR QUALIFICATIONS SCALE OF PAY AND PHOTOGRAPHS.

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, JABALPUR

APW CODE NO. /MIS CODE : OAPW0977 File No. : 213012

ANNEXURE - I

Consolidated Bio-Data in respect of Staff appointed by the institution - Staff Appointed by State Govt. School Education, M.P.





S.No.	Name	Designation	B.Ed. Percentage	M.Ed./M.A. Edn Percentage	PG Subject & Percentage	Ph.D. Subject	Date of Appointment	Status (Regular/ Adhoc/ Contract)	Scale of Pay	Experience		Attached Photograph
										Teacher Training Institution	School	
1	Smt. Laxmi Singh Pawaiya	संचालक		M.A. Edn - Appearing	BE - 55.46	NA	18-09-1999	REGULAR	15600-39100 + 5400	3 YEAR	25 YEARS	
2	Dr. Susamma Johnson	प्रा. उ.मा.वि (सहायक प्रध्यापक)	THE - 65.55 PRA - 90.60	M.Ed. Sc. - 73.65	Chem 70.75 MA Psychology -72.33 CCA - 78.75	CHEMISTRY	10-02-1988	REGULAR	15600-39100 + 6600	16 YEARS	23 YEARS	
3	Smt. Shamimun Nisa	प्रा. उ.मा.वि (सहायक प्रध्यापक)	THE - 51.66 PRA - 82.83	M.ED. - 65.33	Phy - 68.91, M.Phil - 63.33 M.A. (Applied Pscology) - 72.00	NA	21-03-1989	REGULAR	15600-39100 + 6600	9 YEARS	28 YEARS	
4	Smt. Sandhya Jain	प्राचार्य हाई स्कूल (सहायक प्रध्यापक) उच्च प्रभार (हा.से. प्राचार्य)	THE - 68.16 PRA - 69.75	M.Ed. - 81.66	Physics - 57.16	राचालिक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर	20-12-1989	REGULAR	15600-39100 + 6600	13 YEARS	23 YEARS	
5	Smt. Bharti Sharma	प्राचार्य हाई स्कूल (सहायक प्रध्यापक) उच्च प्रभार (हा.से. प्राचार्य)	THE - 61.83 PRA - 72.25	M.Ed. Sc. - 71.70	Chem - 72.08, M.A Pscology - 74.8 PGD Guidance & Counselling - 72.75	NA	30-07-1990	REGULAR	15600-39100 + 6600	11 YEARS	25 YEARS	

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, JABALPUR

APW CODE NO. /MIS CODE : OAPW0977 File No. : 213012

ANNEXURE - I

Consolidated Bio-Data in respect of Staff appointed by the institution - Staff Appointed by State Govt. School Education, M.P.

S.No.	Name	Designation	B.Ed. Percentage	M.Ed./M.A. Edn Percentage	PG Subject & Percentage	Ph.D. Subject	Date of Appointment	Status (Regular/ Adhoc/ Contract)	Scale of Pay	Experience		Attached Photograph
										Teacher Training Institution	School	
6	Dr. Rajesh Pande	प्राचार्य हाई स्कूल (सहायक प्रधापक) उच्च प्रभार (हा.से. प्राचार्य)	THE - 62.67 PRA - 66.83	M.Ed. - 77.25	Maths - 72.12, MA Applied Psy - 69.70	EDUCATION & MATHS	10-02-1992	REGULAR	15600-39100 + 6600	25 YEARS	9 YEARS	
7	Smt. Archana Ayachi	व्याख्याता उच्च प्रभार (प्राचार्य हाई स्कूल)	B.Ed.	M.A. Edn	M.Sc. Botany M.Phil Botany	NA	05-01-1993	REGULAR	15600-39100 + 5400	4 YEARS	29 YEARS	
8	Smt. Zarina Khan	प्राचार्य हाई स्कूल	THE - 63 PRA - 85.33	M.Ed. Sc - 62.33	M.Sc. Physics - 62.16	NA	22-07-1998	REGULAR	56100-177500	1 YEAR	27 YEARS	
9	Dr. Ajay Tiwari	प्राचार्य हाई स्कूल	THE - 62.5 PRA - 86.66	M.Ed.	M.Sc. Physics - 69	Ph.D. Physics	29-07-1998	REGULAR	56100-177500	1 YEAR	27 YEARS	
10	Shri Manohar Lal Sharma	उच्च प्रभार व्याख्याता	THE - 55.33 PRA - 68.00	M.Ed. Sc - 86.11	Maths - 41.00	NA	02-01-1989	REGULAR	15600-39100 + 5400	11 YEARS	25 YEARS	



राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्ययक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, JABALPUR

APW CODE NO. /MIS CODE : OAPW0977 File No. : 213012

ANNEXURE - I

Consolidated Bio-Data in respect of Staff appointed by the institution - Staff Appointed by State Govt. School Education, M.P.

S.No.	Name	Designation	B.Ed. Percentage	M.Ed./M.A. Edn Percentage	PG Subject & Percentage	Ph.D. Subject	Date of Appointment	Status (Regular/ Adhoc/ Contract)	Scale of Pay	Experience		Attached Photograph
										Teacher Training Institution	School	
11	Dr. Namita Sharma	उच्च. माध्य. शिक्षक	THE - 71.42 PRA - 74.00	M.Ed. Sc - 75.33	Chemistry - 64.18	EDUCATION	28-08-1997	REGULAR	56100- 177500	4 YEARS	24 YEARS	
12	Smt. Manika Kanojia	माध्यमिक शिक्षक	THE - 47.43 PRA - 82.00	M.A. Eng - 74 M.A. Hindi - 46	NA	NA	14-10-2010	REGULAR	36200- 114800	3 YEARS	12 YEARS	
13	Smt. Shabana Parveen	माध्यमिक शिक्षक	THE - 82.06	M.Ed. Sc - 83.33	M.Sc. Organic Chem - 67.50	NA	04-03-2002	REGULAR	36200- 114800	1 YEAR	23 YEARS	
14	Shri Narendra Jaiswal	सहायक शिक्षक	NA	NA	NA	NA	03-02-1986	REGULAR	9300- 34800 + 3600	11 YEARS	29 YEARS	
15	Shri Qazi Suzat Ahmad	सहायक शिक्षक	THE - 61.33 PRA - 69.75	M.A. (Edu) - 69.00	NA	NA	06-07-1994	REGULAR	9300- 34800 + 3600	29 YEARS	3 YEARS	


राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्ययक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, JABALPUR

APW CODE NO. /MIS CODE : OAPW0977 File No. : 213012

ANNEXURE - I

Consolidated Bio-Data in respect of Staff appointed by the institution - Staff Appointed by State Govt. School Education, M.P.

S.No.	Name	Designation	B.Ed. Percentage	M.Ed./M.A. Edn Percentage	PG Subject & Percentage	Ph.D. Subject	Date of Appointment	Status (Regular/ Adhoc/ Contract)	Scale of Pay	Experience		Attached Photograph
										Teacher Training Institution	School	
16	Shri Rajkumar Yadav	सहायक शिक्षक	THE - 57.50 PRA - 80.33	M.Ed. Sc - 86.50	Botany - 63.30	NA	21-11-1995	REGULAR	9300- 34800 + 3600	11 YEARS	20 YEARS	

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

92

No 000677



Main/Second

Final Examination, for the B.E. 1997, Eighth Semester

(Four-Year Degree Course)

Branch—Mechanical Engineering

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 33201

Enrolment No. AK/4619

Name Ku. Laxmi Pawaiya

	Subjects	Papers Sessional and Tests	Max. Marks	Marks Obtd.
WRITTEN PAPERS (Theory)	Ref. and Air Conditioning	Paper I	100	62 -
	Industrial Engg.	Paper	100	49 -
	Adv. M/c Design	Paper I	100	40 B
	Elective (<u>Power Plant</u>)	Paper	100	49 B
SESSIONALS	Ref. and Air Cond. Lab.	Sessional	50	35 B
	Industrial Engg. Lab.	Sessional	50	38 B
	Design Viva	Sessional	50	39 B
	Project	Sessional	100	83 B
PRACTICAL TEST	Ref. & Air Cond. Lab.	Test	75	38 B
	Industrial Engg. Lab.	Test	75	50 B
	Design Viva	Test	100	74 B
	Project	Test	100	82 B

Total of Marks obtained 639 (In words) Six hundred and thirty nine only out of 1000.

Total Weighted marks obtained from First to Final Year 1664
one thousand six hundred & sixty four only out of 3000.

RESULT :- Passed in Second Division / Failed - Compt. in

REMARKS

NOTE—B—Brought forward Marks

JABALPUR,

Prepared by [Signature]

Asstt./Dy. Registrar

Dated

Checked by [Signature]

(Exams.)

28 NOV 1997

Self Atk.
List



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

Statement of Marks for the Term End Examination of
MASTER OF ARTS (FINAL YEAR) SOCIOLOGY 2014



REGISTRATION NO. 120412257012
NAME : LAXMI PAWAIYA
S/D/W OF : MADAN GOPAL PAWAIYA
STUDY CENTER : REGIONAL CENTRE-JABALPUR (0412)



SUBJECTS	SCHEME OF MARKS						MARKS OBTAINED		
	ASSIGN		THEO		TOTAL		ASSIGN	THEO	TOTAL
	MX	MN	MX	MN	MX	MN			
INDIAN SOCIETY STRUCTURE AND CHANGE	030	006	070	014	100	036	025	036	061
SOCIOLOGY OF CHANGE AND DEVELOPMENT	030	006	070	014	100	036	019	030	049
URBAN SOCIETY IN INDIA	030	006	070	014	100	036	025	046	071
POLITICAL SOCIOLOGY	030	006	070	014	100	036	025	039	064

किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदन, अंकसूची जारी होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार्य होगा ।

IN WORDS : TWO HUNDRED FORTY FIVE OUT OF 0400

TOTAL MARKS : 0245

RESULT : PASS

DIVISION SECOND

M A R K S	FIRST YEAR		SECOND YEAR		GRAND TOTAL		* Indicates Failure in the Subjects (s) ABS Indicates Absent in the Subject(s) C Indicates Carried Forward Marks. D Indicates Distinction G Indicates Grace Marks in the Subjects US Indicates Subject Cancelled due to UFM UP Indicates Paper Cancelled due to UFM CIA Continuous Internal Assessment TMA Tutor Marked Assignment
	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	
	0214	0400	0245	0400	0459	0800	

DIRECTOR (A&E)

REGIONAL DIRECTOR

01 APR 2015

DATE

(डा. बी. भारती)
कुलसचिव
REGISTRAR

- Note : 1. Students are required to apply for revaluation/retotalling on prescribed form and also regarding any query of marks etc. Within 30 days after issue date of mark-sheet.
2. Student may apply for correction in mark-sheet within 30 days after issue date of the mark-sheet through regional centre. After this period no application will be considered.
3. Any error or omission is subject to correction by MPBOU.

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

95/

Nº 000044



REVISED

Bachelor of Education Examination.....1995.

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 209

Regi./Enrol. No. AN/9863

Name ... SMT. SUSAMMA JOHNSON
NEE SUSAMMA ABRAHAM

Paper	Subjects	Max. Marks	Mini. Pass. Marks	Marks Obtd.
I	PART I (THEORY) Principles & Practice of Education	100	33	66
II	Educational Psychology and Elementary Statistics	100	33	84
III	Development and Problems of Indian Education	100	33	51
IV	School Organisation. Health Education	100	33	64
V	METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECT : Gr. I English/Hindi/Sanskrit/ Marathi/Urdu/Biology/ Mathematics/Commerce	60	33	40
	Gr. II History/Geography/Civics Economics/Physics/Chemistry/ Agriculture/Home Science	40		15
VI	Environmental Education	100	33	73
	Total—	600	240	393
A.	PART II (PRACTICAL) Practical Teaching Work during the Session in both School Subjects offered under Paper V	100	40	90
B	(i) Final Test in Teaching Lessons (Two Subjects)	150	60	142
	(ii) Viva-Voce on Methodology of Teaching School Subjects	50	20	48
C	Test/Assignment connected with Six Theory Papers	150	—	125
D.	Socially useful productive work (i) Sessional and Theory	50	—	49
	(ii) Practical	50	—	46
E.	Community Life	25	—	20
F.	Co-curricular Activities	25	—	24
	Total—	600	240	544

Total of Marks obtained ... (in words) ...
in Part I (Theory) Three hundred & ninety three out of 600.
in Part II (Practical) Five hundred & forty four out of 600.

Attested
10/3/17

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 208

Regi./Enrol. No. AN/9863

Name ... SMT. SALSAMMA JOHNSON
NEE SALSAMMA ABRAHAM

Paper	Subjects	Max. Marks	Mini. Pass. Marks	Marks Obtd.
I	PART I (THEORY) Principles & Practice of Education	100	33	66
II	Educational Psychology and Elementary Statistics	100	33	84
III	Development and Problems of Indian Education	100	33	51
IV	School Organisation. Health Education	100	33	64
V	METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECT : Gr. I English/Hindi/Sanskrit/ Marathi/Urdu/Biology/ Mathematics/Commerce Gr. II History/Geography/Civics Economics/Physics/Chemistry/ Agriculture/Home Science	60	33	40
VI	Environmental Education	100	33	73
	Total—	600	240	393
A.	PART II (PRACTICAL) Practical Teaching Work during the Session in both School Subjects offered under Paper V	100	40	90
B	(i) Final Test in Teaching Lessons (Two Subjects)	150	60	142
	(ii) Viva-Voce on Methodology of Teaching School Subjects	50	20	48
	Test/Assignment connected with Six Theory Papers	150	—	125
D.	Socially useful productive work (i) Sessional and Theory	50	—	49
	(ii) Practical	50	—	46
E.	Community Life	25	—	20
F.	Co-curricular Activities	25	—	24
	Total—	600	240	544

Total of Marks obtained ... (in words) Three hundred & ninety three out of 600. 10/3/17
in Part I (Theory)
in Part II (Practical) Five hundred & forty four out of 680.

RESULT—Part I (Theory) Passed in FIRST Divi./Failed.
Part II (Practical) Passed in FIRST Divi./Failed.

Remarks X
Jabalpur, Prepared by [Signature] Asstt./Dy. Registrar
Dated 30 NOV 1995 Checked by [Signature] (Exams.)

**RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
JABALPUR (M.P.)**



No. :
09/ED/18098

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of

MASTER OF EDUCATION (SCIENCE) EXAMINATION 2009

ROLL NO : 41788
ENROL NO: AN/9863

CATEGORY : Reg
NAME : Smt SUSAMMA JOHNSON
F/H NAME : JOHNSON PAUL
MOTHER NAME : ALYAMMA ABRAHAM
State Institute of Science Education, Jabalpur

SUBJECTS	MIN	MAX	PART I	PART II
Philosophical & Sociological Foundations of Education	33	100	59	
Psychological Foundations of Education	33	100	74	
Methodology of Educational Research & Data Analysis	33	100	66	
Environment Education	33	100	61	
Science Education	33	100	67	
Guidance & Counselling	33	100	74	
Dissertation	40	100		86
Viva Voce on Dissertation	40	100		88
Psychology Practical	16	40		37
Assignments	24	60		51
			TOTAL	401 262

Part I : Four Hundred One Out of 600

Result: PASS

Division: First

Percent: 66.83%

Part II: Two Hundred Sixty Two Out of 300

Result: PASS

Division: First

Percent: 87.33%

Gr.Total: 663/900 In words : Six Hundred Sixty Three Out of 900

Passing Individual Subject & Agg 40%.

Seperate in Part I & Part II

Dt: 12/08/09

DIRECTOR
State Institute of Science Education
(S.I.E.) JABALPUR

Saraswati Vihar, Jabalpur

Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse.

Attested
[Signature]
10/3/17

[Signature]
Vijay Patel
U.C. Assistant Registrar (Exam.)
U.C. Assistant Registrar (Exems.)

कक्षा I



14

अनुक्रमांक 6742

नियमित / पूर्व छात्र

अंकसूची

एम० एस० सी० उत्तराखंड (भौतिक रसायन) परीक्षा, १९६६

परीक्षार्थी का नाम सुख सुसज्जा अग्रवाल

नामांक B-81-967

पिता का नाम श्री ६० २६० अग्रवाल

केन्द्र: ज्योतिषीयन अलायि-पीक

पूर्णांक सूचक	सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र				सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों का योग	क्रियात्मक	प्राप्तांकों का योग	कुल एक-दली-पूर्णांक के प्राप्तांकों का योग	सूचक	विवरण
	I	II	III	IV						
	100	100	100	100	400	200	600	600	1200	उत्तीर्ण बेनी I प्रथम अनुसंधान
					144	79	216	216	432	
प्राप्तांक	67	82	62	70	281	170	451	398	849	

Self Attended
10/3/17

टिप्पणी—(1) अंकों पर जमा हुआ कुल अनुसूची होने का ध्यान रखें। (2) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के विषये पूर्णांकों के योग का 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। (3) सैद्धान्तिक एवं क्रियात्मक परीक्षा में बलव-अलग उत्तीर्ण होगा आवश्यक है।

विश्वविद्यालय कार्यालय, रोड

मुख्य अधिकारी -

प्रति उत्तीर्ण

दिनांक 22 JUN 1967

सहायक अधिकारी -

मुख्य अधिकारी, दिल्ली

RANI DURGAVAI VISHWAKARMA UNIVERSITY
JABALPUR (M.P.)



Sr. No.: 13/PG/1

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of

M A Final, Psychology Main Exam 2014

ROLL NO : 316516

NAME : Smt SUSAMMA JOHNSON
F/H NAME : JOHNSON PAUL
MOTHER NAME : ALYAMMA ABRAHAM
Govt. Mahakoshal Autonomous Arts & Commerce College, Jabalpur

ENROL NO: PAN/9863
CATEGORY: N/C

SUBJECTS		MIN	MAX	MKS	OBT.	TOTAL
Psychopathology	Th		100	68		68
Social Psychology	Th		100	78		78
Practical - I	Pr		100	82		82
Practical - II	Pr		100	82		82
Personality Theories	Th		100	76		76
Clinical Psychology	Th		100	81		81
Four Hundred Sixty Seven Out of				600		467

Previous : 401 Out of 600 Final : 467 Out of 600
Result : PASS Division : First
Percentage: 72.33% Gr.Total : 868 Out of 1200
Passing 36% agg. Seperate in Theo and Pract.
04-03-2015

Attested
[Signature]
10/3/17

[Signature]
Aast./Dy. Registrar (Exams)
me

Saraswati Vihar, Jabalpur
Clarification of the Abbreviations used may be seen on reverse

KULPATI, RANI DURGEVATI VISHWAVIDYALAYA

Notification No. conf./TAC/2007/13

Jabalpur, dated 21st December, 2007.

It is notified for information of all concerned that the Kulpati, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur under Section 15(4) of the M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973 approved the reports of the examiners of the theses submitted by the following research scholars and cleared them eligible for the awards of the Degree of Doctor of Philosophy as noted against them viz:

Sl. No.	Name of the Research scholars & Address	Title of the Thesis	Name of the Supervisor	Subject	Faculty	Dr. Y.
1.	Ku. Minku Chouresiya D/o Shri M.P. Chouresiya Bh. Jang Ward, Godegan, Dist. Narsinghpur (M.P.)	"हिन्दी के प्रमुख महात्मीय व्यक्तियों में चिन्तित लोक सांस्कृतिक जीवन-प्रणाली का अध्ययन"	Dr. Kiran Jain	Hindi	Arts	31.10.07
2.	Smt. Neeta Choubey C/o Shri S.K. Choubey 261, Shanti Nagar, Dambh Naka, Jabalpur.	"अनुच्छेद 370 के संदर्भ में वस्तु वर्गीकरण में भारतीयता की समझ का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"	Dr. Ram Shankar	Political- Science	Social- Science	21.11.07
3.	Smt. Pushpa Taneja 50, Ashok Vihar, Beside P.M. Godawan, Rampur, Jabalpur.	"राजकीय योजनाओं का प्रभाव जनजातों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रभाव" [दिल्ली की जिनके विशेष संदर्भ में]	Dr. S.K. Sahoo	Rural Studies & Population Education	Education	30.11.07
4.	Mrs. Susamma Johnson B-1/6, Datt Arcade, South Civil Lines Jabalpur.	"REMOVAL OF SOME TOXIC METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY THE ADSORPTION INTO RE-GENERATING SUPERABSORBENT HYDROGELS"	Dr. S.K. Bajpai	Chemistry	Science	1.12.2007

Self Attested
[Signature]

..2/-

**AWADH PRATAP SINGH VISHWAVIDYALAYA
REWA (M.P.)**
MAIN EXAM. 1984.

STATEMENT OF MARKS



006762

ROLL NO. 00216	ENROLLMENT NO. 8/81/967	NAME OF EXAMINATION B.Sc. (PART-III)
NAME OF THE CANDIDATE K.U. SUSAMMA ABRAHAM		STATUS REGULAR
FATHER'S NAME K.A.A. ABRAHAM		S. NO. 00289
		NAME OF THE COLLEGE/CENTRE GOVT. GIRLS COLLEGE REWA

SUBJECTS		SCHEME OF MARKS				MARKS OBTAINED			RESULT CODE	
		I	II	III	IV	I	II	III		TOTAL
GENERAL ENGLISH	TH	050	000	000	017	050	20		200	
CHEMISTRY	TH	033	033	034	033	100	17	12	27	510
CHEMISTRY	PR	050	000	000	017	050	34			340
BOTANY	TH	050	050	000	033	100	32	28		600
BOTANY	PR	050	000	000	017	050	44			440
ZOOLOGY	TH	050	050	000	033	100	36	27		630
ZOOLOGY	PR	050	000	000	017	050	43			430
					450	TOTAL			295	

EXAMINED OVER		MARKS OBTAINED		FINAL YR.		PRV. YR.		GRAND TOTAL		RESULT	DIVISION
TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF		
000	000	295	450	295	450	308	450	603	900	PASS	FIRST

1. * INDICATES PASS
2. @ INDICATES PASS BY GRACE
3. # INDICATES FAIL

UNIVERSITY OFFICE, REWA.
DATED 10th JUL 1984

Attested
10/3/17

Registrar
REGISTRAR (EXAM.)
A.P.S. UNIVERSITY, REWA.

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

Statement of Marks for the Term End Examination of

CERTIFICATE IN COMPUTER APPLICATIONS (CCA SIX MONTHS PROGRAMME)
GYAN SANSAR SCHEME FOR SCHOOL SESSION 2006-07

NAME: SMT S. JOHNSON

REGISTRATION NO.: K61885CA068

S/D/W OF:

CENTRE: GHSS (P.L.S. JHA), JABALPUR (1885)

SUBJECTS	SCHEME OF MARKS					MARKS OBTAINED				
	TMA MAX	PRAC MAX	PROJ MAX	THEORY MAX	TOTAL MAX	TMA	PRAC	PROJ	THEORY	TOTAL
CCA-01: FUNDAMENTAL OF COMPUTER & INFORMATION TECHNOLOGY	020	080	100	020	050	070
CCA-03: PC PACKAGE (WINDOWS: WORD EXCEL AND POWER POINT)	020	080	100	020	056	076
CCA-05: MICROSOFT ACCESS	020	080	100	019	062	081
LAB01 : COMPUTER LAB	...	100	100	...	092	092

NOTE: A MINIMUM PASSING MARKS 40% IN TOTAL OF TMA & THEORY: 50% IN LAB01

IN WORDS - THREE HUNDRED NINETEEN ONLY OUT OF 400
RESULT - PASS FIRST DIVISION

TOTAL - 319

M A R K S		GRAND TOTAL		* Indicates Failure in the Subject(s). G Indicates Grace marks in the Subject(s). C Indicates Carried Forward marks. A Indicates Absent in the Subject(s). US Indicates Subject Cancelled due to UFM. UP Indicates Paper Cancelled due to UFM. CIA Continuous internal Assessment TMA Tutor Marked Assignment
	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	
	

SISTRAR

PRINCIPAL

20/02/2007

Date

DIRECTOR (A & E)

Students are required to apply for reval./retotal on prescribed form and also for regarding any query of marks etc.
Student may apply for correction of mark-sheet within 15 days after issue of the mark-sheet through study centre. After this period no application will be considered.



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा
1981

अंक-सूची अंक सूची No 154645

रोल नम्बर	केन्द्र क्रमांक	जन्मतिथि		
125823	407	दिपि	माह	वर्ष
		09	9	68

परीक्षार्थी का नाम व पिता / पति का नाम श. सुखदेव अग्रवाल
श. सुखदेव अग्रवाल

विषय	कुल अंक	सूनातम अंको.	व्यं. अंक सं. प्रा.	प्राप्तांक प्रथम द्वितीय	सहाय्यक योग	प्रायोगिक योग	कुल प्राप्तांक	
1. विज्ञान	150	50	—	—	49	51	—	100
2. हिन्दी सामान्य	50	15	—	—	30	—	—	30
3. भा. अ.	200	66	37	12	29	41	70	113
4. रस. अ.	200	66	37	12	41	42	83	130
5. अंग्रे. अ.	200	66	37	12	41	47	88	136
	800							
तिरिक्त विषय :								
1.								
2.								

अध्यक्ष/प्राचार्य
हस्ताक्षर प्राचार्य पद गृह

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
Allected
10/3/17

सहायक सचिव

परीक्षा दृष्टाती कक्षा उच्च मा. वि. (विद्यालय, रीत (म=२०))

VIEW

**RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
JABALPUR**



ROLL NO : 00149

ENRL NO : AA/8431

STATEMENT OF MARKS

BACHELOR OF EDUCATION EXAMINATION 1994

NAME : SMT. SHAMIMUN NISA NEE SHAMIMUN NISA
F/H NAME : ABDUL MAJEED SIDDIQUI

PAPER < SUBJECT DETAILS >	SCHEME OF MKS. MARKS OBTAINED		
	I	II	TOT
T1: PRINCIPLES & PRACTICE OF EDU	100	025	060
T2: EDUCATION PSYCHOLOGY, STATISTICS	100	025	039
T3: DEV. & PROBLEMS OF INDIAN EDU.	60	40	100
B: SPL. COURSE IN EDU.: HEAST. & EVALUATION	026	020	046
T4: SCHOOL ORG. HEALTH EDU.	60	40	100
METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUB :			058
T5: GR I : MATHEMATICS	100	025	054
T6: GR II : PHYSICS	100	025	053
TOTAL MARKS IN PART I (THEORY) :			310
P1: PRACTICE TEACHING WORK FOR YEAR	100	040	085
P2: FINAL TEST IN TEACHING LESSONS	100	040	078
B: VIVA VOCE ON METHO. OF TEACHING	100	040	082
P3: ASSIGNMENT CONN. WITH THEORY PAPERS	150		126
P4: SOCIALLY USEFUL PRODUCTIVE WORK	100		087
P5: COMMUNITY LIFE	025		017
P6: CO-CURRICULAR ACTIVITY	025		022
TOTAL MARKS IN PART II (PRACTICALS) :			497
GRAND TOTAL :			807
IN WORDS : EIGHT HUNDRED SEVEN ONLY OUT OF 1200			
RESULT IN PART I (TH.) : PASS SECOND			
RESULT IN PART II (PR.) : PASS FIRST			

Jabalpur, (Incln)

Dated 12 JULY 1994

Asstt./Dy. Examinator

Abbreviations :- BF — Brought Forward Marks, DS — Distinction, ABS — Absent
FT — Fall in Theory FP — Fall in Practical
FF — Fall in whole Subject or Group
Note :- Please see notes on reverse

CATEGORY : REGULAR
CENTRE : GOVT. COLLEGE OF EDUCATION, JABALPUR

Self Attested

S. Nisa

28.03.2018

**RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
JABALPUR (M.P.)**



Sr. No. : 10/ED/22015

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of

MASTER OF EDUCATION EXAMINATION 2010

ROLL NO : 52515
ENROL NO: AA/8431

CATEGORY : Reg
NAME : Smt SHAMIMUN NISA
F/H NAME : MOHAMMAD ISMAIL
MOTHER NAME : AMANA KHATOON
Govt. College of Education, Jabalpur

SUBJECTS	MIN	MAX	PART I	PART II
Philosophical & Sociological Foundations of Education	33	100	63	
Psychological Foundations of Education	33	100	61	
Methodology of Educational Research & Data Analysis	33	100	60	
Environment Education	33	100	54	
Management Planning & Financing of Education	33	100	52	
Special Education (Exceptional Children)	33	100	47	
Dissertation	40	100		66
Viva Voce on Dissertation	40	100		66
Psychology Practical	16	40		38
Assignments	24	60		58

TOTAL 337 251

Part I : Three Hundred Thirty Seven Out of 600 Result: PASS Division: Second Percent: 56.17%
Part II: Two Hundred Fifty One Out of 300 Result: PASS Division: First Percent: 83.67%
Gr.Total: 588/900 In words : Five Hundred Eighty Eight Out of 900
Passing Individual Subject & Agg 40%
Separate in Part I & Part II
Dt: 29-09-2010

Saraswati Vihar, Jabalpur
Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse.

REGISTRAR
 RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
 JABALPUR (M.P.)

Self Attested
 S. Nisa
 28.03.2018

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

86/ No. 023



M. Sc. (Final) Examination, 1986.
Subject—PHYSICS

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 1023 Enrol. No./Regn. No. RA/2421
Name. Ku. Shamim Nisa

Subject	Max. Marks	Mark obtained
Paper I Quantum Mechanics and Elements of Solid state Physics.	75 100	76
Paper II Nuclear Physics, Cosmic Rays and Elementary Particles.	75 100	68
Paper III & IV—Specials		
A—Spectroscopy	100/75	—
✓ B—Electronics and Radio Physics	100/75	57
C—Nuclear Physics	100/75	/
D—Solid State Physics	100/75	/
E—Material Science	100/75	/
✓ F—Plasma Physics	100/75	/
✓ G—Solid State devices and Digital Electronics	100/75	57
H—Applied optics and Laser Tech.	100/75	—
Practical and Viva-Voce	160	132
Sessional	40	39

Total of Marks obtained... 429 (In words) Four Hundred and Twenty Nine only

out of 500. 600

Total of Marks in M.Sc. Previous Examination... 398 (in words) Three Hundred and Ninety Eight only

out of 500. 600

Aggregate of Pre. and Final Examinations... 827 (in words) Eight Hundred and Twenty Seven only

out of 1000. 1200

RESULT :- Passed in First Division/Failed.

Remarks—If any.....

JABALPUR,

Prepared by

Asstt./By. Registrar

Dated..... 1986

Checked by

(Exams.)

2 AUG 1986

Self Attested

S. Nisa

28.03.2018

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur



84/ No 135

M. Phil. (Science) Examination.....1988

Subject.....Physics

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 112

Enrol. No. 001/2431

Name.....Ku. Shamimun Nisa

Subjects	Max. Marks	Marks Obtained
PART 'A'		
Paper I Experimental and Theoretical Methods in Physics	100	48
Paper III Physics of polymeric and opto-electronics	100	54
Paper IV microprocessors	100	40
Internal Assessment	50	38
Practical & Viva	100	87
PART 'B'		
Dissertation	100	76
Viva-Voce	50	37

Total Marks obtained 380 (in words) Three Hundred and Eighty only out of 600

RESULT :- Passed/Failed

Remarks.....

Jabalpur,

Prepared by S. Mani

Asst./Dy. Registrar
(Exams.)

Dated 21/2/1988

Checked by

Self Attested

S. Nisa
28.03.2018

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR



S NO 236

STATEMENT OF MARKS B.SC. PART III EXAMINATION, 1984 (MAIN)

ROLL NO. 8239 NAME : KUM SHAMIMUN NISA
 F/E :
 ENROLLMENT NO. A18431 CATEGORY : REGULAR
 CENTRE : GOVT. SCIENCE COLLEGE, JABALPUR

S U B J E C T	MAX MARKS	PAP			TOT	PRAC	SUB TOT	PRV YR	GRAND TOTAL
		I	II	III					
PHYSICS	150	17	24		41	34	75	86	161
CHEMISTRY	150	28	15	13	56	33	87	91	178
PURE MATHEMATICS	150	17	36	33	86		86	184	190
** TOTALS **	450						248	281	529

TOTAL MARKS OBTAINED/OUT OF - 529/ 900
 FIVE HUNDRED TWENTY NINE O/F NINE HUNDRED
 RESULT : PASSED IN SECOND DIVISION

Govt Science College, Jabalpur

[Signature]
Asstt./Dy. Registrar
 (Examinations)

Jabalpur (India)
 Dated. 04/06/84.

Abbreviations :- B - Brought Forward Marks, Dist. - Distinction, AAA - Absent,
 FT - Fail in Theory, FP - Fail in Practical.
 G - GRACE FP - FAIL IN SUBJECT

Note :- Please see notus on reverse.

Self Attested
S. Nisa
 28.03.2018



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल
हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा
1981

अंक-सूची अंकसूची No 345164

रोल नम्बर	केन्द्र क्रमांक	जन्मतिथि		
164006	515	दिनांक	माह	वर्ष
		02	04	64

परीक्षार्थी का नाम व पिता / पति का नाम श्री. रामेश्वरजी शर्मा

विषय	कुल अंक	न्यूनतम अंकी.	समा. अंक सं. प्रा.	प्राप्तांक प्रथम द्वितीय	सैद्धान्तिक योग	प्रायोगिक योग	कुल प्राप्तांक
1. हिन्दी लिखित	150	50	—	110 30	—	—	110
2. अंग्रेजी सामान्य	50	15	—	20 —	—	—	20
3. अंग्रेजी व्याकरण	200	66	—	51 65	116	—	116
4. अंग्रेजी व्याख्यान	200	66	37 12	54 37	91	49	140
5. अंग्रेजी व्याख्यान	200	66	37 12	51 33	89	49	138
	800			परीक्षा कुल	434	महायोग	434
प्रतिरिक्त विषय :							
1.							
2.							

प्रिन्सिपल / प्रिन्सिपल
S. Chatterjee
हस्ताक्षर : श्री. मेधा
Secondary School
JABALPUR

हस्ताक्षर
M. Madhavi
सहायक सचिव

Self Attested
S. Nigam
28.03.2018

MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA CHITRAKOOT - SATNA (M.P.)

'Accredited "A" Grade by NAAC'

Mode: Distance Education

M.A. (Applied Psychology) FINAL YEAR

SESSION 2019-20

Mark-Sheet

Name of Student : SHAMIMUN NISA

Registration/Roll No. :

Father/Husband's Name : SHRI MOHAMMAD ISMAIL

'184251570002'

S.N.	Name of Subject /Paper	Max. Marks	Int. Marks 30	Ext. Marks 70	Total
1.	Applied Social Psychology	100	25	49	74
2.	Fundamentals of Organizational Behaviour	100	25	50	75
3.	Personal Management and Industrial Relations	100	25	50	75
4.	Human Resource Management and Contemporary Challenges	100	25	50	75
5.	Dissertation	100			72
-	TOTAL	500			371
-	TOTAL MARKS PREVIOUS YEAR	500			349
-	GRAND TOTAL	1000			720

Result : Passed

Division : First

Failed Paper(s) : Second Year : Nil; First Year : Nil

Note :

- Passing marks - 36% (In Internal and External both)
- Third division - Below 48 to 36%
- Second division - Below 60 to 48%
- First division - Below 75 to 60%
- First division with Honours - 75% and above
- किसी भी प्रकार के सरोकार में न आये। (अन्यथा जहाँ भी के आ. वि. का के योग में सम्मिलित करें।)

Self Attested

21.04.2022

Date 15 DEC 2020

Prepared by:

Checked by:

Asstt. Registrar (Exam.)

4



BARKATULLAH VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL

(Institute of Correspondence Courses)

STATEMENT OF MARKS REGULAR

For the Examination of B.Ed. (Correspondence Course) Year 93-94

NAME : SANDHYA JAIN
 ROLL NO : 9422035
 REGISTRATION NO : JR 9422035
 NAME OF CENTRE : GOVT. COLLEGE OF EDUCATION, JABALPUR.

SHEET NO : 08006
 ENROLMENT NO : CC94/05599

Paper/Subject offered	Maximum Marks		Min Pass Marks (taken together) Ext & assignt	Marks Obtained		Total
	Ext	Assign-ment		Ext 80	Assign-ment 20	
I Principles & Technology of Education	80	20	40	057	018	075
II Educational Development & Management	80	20	40	044	017	061
III Educational Psychology	80	20	40	063	016	079
IV Non Formal Education	80	20	40	049	017	066
Methodology of Teaching Subject						
V PHYSICS	80	20	40	050	014	064
IV MATHEMATICS	80	20	40	048	016	064
Theory Total	480	120	240			409
	600					
Practical Total		400	160			279

Theory Marks obtained in words **FOUR HUNDRED NINE**

Practical Marks obtained in words **TWO HUNDRED SEVENTY NINE**

Result, Theory **PASS** **FIRST DVN**
 Practical **PASS** **FIRST DVN**

Date : **02/09/95** Office of the Institute of Correspondence Courses Bhopal

(Signature)
 Deputy Registrar
 Institute of Correspondence Courses
 Barkatullah University, Bhopal

*Self
 Answer
 Me*

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA

JABALPUR

(B++ ACCREDITED BY NAAC)



A489

NO. CC/MED05/000001 STATEMENT OF MARKS
MASTER OF EDUCATION EXAMINATION 2005 (REVAL.)
ROLL NO. 110813 E/R NO. AX/8888 CAT. REGULAR

NAME : SMT. SANDHYA JAIN
F/H NAME : A.K. JAIN
MOTHER : SMT. SUSHILA DEVI JAIN
CENTRE : GOVT. COLLEGE OF EDUCATION (PSM), JABALPUR

SUBJECT _____ MAX MIN OBT
PART-I THEORY _____

PHILOSOPHICAL & SOCIO. FOUND. OF EDU.	100	025	074
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION	100	025	064R
METHOD OF EDU. RESEARCH & DATA ANALYSIS	100	025	079
ENVIRONMENTAL EDUCATION	100	025	083
MANAGE. PLANNING & FINANCING OF EDU.	100	025	083
SPECIAL EDUCATION (EXCEPTIONAL CHILDREN)	100	025	072
TOTAL MARKS IN PART - I (THEORY)	600	216	460

PART-II PRACTICAL _____			
DISSERTATION	100	036	089
VIVA VOCE OF DISSERTATION	100	036	090
PSYCHOLOGY PRACTICAL	040	014	038
ASSIGNMENTS	060	022	058
TOTAL MARKS IN PART - II (PRACTICAL)	300	108	275

GRAND TOTAL (THEORY + PRACTICAL) 900 735
IN WORDS:- SEVEN HUNDRED THIRTY FIVE ONLY OUT OF 900
RESULT:-THEORY: FIRST (76.66%) PRACTICAL: FIRST (91.66%)

*Self
Attended
Yes*

no. of business forms: 0 070437143778

Jabalpur, (India)
20 DEC 2005

Dated

Shyam Shukla
Asstt./Dy. Registrar
(Examinations)

Abbreviations :- BF - Brought Forward Marks, DS - Distinction, ABS - Absent.
ET - Fail in Theory, FP - Fail in Practical,
FF - Fail in whole Subject or Group



JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
Statement of marks for the examination of -

Book No. 10 S. No. 10
Enrolment No. S-83-3112 Regular/Ex-Private
Roll No. 16978 Name Ku. Sandhya Jain
Father's Name Bhagumati Prasad
Subject Physics

~~M.Sc. Final~~
~~April-May 1988~~

PAPERS	SCHEME OF MARKS		MARKS OBTAINED TOTAL
	MAX.	MIN.	
01. Quantum Mechanics II	80 100	16 20	52
02. Solid state Phys Mat science	80 100	16 20	36
03. Nuclear Particle Physics	80 100	16 20	41
04. Statistical Mechanics	80 100	16 20	60
11. Adv. Electronics	80	16	20
13. Practical (SP. group)	100	36	85
12. Practical (General)	100	36	78

600 | GRAND TOTAL | 352

M A R K S	PREVIOUS YEAR		FINAL YEAR		GRAND TOTAL		RESULT	DIVISION
	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF		
	334	600	352	600	686	1200	Pass	Second

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (*).
2. The alphabet "C" adjacent to marks denotes carry forward.

del
del
del

(Signature)



**JIWAJI UNIVERSITY,
Gwalior**

B.SC.-IIP (3 YRS) marks for the examination of APRIL-1985
ROLL NO. 1559 NAME- IJM SANDHYA JAIN

SS303117 BHASWATI PRASAD

REGULAR GOVT.P.G.COLLEGE, SHIVPURI

SUBJECTS	SCHEME OF MARKS					MARKS OBTAINED			
		I	II	III	MAX	I	II	III	TOTAL
MATHS	TH	75	75	...	50 150	45	47	...	93
PHYSICS	TH	50	50	...	33 150	27	29	...	56
PHYSICS	PR	50	17 50	44	44
CHEMISTRY	TH	50	50	...	33 150	25	30	...	55
CHEMISTRY	PR	50	17 50	37	37

							450	GRAND TOTAL	295	
M A R K S	FIRST YEAR		SECOND YEAR		THIRD YEAR		GRAND TOTAL		RESULT	DIVISION
	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF		
	339	550	295	450	295	450	932	1150	PASS	FIRST

- The asterisk adjacent to marks denotes letters 'C'
- The alphabetic 'C' adjacent to marks denotes carry forward

Vidya Vihar, Gwalior

CANDIDATE COPY

[Signature]
By Registrar (Exams.)

Self Attested for

SANDHYA JAIN

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAM.,
1983

APRIL 1983
MARK SHEET

S. NO. 351133

REGULAR CANDIDATE	DIV. NO.	DIST. NO.	CENTRE NO.	SCHOOL NO.	PREVIOUS ROLL NO.	DATE OF BIRTH
12981*	1	4	1403	002	*****	28 OCT. 1966



KUM SANDHYA JAIN
D/O SRI BHAGWATI PRASAD JAIN

SUBJECT(S)	MAX MKS	MIN PASS MKS	MIN QUAL THEO	MIN QUAL PRAC	MKS PAPER I	MKS PAPER II	TOTAL MARKS THEO	PRACT MARKS	TOTAL
HINDI SPL	150	50			056	057	113		113 D
ENGLISH GEN.	50	15			033		033		033
PHYSICS	200	66	37	12	051	041	092	050	142
CHEMISTRY	200	66	37	12	047	031	078	050	128
HIGHER MATHEMATICS	200	66			056	083	139		139
ADDITIONAL SUBJECT(S) (IF ANY) ↓	000			FIRST				GRAND TOTAL	555

SEAL OF FORWARDING OFFICER OR INSTITUTION

S. Prasad
Dist. Secy. B. S. & S.
Bhopal (M. P.)

It is certified that the candidate has obtained desired proficiency in the subjects of internal examination i.e. Social Studies & Maths/ Soc. Studies and Biology/Gen. Sc. and Maths, and Craft.

(FOR REGULAR CANDIDATES ONLY)

P.T.O.

For SECRETARY

Self Adjusted
Flow

SARASWATI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR (M.P.)

Statement of marks for the examination of
MASTER OF EDUCATION (SCIENCE)
 MAR.-APR.2011

SR. NO. : 11/M/22181

ROLLNO. : 182513

ENROLLMENT NO.:BD /4379

NAME : KU. BHARTI SHARMA

STATUS. : REGULAR

F/H NAME : SHRI ASHOK KUMAR TIWARI

MEDIUM. : HINDI

M.NAME : SMT. SUSHILA SHARMA

COLLEGE : STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION, JABALPUR

S U B J E C T S		S C H E M E O F M A R K S					M A R K S			O B T A I N E D
		I	II	III	MIN	MAX	I	II	III	TOTAL
PHILOSOPHICAL & SOCIOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION	TH	100	***	***	33	100	062	***	***	062
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION	TH	100	***	***	33	100	056	***	***	056
METHODOLOGY OF EDUCATIONAL RESEARCH & DATA ANALYSIS	TH	100	***	***	33	100	074	***	***	074
ENVIRONMENT EDUCATION	TH	100	***	***	33	100	074	***	***	074
SCIENCE EDUCATION	TH	100	***	***	33	100	059	***	***	059
EDUCATIONAL TECHNOLOGY	TH	100	***	***	33	100	061	***	***	061
DISSERTATION	PR	100	***	***	0	100	082	***	***	082
VIVA VOCE ON DISSERTATION	PR	100	***	***	0	100	083	***	***	083
PSYCHOLOGY PRACTICAL ASSIGNMENTS	PR	40	***	***	0	40	037	***	***	037
	PR	60	***	***	0	60	058	***	***	058

Attested
D. W. N.
 Executive Engineer
 M. P. State Electricity Board
 Jabalpur (M.P.)

								T O T A L	
	****	****	****	****	THEORY	PRACTICAL		646	900
TOTAL MARKS OBTAINED	****	****	****	****	386	260		RESULT	DIVISION
MAX MARKS	****	****	****	****	600	300	THEORY PRACTICAL	PASS PASS	FIRST FIRST
P E R C E N T A G E :					64.33%	86.67%			

MARKS OBTAINED : THEORY : THREE HUNDRED EIGHTY-SIX OUT OF 600
 PRACTICAL : TWO HUNDRED SIXTY OUT OF 300
 AGR 40% SEPERATELY IN THEORY AND PRACTICAL.

28/12/2011

Saraswati Vihar, Jabalpur
 Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse.

5 JAN 2012

Attested
 Asst. Registrar (Exams.)
 State Institute of Science Education
 Jabalpur (M.P.)



Book No. 1

Sl. No. 20

Roll No. J232 ...

Regular/Ex-Student

Mark-Sheet

M. Sc. Final (Inorganic/Organic/Physical Chemistry)-Exam. 1989

Name... K. Bharti Sharma

Enrolment No. B.84-1445

Fathers Name... G. B. Sharma

Center Sidd. College Satna

	Theory Papers						Total of theory Papers	Practical	Total Marks obtained	Total Marks obtained in M. Sc. Prev.	Grand Total	Result	
	Instrumental Analysis Compulsory			a. Nuclear Chem.	b. Chemistry of Drugs	c. Environmental Chem.							d. Industrial Chem.
	V	VI	VII	VIII Optional papers									
Max Marks	100	100	100	100			400	200	600	600	1200		
Min. Marks							114	72	216	216	432		
Marks Obtained	70	60	72	-	-	-	62	264	172	436	429	865	Passed ✓ Div. I st <u>First</u> Fail

- Note—(i) Marks encircled indicated failed.
 (ii) It is necessary to obtain 36% of the maximum marks to pass the examination.
 (iii) It is also necessary to pass in theory and practicals separately.

Attested
 Date = 3 AUG 1989
 Executive Engineer
 M. P. State Electricity Board
 Jabalpur (M. P.)

Prepared by [Signature]
 Checked by [Signature]
 Asstt. Registrar Exam.)
 A. P. S. University Rewa (M.P.)



No.DE

175518

MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
CHITRAKOOT - SATNA (M.P.)
'Accredited "A" Grade by NAAC'

Mode: Distance Education

M.A. (Applied Psychology) FINAL YEAR

SESSION 2015-16

Mark-Sheet

Name of Student : BHARTI SHARMA

Father/Husband's Name : G.B.SHARMA

Registration/Roll No. :

14/0421910051

S.N.	Name of Subject /Paper	Max. Marks	Int. Marks 30	Ext. Marks 70	Total
1.	Applied Social Psychology	100	28	43	71
2.	Fundamentals of Organizational Behaviour	100	28	50	78
3.	Personal Management and Industrial Relations	100	28	45	73
4.	Human Resource Management and Contemporary Challenges	100	28	47	75
5.	Dissertation	100	-	-	64
-	TOTAL	500			361
-	TOTAL MARKS PREVIOUS YEAR	500			387
-	GRAND TOTAL	1000			748

Result : Passed

Division : First

Failed Paper(s) : First Year : Nil; Second Year : Nil

Note :

- Passing marks - 36% (In Internal and External both)
- Third division - Below 48 to 36%
- Second division - Below 60 to 48%
- First division - Below 75 to 60%
- First division with Honours - 75% and above.
- किसी भी प्रकार के सशोधन हेतु आवेदन, अक्सूची जारी होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार्य होगा।

Date : 6 JAN 2017

Prepared by :

Checked by :

Asstt. Registrar (Exam.)

सहायक कुलपति (परीक्षा)

दूरदर्शी अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

JABALPUR (M.P.)

2013/No



CC/PGDGC212/000004
STATEMENT OF MARKS
P.G.DIPLOMA IN GUID. & COUNSELLING (II SEM.) EXAM. 2012
ROLL NO.: 1097903 E/R NO.: BD/4379 CAT.: REGULAR
NAME : KU. BHARTI SHARMA
F/H NAME : ASHOK KUMAR TIWARI
MOTHER : SMT. SUSHILA SHARMA
CENTRE : GOVT. COLLEGE OF EDUC. PSY. & GUID., JABALPUR

SUBJECT	MAX	MIN	OBTAINED
THEORY & PRACTICE OF GUIDANCE	50	20	034
CONSELLING PSYCHOLOGY	50	20	035
VOCATIONAL PSYCHOLOGY	50	20	040
REHABILITATION PSYCHOLOGY	50	20	031
PRACTICAL	100	40	076
INTERNAL ASSESSMENT	100	40	077
TWO HUNDRED NINETY THREE ONLY			293
TOTAL IN FIRST SEMESTER			289
GRAND TOTAL			582
PERCENTAGE-72.75%			RESULT:-FIRST DIVISION

Attested
[Signature]
PRINCIPAL
Govt. Higher Sec. School
Tamarhal, Jabalpur (M.P.)

[Signature]
Asstt./Dy. Registrar
(Examinations)

Jabalpur, (Ind) 2013

Dated

Abbreviations :- B - Brought Forward Marks, D - Distinction, ABS- Absent,
FT - Fail in Theory, FP - Fail in Practical FF - Fail in whole Subj. or Group
Note : Please See notes on reverse

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म० प्र०)

प्रतिष्ठापक प्राप्तांक 23

अनुक्रमणिका 8551



नियमित/पूर्व/स्वाध्यायी छात्र

No 2244

अंकसूची

बी० एल० सी० भाग ३ (मुख्य/द्वितीय) परीक्षा १९०७
 परीक्षार्थी का नाम श्री. काशी शर्मा नामांकन: 1386/1465
 पिता का नाम श्री. काशी शर्मा केन्द्र शा. रीवा (म० प्र०)

विषय	पूर्वांक	प्रश्न-पत्र 1	प्रश्न-पत्र 2	प्रश्न-पत्र 3	प्रश्न-पत्रों का योग (अंकित के लिए)	क्रियात्मक	योग	उत्तीर्ण
	सूचकांक	50/33	50/34	50/33	100/33 150/50	50/17	150/50 50/17	
सामान्य हिन्दी (केवल एक प्रश्न-पत्र)	50/17							उत्तीर्ण ✓
सामान्य अंग्रेजी (केवल एक प्रश्न-पत्र)	50/17						31	उत्तीर्ण ✓
उत्तम शास्त्र	150	16	25	21	62	45	107	
अनुरूप शास्त्र	150	32	31	-	63	43	106	
प्राचीन विज्ञान	150	39	34	-	73	43	116	
भौतिक शास्त्र	150							
गणित	150							
भू-विज्ञान	150							
सैन्य विज्ञान	150							
सांख्यिकी	150							

विषयों का योग	
पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के अंकों का योग	
बी० एल० सी० भाग 3 के प्राप्तांक	329 / 450
बी० एल० सी० भाग 2 के प्राप्तांक	302 / 450
प्राप्तांकों का महायोग (अंकों में)	631 / 900

Attested
Answer
Executive Engineer
M. P. State Electricity Board
Jabalpur (M. P.)

टिप्पणी—(1) अंकों पर लगा हुआ दूरा अनुत्तीर्ण होने का शोचक है। (2) "C" पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के अंकों का शोचक है। (3) उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। (4) वैज्ञानिक एवं क्रियात्मक परीक्षाओं दोनों में ही अलग-अलग 33 प्रतिशत उत्तीर्णांक आवश्यक है। (5) शा० हि०, सा० अ० के अंक महायोग में नहीं जोड़ा गया है।

विश्वविद्यालय कार्यालय, रीवा
 दिनांक 5/11/2007

निष्काशक
 निष्काशिका

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
 श्री. अ. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म० प्र०)

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

S.No. 086629



ROLL NUMBER

414567

CERTIFICATE

HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 1984



NAME OF CANDIDATE: CHANDER SHEKHAR SHARMA

NAME OF FATHER: CHANDER SHEKHAR SHARMA

DATE OF BIRTH: 06.11.1967

AGE: SIXTY SEVEN

DATE OF EXAMINATION: APRIL-MAY 1984

SCHOOL: SARASWATI HIGHER SECONDARY SCHOOL SATNA

CATEGORY: REGULAR

CLASS: HINDI

MARKS: SPL. GEN. 70

MARKS: ENGLISH 70

MARKS: PHYSICS 70

MARKS: CHEMISTRY 70

MARKS: BIOLOGY 70

FOR REGULAR CANDIDATES ONLY - THE CANDIDATE HAS ATTAINED PROFICIENCY IN SOC. STUDIES & MATHS. AND CRAFT

ADDITIONAL SUBJECT (IF ANY)

DATE: 5TH JULY, 1984

PLACE: BHOPAL

SECRETARY

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

Attested
Executive Engineer
M.P. State Electricity Board
Jabalpur (M.P.)

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAM.
1984

REGULAR

APRIL-MAY 1984

105267

MARK SHEET

S. NO.

CANDIDATE	DIV. NO.	DIST. NO.	CENTRE NO.	SCHOOL NO.	PREVIOUS ROLL NO.	DATE OF BIRTH
ROLL NUMBER 118567	4	2	8208	042	****	06 NOV. 1967

KUM BHARTI SHARMA
D/O SRI G B SHARMA



SUBJECT (S)	MAX. MRS.	MIN. PASS MRS.	MIN. QUAL. THRD.	MIN. QUAL. PRAE.	MKS. PAPER I	MKS. PAPER II	TOTAL MARKS THEO.	PRACT. MARKS	TOTAL
HINDI (SPECIAL)	150	50			47	87	104		104
ENGLISH (GENERAL)	50	15			43		043		043 D
PHYSICS	200	66	37	12	61	56	117	50	167 D
CHEMISTRY	200	66	37	12	58	63	121	50	171 D
BIOLOGY	200	66	37	12	53	71	124	49	173 D
ADDITIONAL SUBJECT (S) (IF ANY) ▼	800			FIRST				GRAND TOTAL	658

SEAL OF FORWARDING OFFICER
 OR INSTITUTION

(Signature)
 Prasad
 Assistant Hr. Sec. School
 Satna (M.P.)

I certify that the candidate has obtained desired proficiency in the subjects of internal examination i.e. Social Studies & Maths/Gen. Studies and Biology/Gen. Sc. and Maths; and Craft.

(FOR REGULAR CANDIDATES ONLY)

(P. T. O.)

(D. C. JAIN)
 SECRETARY

Attested
(Signature)
 Executive Engineer
 M. P. State Electricity Board
 Jabalpur (M. P.)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(NAAC ACCREDITED B⁺⁺ UNIVERSITY)



विद्यावाचस्पति

15081

प्रमाणित किया जाता है कि

डॉ० राजेश पाण्डेय

को इस विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत शिक्षा विषय में

विद्यावाचस्पति (डॉक्टर ऑफ फिलासफी)

की उपाधि से वर्ष २००८ में विभूषित किया गया।

इनके शोध प्रबन्ध का विषय है —

"स्कूल स्तर पर गणित शिक्षण का मूल्यांकन - अध्ययन"

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that

Dr. Rajesh Pandey

has been admitted to the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in Education

in the Faculty of Education in this University in the year 2008.

The title of his thesis is -

"स्कूल स्तर पर गणित शिक्षण का मूल्यांकन - अध्ययन"

जबलपुर, दिनांक : 14 अक्टूबर, 2008

Jabalpur, Dated : 14th October, 2008

Dr. S. M. Paul Khurana

कुलपति

Vice-Chancellor

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

No 000003



M. Ed. Exam. *April* 2000,

(One Year Degree Course)

STATEMENT OF MARKS

Roll No. *719* Enrol./Regn. No. *AO/7598*
 Name *Rajesh Kumar Pande*
 Father's/Husband's Name Shri *Krishna Kumar Pande*
 Regular/Ex-Student of Govt. College of Education, Jabalpur

Paper	Subject	Max. Marks	Min. Pass. Marks	Marks Obtd.
I	PART I (THEORY) Philosophical & Sociological Foundation of Education	100	35	88
II	Advanced Education Psychology (Theory)	75	35	55
	Advanced Education Psychology (Practical)	25		24
III	Elements of Educational Research and Statistics	100	35	42
IV	OPTIONAL (4) Advanced Environmental Evaluation. OR	100	35	76
V	OPTIONAL (2) Education Administration. OR	100	35	59
Total—		500	200	344
Dissertation		100	—	89
Viva-Voce		100	—	90
Assignment Connected with Five Theory Papers		100	—	95
Total .		300	120	274

Total of Marks obtained in (Part I & II) *618*... (In words)
Six hundred and eighteen only out of 800.
 RESULT—Passed in *FIRST*... Division/Failed.
 Remarks

JABALPUR

Dated *8 JUL 2000*

Prepared by : *[Signature]*

Asstt/Dy. Registrar

Checked by : *[Signature]*

(Exams.)

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR



STATEMENT OF MARKS

BACHELOR OF EDUCATION EXAM. 1996

ROLL NO: 0098 ENROL.NO. :AD/7598
NAME: RAJESH KUMAR PANDE
F/H NAME: KRISHANA KUMAR PANDE
CENTRE : GOVT. COLLEGE OF EDUCATION JABALPUR

SUBJECT	MAX	MIN	OBT	TOT
THEORY				
1. PRINC & PRACT OF EDU	100	033	070	070
2. EDU.PSY. & ELE. STAT.	100	033	052	052
3. DEV & PROB OF IND EDU	100	033	058	058
4. SCHL ORG & HEALTH EDU	100	033	068	068
5. METH OF TEACHING SCH SUB	100	033		067
GR-I MATHEMATICS				040
GR-II PHYSICS				027
6. ENVIRONMENTAL EDU.	100	033	061	061

TOTAL MARKS IN PART I (TH.):	600	240		376

PRACTICAL				
1.PRACT TCHNG WORK	100	040	062	062
2a.FINAL TEST PRACT	150	060	088	088
2b.FINAL TEST VIVA	050	020	030	030
3.TEST ASSIGNMENT	150		118	118
4.S.U.P.W.	100			073
a.SESSIONAL & INT.ASS.				038
b.FINAL PRACT.TEST				035
5.COMMUNITY LIFE	025		020	020
6.COCURR.ACTIVITIES	025		010	010

TOTAL MARKS IN PART II (PR.):	600	240		401

GRAND TOTAL : 1200 777
IN WORDS : SEVEN HUNDRED SEVENTY SEVEN ONLY OUT OF 1200

RESULT IN PART I (TH.) : FIRST
RESULT IN PART II (PR.) : FIRST

CATEGORY : REGULAR

Jabalpur, (India)

Dated 15 JUNE 1996

Rajesh Kumar Pande
Asstt./Dy. Registrar
(Examinations)

Abbreviations :- BF - Brought Forward Marks, DS - Distinction, ABS - Absent,
FT - Fail in Theory, FP - Fail in Practical,
FF - Fail in whole Subject or Group
Note :- Please See notes on reverse.



डाक्टर हरीलाल गौर विश्व विद्यालय, सागर

सागर विश्वविद्यालय

अस्थायी प्रमाणपत्र

क्रमांक 193



पंजीयन क्रमांक 966-V

प्रमाणित किया जाता है कि श्री।सुश्री।श्रीमती राजेश कुमार पांडे
को अधिसूचना क्रमांक Res/phd/32/8155 दिनांक 30-9-80 के

द्वारा इस विश्वविद्यालय की पी० एच० डी० उपाधि के योग्य घोषित किया गया है।

यह उपाधि इन्हें अगले दीक्षांत समारोह में प्रदान की जावेगी।


शोध प्रबन्ध का विषय "Some Problems on Fixed Point Theorems"

निर्देशक डा० कै० कुरेशी

विभाग गणित

संकाय साईस

दिनांक 8-9-98


Deputy Registrar (Adm)
Doctor Harilal Gour
सागर विश्वविद्यालय
SAGAR (M. P.)

Doctor. Harisingh Gour Vishwavidyalaya Sagar

(Formerly: University of Saugar)

STATEMENT OF MARKS

M. A. / M. Sc. (Final) Examination in MATHEMATICS of 1987

Roll No... 10894



No 000348

Enrol. No E/7909

Name of Candidate... Rajesh Kumar Pande

Father's / Husband's Name Shri Krishna Kumar Pande

Centre- Narsinghpur

Category-Regular / Ex-Student / Non Collegiate / Improvement of Division

PAPER		Max Marks	Min. pass Marks	Marks Obtained	Total Marks Obtained
Compulsory	Paper I Functional Analysis	100		70	
	Paper II Advanced Real & Complex Analysis	100		63	
Any Two Paper III & IV	(a) Topology	100	144		
	(b) Differential Equations & Integral Equations	100			
	(c) Spherical Harmonics	100			67
	(d) Hydro Statics and Hydro Dynamics	100			
	(h) Theory of Distribution	100			42
				142	242

Total of Marks obtained ... 242

out of 400

Total of Marks obtained in M. A. / M. Sc. (Prev) ... 335

out of 400

Grand Total of Marks obtained... 577 ... (in words) Five hundred seventy seven out of 800

PASSED IN First DIVISION / ~~FAILED~~

Prepared by [Signature] Checked by [Signature]

Date of receipt of mark-sheet by the Department / College 21.7.87

For Registrar

SAGAR

Signature

Dated 18-7-1987

[Signature]
 Dy. Registrar (Examinations)
 Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya
 Sagar, M.P.
 Vishwavidyalaya, Sagar

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR

No.Res/Ph.D./32/ 8155

Sagar, Dated, 30.11.1990.

NOTIFICATION

It is notified that the Vishwavidyalaya, after considering the reports of the examiners concerned has accepted the thesis submitted by the following candidate and declared him eligible for the award of the Degree of 'Doctor of Philosophy' (Ph.D.) of the Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar on this 30th day of November, 1990 :-

Name of the Candidate : Shri Rajesh Kumar Pande
Name of the Supervisor : Dr. K. Qureshi
Department : Mathematics
Faculty : Science
Title of the Thesis : "Some Problems on Fixed Point Theorems"
Date of Registration : 13.1.1988


Approved by the Kulpati under Section 15(4)
of the M.P.V.V. Adhiniyan, 1973, on behalf
of the Executive Council.


(M.S. Dubey)
REGISTRAR

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR

Copy forwarded, for information and necessary action to :-

1. Head of the Dept.of Mathematics, U.T.D., Sagar
2. Dean, Faculty of Science
3. Dr. K. Qureshi, Head, Dept.of Mathematics, Govt. P.G. College, Narsinghpur - Supervisor of the candidate.
4. Principal, Govt. P.G.College, Narsinghpur (M.P.)
5. Dy.Registrar (Exams.)/Dy.Registrar (Dev.)/Counter Supervisor.
6. P.A. to Kulpati for Kulpati's information.
7. Candidate C/o Head, Dept.of Mathematics, Govt. P.G.College, Narsinghpur.
8. I/C Committee Section.
9. Editor : The M.P.Chronicle-Bhopal, The Rahi-Sagar, The Amrit Bazar Patrika, Calcutta, The Hindu Madras, The Hindustan Times, New Delhi, The Nai Dunia, Indore, The Nav Bharat-Jabalpur, The Dainik Bhaskar-Bhopal, to please publish the notification as a NEWS ITEM, for general information.
10. Editor : University News, Association of Indian Universities, 16, Kotla Road, New Delhi 110 002
11. Editor : Journal of Scientific and Industrial Research, Rafi Marg, New Delhi
12. Librarian, J.L.N.Library, Dr. H.S.Gour V.V., Sagar
13. Librarian, University News, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Road, New Delhi 110 002
14. Registrars of all the Statutory Universities in India.
15. Director, M.P.Council of Science and Technology, 191, A-Zone-1, Maharana Pratap Nagar, Bhopal (M.P.).


(S.S. Shitut) 30/11/90
DY.REGISTRAR (ADMN.)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR.

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

S. NO. 050792

CENTRE NUMBER
5151



ROLL NUMBER
510500

CERTIFICATE

HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 1982,

THIS IS TO CERTIFY THAT SRI RAJESH KUMAR PANDE

SON OF SRI KRISHNA KUMAR PANDE

BORN ON (IN FIGURES) 26.01.1965 (IN WORDS)

TWENTY SIXTH JANUARY NINETEEN HUNDRED AND SIXTY FIVE

**PASSED THE HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, HELD
IN THE MONTH OF MARCH/APRIL 1982 FROM * (SCHOOL/CENTRE):-**

GOVT. H S SCHOOL BAGHRAJI (JABALPUR)

ASA REGULAR CANDIDATE AND WAS PLACED IN SECOND DIVISION.

HIS/HER SUBJECTS OF EXAMINATION WERE ('D' INDICATES DISTINCTION IN THE SUBJECT):-

**HINDI SPL.
ENGLISH GEN.**

**HIGHER MATHEMATICS
PHYSICS
CHEMISTRY**

ADDITIONAL SUBJECT(S) (IF ANY)

**FOR REGULAR CANDIDATES ONLY.-
THE CANDIDATE HAS ATTAINED
PROFICIENCY IN:-**

**SOC. STUDIES & BIOLOGY
AND
CRAFT**

BHOPAL, DATED THE 18TH JUNE, 1982.

SEAL OF INSTITUTION	Principal, Govt. Higher Secondary School Baghraj (Jabalpur) M.P
---------------------------	---

**SECRETARY
BOARD OF SECONDARY EDUCATION
MADHYA PRADESH BHOPAL .**

* INDICATES - NAME OF SCHOOL FOR REGULAR AND CENTRE FOR PRIVATE CANDIDATES

MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA CHITRAKOOT - SATNA (M.P.)



'Accredited 'A' Grade by NAAC'

Revised

Mode: Distance Education

M.A (Applied Psychology) FINAL YEAR

SESSION 2014-15

Mark-Sheet

Reg./Roll No

1370581909380

Name of Student: RAJESH KUMAR PANDE

Father/Husband's Name: KRISHNA KUMAR PANDE

Table with columns: S.N., Name of Subject/Paper, Max Marks, Int. Marks, Ext. Marks, Total. Rows include Applied Social Psychology, Fundamentals of Organizational Behaviour, Personal Management and Industrial Psychology, Human Resource Management and Contemporary Challenges, and Dissertation.

Result: Passed Division: First

Failed Paper(s): First Year Nil; Second Year Nil

Note: Passing marks for Internal and External both: First division, Below 75 to 80% Second division, Below 60 to 74% Third division, Below 45 to 59%

First division with Honours: 75% and above

Date: 1 AUG 2016 Prepared by: Checked by: Dy. Registrar (Distance Exam.)

Signature of Registrar (Distance Exam.)

Signature of Dy. Registrar (Distance Exam.)

Signature of Dy. Registrar (Distance Exam.)

Signature of Dy. Registrar (Distance Exam.)

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur



84/ No. 186

M. Phil. (Science) Examination, 1989

Subject: BIOLOGICAL SCIENCE

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 51Enrol. No. AP/6682Name P. H. ARCHANA AYACHI

Subjects	Max. Marks	Marks Obtained
PART 'A'		
Paper I	100	45
Paper II	100	57
Paper III	100	
Internal Assessment	50	46
Practical & Viva	100	79
PART 'B'		
Dissertation	100	75
Viva-Voce	50	38

Total Marks obtained 340 (in words) Three Hundred -
and Forty only out of 600.500

RESULT :- Passed/Failed

Remarks

Jabalpur,

Prepared by [Signature]Dated 30.9.1989Checked by [Signature]

Asst./Dy. Registrar
(Exams.)

GOVT. P.G. COLLEGE JAGDALPUR**(AUTONOMOUS)**

(Affiliated to Pt. R. S. S. UNIVERSITY RAIPUR)

ACM/No. A/142/9



Roll No 512

MARKS - SHEET

M. Sc. FINAL - 96

PHYSICS.Name of the Student Ku Zareena Khan Enrolment No. BB-13986Father's Name Shri Mohd. Latif Khan

Paper	Subject	Max Marks	Assessment	
			External	Internal
I	Quantum Mechanics	100	62	86
II	Solid State Physics	100	65	70
III	Statistical Physics and Nuclear Physics	100	56	92
IV	Astro Physics & Plasma Physics	100	31	90
Total		400	214	338
90% Weightage of the External Assessment			193	
10% Weightage of the Internal Assessment			34	
Total		400	227	
Practical				
A	General	100	82	
B	Special	100	88	
Total		200	170	
Marks obtained in M. Sc. (Final)		600	397	
Marks obtained in M. Sc. (Pre)		600	349	
Grand Total		1200	746	

in words Seven hundred & forty six onlyResult:- Passed First Class Divn. / Failed.

Position in the Class/Faculty

Controller of Exams

Govt. P. G. College (Autonomous)

Jagdalpur (Bastar) M. P.

Principal

Govt. P. G. College (Autonomous)

Jagdalpur (Bastar) M. P.

Registrar

Pt. R. S. S. University

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR (M.P.)



2005/0020

(B.A.), Accredited U-10 University
Statement of Marks for the submission of

MASTER OF EDUCATION (SCIENCE) EXAMINATION 2009

ROLL NO : 41782

ENROL NO: AY/10025

CATEGORY : Reg
NAME : Smt. SARINA KHAN
FIR NAME : MISS SARINJOR KHAN
MOTHER NAME : ROSEAN ADA KHAN
State Institute of Science Education, Jabalpur

SUBJECTS	MIN	MAX	PART I	PART II
Philosophical & Sociological Foundations of Education	33	100	54	
Psychological Foundations of Education	33	100	56	
Methodology of Educational Research & Data Analysis	33	100	58	
Environment Education	33	100	65	
Science Education	33	100	63	
Special Education (Exceptional Children)	33	100	64	
Dissertation	40	100		91
Viva Voce on Dissertation	40	100		98
Psychology Practical	16	60		58
Assignments	24	80		63
TOTAL			305	256

Part I: Three Hundred Five Out of 600

Result PASS

Division Second Percent 50.83%

Part II: Two Hundred Fifty Six Out of 300

Result PASS

Division First Percent 85.33%

Gr. Total: 561/900 in words Five Hundred Sixty One Out of 900

Marking Individual subject & Agg 40%.

Separate in Part I & Part II

By: [Signature]

State Institute of Science Education
18, B2, Jabalpur

[Signature]
[Signature]
R.O. [Signature]

Dr. Ajay Tiwari

AIGC

CERTIFICATE

Abacus Group Of Computers

Certify that

AJAY TIWARI

Has successfully completed the course of

P. Q. DIPLOMA IN SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT.

Which comprises of

COMPUTER FUNDAMENTALS, MSDOS, FLOWCHARTING, COBOL, DBASE, LOTUS

WORDSTAR, SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN, BASIC AND PASCAL.

Conducted from 28-12-1993 to 27-12-1994

Grade "Credit"


Course Coordinator


Course Director

Distiction	80% and above
Credit	60% to 79%
Pass	50% to 59%

LIG-61, 1st Floor, 3rd row
Anand Nagar Acharya
Jabalpur (M.P.) 482 004

Reg. No. Dist. Emp. Off. JBP/02/0188

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR (M.P.)

2014/No.



181067

STATEMENT OF MARKS

CC/FGDGC214/000024

P.G.DIPLOMA IN GUID. & COUNSELLING (II SEM.) EXAM. 2014

ROLL NO.:1300324 E/R NO.:AF/3101 CAT.:REGULAR

NAME :AJAY TIWARI

F/H NAME:P.R.TIWARI


MOTHER :SMT.KUSUM TIWARI

CENTRE :GOVT.COLLEGE OF EDU. PSYCHOLOGY & GUIDANCE, JABALPUR

SUBJECT	MAX	MIN	OBTAINED
THEORY & PRACTICE OF GUIDANCE	50	20	037
CONSELLING PSYCHOLOGY	50	20	035
VOCATIONAL PSYCHOLOGY	50	20	035
REHABILITATION PSYCHOLOGY	50	20	038
PRACTICAL	100	40	075
INTERNAL ASSESSMENT	100	40	078
TWO HUNDRED NINETY EIGHT ONLY	400		298
TOTAL IN FIRST SEMESTER	400		300
GRAND TOTAL	800		598
PERCENTAGE-74.75%			RESULT:-PASSED WITH FIRST DIVISION

Jabalpur, (India)

Dated 27 MAR 2015



Asstt./Dy. Registrar
(Examinations)

Abbreviations :- B - Brought Forward Marks, D - Distinction, ABS- Absent,
FT - Fail in Theory, FP - Fail in Practical FF - Fail in whole Subject or Group

Note : Please See notes on reverse

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

91

153



Verified
 P. S. Pandey
 Asstt. Registrar
 (Examination)
 Rani Durgavati Univ
 Jabalpur

M. Sc. IVth Semester Examination 1992

Subject : Physics

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 1068 Enrolment No./Regn. No. RF/3181

Name Ajay Kumar

PAPERS	Max. Marks	Marks Obtd.
Paper I Course	40	31
Paper II Course	40	26
Paper III Course - A	40	32
Paper IV Course - C	40	36
Paper Course	/	/
Practical and Sessional	200	159
Internal Assessment	40	30

Total of Marks obtained in 314 (In words) Three hundred and Fourteen only out of 400

Total of Marks Obtained in 1st Semester 102 out of 200

Total of Marks Obtained in 2nd Semester 282 out of 400

Total of Marks Obtained in 3rd Semester 130 out of 200

Aggregate of Ist, IInd, IIIrd and IVth Semester Examination 828 (In words) Eight hundred and twenty eight only out of 1200

RESULT - Passed in First Division / ~~Failed~~

REMARKS

- (i) Minimum Marks for Passing - 45% in the Total in aggregate
- (ii) Name/clature of the Paper be seen over leaf.

JABALPUR,

Dated 19-1-1993

Prepared by

Checked by

M. L. Singh
R. S. Singh

Asstt./Dy. Registrar

(Exams.)

P. S. Pandey

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR

(B++ ACCREDITED BY NAAC)



STATEMENT OF MARKS

NO.CC/003031

MASTER OF EDUCATION EXAMINATION 2004

ROLL NO.:11001 E/R NO.:AF/3101 CAT.:REGULAR

NAME :AJAY TIWARI

F/H NAME:P.R.TIWARI

MOTHER :KUSUM TIWARI


CENTRE :GOVT. COLLEGE OF EDUCATION (PSM), JABALPUR

SUBJECT	MAX	MIN	OBT
PART-I THEORY			
PHILOSOPHICAL & SOCIO. FOUND. OF EDU.	100	033	053
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION	100	033	064
METHODOLOGY OF EDUCATIONAL RESEARCH	100	033	073
METHODS OF DATA ANALYSIS	100	033	058
ENVIRONMENTAL EDUCATION	100	033	050
MANAGE.,PLANNING & FINANCING OF EDU.	100	033	077
TOTAL MARKS IN PART - I (THEORY)	600	240	375
PART-II PRACTICAL			
DISSERTATION	100	040	090
VIVA VOCE OF DISSERTATION	100	040	095
PSYCHOLOGY PRACTICAL	040	016	031
ASSIGNMENTS	060	024	044
TOTAL MARKS IN PART -II (PRACTICAL)	300	120	260
GRAND TOTAL (THEORY + PRACTICAL)	900		635
IN WORDS:- SIX HUNDRED THIRTY FIVE ONLY OUT OF 900			
RESULT:-THEORY: FIRST (62.5%) PRACTICAL: FIRST (86.66%)			

Jabalpur, (India)

Dated

9 JUN 2004


Shyam Shukla

Asstt./Dy. Registrar
(Examinations)

Abbreviations :- BF - Brought Forward Marks, DS - Distinction, ABS - Absent,

FT - Fail in Theory, FP - Fail in Practical,

FF - Fail in whole Subject or Group

Note :- Please See notes on reverse.

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR



ROLL NO : 00002

ENRL NO : AF/3181

STATEMENT OF MARKS

BACHELOR OF EDUCATION EXAMINATION 1994

NAME : SHRI. AJAY TIWARI

F/H NAME : P.R. TIWARI

PAPER < SUBJECT DETAILS >	SCHEME OF MKS. MARKS OBTAINED							
	I	II	MAX	MIN	I	II	TOT	
T1: PRINCIPLES & PRACTICE OF EDU	100	025				058		
T2: EDUCATION PSYCHOLOGY, STATISTICS	100	025				043		
T3: DEV. & PROBLEMS OF INDIAN EDU.	60	40	100	025	041	020	061	
T4: SCHOOL ORG. HEALTH EDU.	60	40	100	025			057	
METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUB :								
T5: GR I : MATHEMATICS	100	025					054	
T6: GR II : PHYSICS	100	025					066	
TOTAL MARKS IN PART I (THEORY) :				600	240			339
P1: PRACTICE TEACHING WORK FOR YEAR	100	040					076	
P2: FINAL TEST IN TEACHING LESSONS	100	040					074	
P3: VIVA VOCE ON METHO. OF TEACHING	100	040					076	
P4: ASSIGNMENT CONN. WITH THEORY PAPERS	150						099	
P5: SOCIALLY USEFUL PRODUCTIVE WORK	100						094	
P6: COMMUNITY LIFE	025						016	
P7: CO-CURRICULAR ACTIVITY	025						017	
TOTAL MARKS IN PART II (PRACTICALS) :				600	240			452
GRAND TOTAL :				1200				791
IN WORDS : SEVEN HUNDRED NINETY ONE ONLY OUT OF 1200-								
RESULT IN PART I (TH.) : PASS SECOND								
RESULT IN PART II (PR.) : PASS FIRST								

Jabalpur, (India)

Dated 12 JULY 1994

Asst. Dy. Registrar
Examinations

Abbreviations :— BF — Brought Forward Marks, DS — Distinction, ABS — Absent
 FT — Fail in Theory FP — Fail in Practical
 FF — Fail in whole Subject or Group
 Note :— Please see notes on reverse

CATEGORY : REGULAR

CENTRE : GOVT. COLLEGE OF EDUCATION, JABALPUR

Verified
Rudra
 Asst. Registrar
 (Examination),
 Rani Durgavati University,
 Jabalpur (M. P.)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर



No 001089

विद्यावाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि

अजय तिवारी

को इस विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अन्तर्गत
भौतिक विज्ञान विषय में

विद्यावाचस्पति

(डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी)

की उपाधि से वर्ष २००२ में विभूषित किया गया ।

इनके शोध-प्रबंध का विषय है :-

"Investigations on the thermal noise in single injection solid state
diodes with distributed traps in CDDM regime."

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that

Ajay Tiwari

has been admitted to the degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY


in Physics

in the Faculty of Science in this University in the year, 2002 .

The title of his/her thesis is :-

"Investigations on the thermal noise in single injection solid state
diodes with distributed traps in CDDM regime."

जबलपुर
Jabalpur,
दिनांक २८ नवंबर २००२
Date, 28th November, 2002.


कुलपति

Vice-Chancellor



BARKATULLAH VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL

(Institute of Correspondence Courses)

STATEMENT OF MARKS REGULAR

For the Examination of B.Ed. (Correspondence Course) Year **93-94**

NAME : **MANOHARLAL SHARMA**

ROLL NO : **9421227**

SHEET NO : **07331**

REGISTRATION NO : **JR 9421227**

ENROLMENT NO : **CC94/05282**

NAME OF CENTRE : **GOVT. COLLEGE OF EDUCATION, JABALPUR.**

Paper/Subject offered	Maximum Marks		Min Pass Marks (taken together) Ext. & assign	Marks Obtained		Total
	Ext.	Assignment		Ext. 80	Assignment 20	
I Principles & Technology of Education	80	20	40	029	014	043
II Educational Development & Management	80	20	40	038	015	053
III Educational Psychology	80	20	40	046	016	062
IV Non Formal Education	80	20	40	042	015	057
Methodology of Teaching Subject V PHYSICS	80	20	40	040	016	056
IV MATHEMATICS	80	20	40	046	015	061
Theory Total	480	120	240			332
	600					
Practical Total	400		160			272

Theory Marks obtained in words **THREE HUNDRED THIRTY TWO**

Practical Marks obtained in words **TWO HUNDRED SEVENTY TWO**

Result, Theory **PASS** **SECOND DVN**
Practical **PASS** **FIRST DVN**

Date : **02/09/95**

Office of the Institute of Correspondence Courses Bhopal.

(Signature)
H.C. Gupta
Deputy Registrar
Institute of Correspondence Courses
REGISTRAR

*Self
Attested*

(Signature)

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

90/

17



M. Sc. (Final) Examination, 1990.

Subject—MATHEMATICS

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 1453 Regn./Enrol. No. PAD/1473
 Name Manohar Lal Sharma

Subjects	Max. Marks	Marks Obtd.
Option A—Fourier Analysis	100	39
B—Operations Research and Linear Programming	100	44
D—Statistics (Design of Experiments	100	
E—Mathematical Theory of Elasticity	100	
F—Hilbert Space Theory and Applications	100	62
G—Regular Matrix Transformation	100	38
M—Differential Equations and Linear Integral Equations	100	
O—Theory of Relativity	100	
Q—Spline Theory and Computer Programming in Spline Theory	100	
U—Approximation Theory and Numerical Computer Programming	100	
X—Finite Element Method & Partial Differential Equation	100	

Total of Marks obtained 183 (in words) .. one
hundred and Eighty Three only out of 400.

Total of Marks M. Sc. Previous Exam 145 out of 400.

Aggregate of Prev. and Final Exam... .. 328 out of 800.

RESULT—Passed in... Third Division/ Failed

Remarks Dr. Manohar Lal Sharma

Jabalpur Prepos. MLD
 Dated..... 19 Checked by..... MLD Asstt./Dy. Registrar

31 JUL 1990

*Self
 attested
 h*

Revised

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

No. 0337



(Main/Second)

B. Sc. Part III (Final) Examination, 198
(Three-Year Degree Course)

STATEMENT OF MARKS

Regular S.I.C.T.

Roll No. 304

Enrol.No./Regn. No. A.D. 1973

Name Manohar Lal Sharma

Subject	Max. Marks	Mini. Pass Marks	Marks Obtained			Practical	Total B. Sc. Part III	Total of B. Sc. Part II	Grand Total
			Paper I	Paper II	Paper III				
English/Hindi/Marathi Language & Foundation Course II Theory	100	33						54	54
Chemistry Theory	100	33	19	09	10	20	58	66	124
Pract.	50	17							
Botany Theory	100	33							
Pract.	50	17							
Zoology Theory	100	33							
Pract.	50	17							
Physics Theory	100	33	20	19	-	31	70	60	130
Pract.	50	17							
Pure Mathematics	150	50	15	31	16	-	62	57	119
Applied Mathematics	150	50							
Geology Theory	100	33							
Pract.	50	17							
Geography Theory	100	33							
Pract.	50	17							
Military Theory	100	33							
Science Pract.	50	17							
Population Paper Education	50	-	18						

Total of Marks B.Sc. Part III 190 (In words) one hundred ninety out of 450.

Total of Marks of B.Sc. Part II 237 (in words) two hundred thirty seven out of 550.

Grand Total of B.Sc. Part II and III 427 (in words) four hundred twenty seven out of 1000.

RESULT :- Passed in third Division/Failed.

Remarks—If any x

NOTE :-The marks of Population Education are not added in the aggregate for passing or Division.

- Abbreviations denote
- (1) BF—Brought forward marks.
 - (2) C—Paper Cancelled.
 - (3) FTP—Indicates failure in theory & Practical
 - (4) FT—Indicates Failure in Theory
 - (5) FP—Indicates Failure in Practical.

Head Office: Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur. Phone: 85137, 8700991.

Self attested

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (MP)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

Statement of Marks



M.Ed.(Science) IV Semester Exam June-2021

S.No. : P4/000014

ROLL NO : 19120400

NAME : MANOHAR LAL SHARMA

F/H NAME : LATE SHRI GAYA PRASAD SHARMA

MOTHER : SMT. KRISHNA BAI

CATG : REGULAR

ENROL No : PAD1473



Manohar

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION, JABALPUR

Subjects		Scheme of Marks				Marks Obtained			
		I	II	III	Min Max	I	II	III	Tot
CONTEMPORARY AND FUTURE PERSPECTIVE OF EDUCATION	Th	80			32 80	69			69
	CCE	20			10 20	19			19
RESEARCH DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION-II	Th	80			32 80	64			64
	CCE	20			10 20	16			16
SPECIAL EDUCATION-II	Th	80			32 80	67			67
	CCE	20			10 20	18			18
DISSERTATION	CCE	50			25 50	42			42
	Pr	100			50 100	87			87

Total Three Hundred Eighty Two Out Of 450 382

Previous Sem Marks

Sem 1 328 / 450

Sem 2 412 / 450

Sem 3 428 / 450

Sem 4 382 / 450

Total 1550 / 1800

RESULT : PASS

DIVISION : FIRST

PERCENTAGE : 86.11%

In Words : One Thousand Five Hundred Fifty Out Of 1800

04-03-2022

Director

State Institute of Science Education
Jabalpur

Assistant Registrar
(Exams.)

Rani Durgavati Vishwavidyalaya
Jabalpur

Asst. Dy. Registrar (Exams)

Saraswati Vihar, Jabalpur

Clarifications of the abbreviations used may be seen on reverse

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

S.No.

084960

CENTRE NUMBER
5165



ROLL NUMBER
595103

CERTIFICATE

HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 1984

THIS IS TO CERTIFY THAT SRI MANOHAR LAL SHARMA

SON OF SRI GAYA PRASAD SHARMA

BORN ON (IN FIGURES)

22.06.1967

(IN WORDS)

TWENTY SECOND JUNE

SIXTY SEVEN

NINETEEN HUNDRED AND

PASSED THE HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, HELD IN THE MONTH OF

APRIL-MAY 1984

FROM *(SCHOOL / CENTRE):-

GOVT. H S SCHOOL KUNDAM (JABALPUR)

ASA PRIVATE

CANDIDATE AND WAS PLACED IN

FIRST

DIVISION

HIS/HER SUBJECTS OF EXAMINATION WERE - ('D' INDICATES DISTINCTION IN THE SUBJECT) :-

HINDI

SPL.

ENGLISH

GEN.

PHYSICS

CHEMISTRY

HIGHER MATHEMATICS

ADDITIONAL SUBJECT (S) (IF ANY)

**FOR REGULAR CANDIDATES ONLY:-
THE CANDIDATE HAS ATTAINED
PROFICIENCY IN:**

मध्य प्रदेश

5TH JULY, 1984

BHOPAL, DATED THE

SEAL OF INSTITUTION	मध्य प्रदेश राजकीय उच्च माध्यमिक शाला बनारस
---------------------	---

SECRETARY

**BOARD OF SECONDARY EDUCATION
MADHYA PRADESH, BHOPAL**

* INDICATES-NAME OF SCHOOL FOR REGULAR AND CENTRE FOR PRIVATE CANDIDATES

† INDICATES-THE SUBJECT OF SUPPLEMENTARY EXAMINATION



Rajeev Gandhi Computer Saksharta Mission®

Rajeev Gandhi Computer Saksharta Abhiyan, Reg. NCT - New Delhi
(SANATAN CHARITABLE TRUST, 419/92)

An ISO 9001 : 2000 Certified Institution

STATEMENT OF MARKS

Post Graduate Diploma In Computer Application Sem - II

Name of the Candidate : **Manohar Lal Sharma**

Father's / Husband's Name : **Gaya Prasad Sharma**

Centre of Examination : **Jabalpur (M.P)**

Roll No. : **K/32761**


Session : **2007-08**

Enrollment No. : **Rg/327861**

PAPERS	Scheme of Marks		Marks Obtained
	Max.	Min.	
<input type="checkbox"/> C & C++ Programming	40	12	38
<input type="checkbox"/> Visual Basic	40	12	37
<input type="checkbox"/> Tally & Internet	20	06	15
<input type="checkbox"/> Practical	50	15	46
Total Marks obtained	136		
Maximum Marks	150	A+ Grade	136

Dated 10-02-2009

Head of Exam Cell



(Institute of Correspondence Courses)

Roll No. 9056

Enrolment No. CC/91/4050

Registration No. JB4/90/0/179



Nº 007397

DUPLICATE

STATEMENT OF MARKS

For the Examination of B. Ed. (Correspondence Course) Year 1990 - 91
Regular / Supplementary / Ex-Saudent

Name of the Candidate Vinod Kumar Mishra

Name of the Centre/Govt. College of Education Jabalpur

Paper/Subject offered	-Maximum Marks		Min. Pass Marks (taken together) Ext. & assign	Marks obtained		Total
	Ext.	Assign-ment		Ext. 80	Assign-ment 20	
I Principles & Technology of Education	80	20	40	34	18	52
II Educational Development & Management	0	20	40	41	18	59
III Educational Psychology	80	20	40	33	18	51
IV Non Formal Education	80	20	40	32	18	50
Methodology of Teaching Subject						
v <u>Chemistry</u>	80	20	40	45	18	63
vi <u>Biology</u>	80	20	40	54	18	72
Theory Total	480	120	240	-	-	347
	600					
Practical Total	400		160	-	-	302

Theory Marks obtained in words Three hundred forty seven only

Practical Marks obtained in words Three hundred two only

Result ; Theory Second Division/Suppl./Failed

Practical First Division/Suppl./Failed

Office of the
Institute of Correspondence Courses,
Bhopal. Dated 18-4-94
BVPP/January-93/200B

[Signature]
Writer
[Signature]
Checker

[Signature]
REGISTRAR
BHOPLAL UNIVERSITY
BHOPLAL (M.P.)



S. NOO 49422

CENTRE NUMBER
4506

ROLL NUMBER
146630

CERTIFICATE

HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 1980

THIS IS TO CERTIFY THAT **SRI VINOD KUMAR MISHRA**
SON OF SRI **TIRATHA PRASAD MISHRA**

BORN ON (IN FIGURES) **22.06.1963** (IN WORDS)

TWENTY SECOND JUNE NINETEEN HUNDRED AND **SIXTY THREE**

PASSED THE HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, HELD
IN THE MONTH OF MARCH/APRIL 1980 FROM * (SCHOOL/CENTRE) :-

MAHAKOSHAL HIGHER SECONDARY SCHOOL JABALPUR

AS A **REGULAR** CANDIDATE AND WAS PLACED IN **SECOND** DIVISION

HIS/HER SUBJECTS OF EXAMINATION WERE ('O' INDICATES DISTINCTION IN THE SUBJECT):-

HINDI SPL.
ENGLISH GEN.

PHYSICS
CHEMISTRY
BIOLOGY

ADDITIONAL SUBJECT(S) (IF ANY) :-

FOR REGULAR CANDIDATES ONLY -
THE CANDIDATE HAS ATTAINED
PROFICIENCY IN :-
SOC. STUDIES & MATHS.
AND
CRAFT

BHOPAL DATED THE **6TH JUNE, 1980**

SEAL OF INSTITUTION
बहाकशाल उ. मा. शाला
जबलपुर

SECRETARY
BOARD OF SECONDARY EDUCATION
MADHYA PRADESH, BHOPAL

* INDICATES--NAME OF SCHOOL FOR REGULAR AND CENTRE FOR PRIVATE CANDIDATES



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रमाणपत्र - सह - अंकसूची

स.क्र. 330401

हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (१०+२)

१९९१

MARCH-APRIL 1991

केन्द्र क्रमांक
5151/075

रोल नम्बर
2506713

प्रमाणित किया जाता है कि
KUM NAMITA SHARMA

DAUGHTER OF

BABULAL SHARMA

जिनकी जन्मतिथि

31-05-1974 (THIRTY FIRST MAY - NINETEEN SEVENTY
FOUR)

नियमित/नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस मण्डल की हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में
भाग लेना/लेना SATPULA GIRLS H S SCHOOL JABALPUR

उत्तीर्ण हुए/हुई व निम्नांकित विषयों में उनके सम्मुख अंकित प्राप्तांक अर्जित किये :-

विषय	अधिकतम अंक	सूक्तम उत्तीर्णक प्रतिशान्तक	सूक्तम उत्तीर्णक शायोगिक	प्राप्तांक					निष्पत्ति
				प्रथम प्रश्नपत्र	द्वितीय प्रश्नपत्र	योग द्वैधान्तिक	प्राप्तांक	योग	
HINDI (SPECIAL)	150	50	-			100	-	100	
ENGLISH (GENERAL)	050	17	-			032	-	032	
PHYSICS	200	50	17			107	040	147	
CHEMISTRY	200	50	17			094	050	144	
BIOLOGY	200	50	17			116	049	165	DISTN
संशुकाकल	800			PASS IN FIRST DIVN.				588	

सहायक प्राचार्य की पद-मुद्रा

- * प्रत्येक परीक्षा का नियम पठना
- * नियमित छात्रों के लिये शस्था व स्वच्छता
- * छात्रों के लिये केन्द्र पठा जाने

22/05/91

साक्षर

Namita Sharma

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

Self attested
15/4/2024

GOVERNMENT MODEL SCIENCE COLLEGE JABALPUR (AUTONOMOUS)



AFFILIATED TO

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR - (M.P.)



Sr.No. 51

DUPLICATE

1841

STATEMENT OF MARKS

B.Sc. PART-III EXAMINATION, 1994

NAME : NAMITA SHARMA

FATHER'S NAME : BABULAL SHARMA

ROLL NO. : 3452

ENROLEMENT NO. : AK/6551

CATEGORY : REGULAR

SUBJECTS	-----THEORY MARKS-----					<--PRACTICAL MARKS-->			SUBJ. TOTAL	
	MAX. MARKS	MIN. PASS MARKS	MARKS OBTAINED			MAX. MARKS	MIN. PASS MARKS	MARKS OBTAINED		
			I	II	III					
PHYSICS	20	40	29	36	25	90	--	--	--	90
CHEMISTRY	80	27	15	19	12	46	50	17	44	90
BIOLOGY	80	27	23	31	--	54	50	17	38	92
BIOLOGY	80	27	33	30	--	63	50	17	42	105

	MAX. MARKS	MARKS OBTAINED
INTERNAL ASSESSMENT	90	73
AGGREGATES	450	150

TOTAL MARKS OBTAINED IN B.Sc. THIRD YEAR EXAM. 450 / 600
 TOTAL MARKS OBTAINED IN B.Sc. FIRST YEAR EXAM. 445 / 600
 TOTAL MARKS OBTAINED IN B.Sc. SECOND YEAR EXAM. 416 / 600

TOTAL OF MARKS OBTAINED IN ALL THE THREE YEARS 1311 / 1800

PERCENTAGE OF MARKS OBTAINED : ONE THOUSAND THREE HUNDRED ELEVEN OUT OF 1800

RESULT : PASS

DIVISION : FIRST DIVISION

REMARKS FT : FAIL IN THEORY, FP : FAIL IN PRACTICAL
 AE : ABSENT, UF : USED UNFAIR MEANS, G : GRACE

JABALPUR Dated 23-01-2002

SHYAM SHUKLA
 ASSISTANT REGISTRAR
 REGISTRAR / DY. REGISTRAR
 RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
 JABALPUR (M.P.)

BABULAL SHARMA
 शासकीय रविवारी विद्यालय
 महाविद्यालय, जबलपुर.

CONTROLLER OF EXAMINATIONS
 GOVT. MODEL SCIENCE COLLEGE
 JABALPUR (AUTONOMOUS) M.P.

NAMITA SHARMA
 15/1/24

PRINCIPAL
 Govt. Higher Secondary School
 Belkhadu, Jabalpur

PRINCIPAL
 Govt. Higher Secondary School
 Belkhadu, Jabalpur

GOVERNMENT MODEL SCIENCE COLLEGE JABALPUR (AUTONOMOUS)

AFFILIATED TO

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA JABALPUR - (M.P.)

18



Sp.No. 10

DUPLICATE

18.0

STATEMENT OF MARKS

FOURTH SEMESTER (1994-96) FIRST EXAMINATION, MAY, 1996

SUBJECT : CHEMISTRY

NAME : KUL. NAMITA SHARMA

FATHER'S NAME : BABULAL SHARMA

ROLL NO. 2104

ENRL.NO.AK/6551

CATEGORY : REGULAR

COURSE TITLE	MAX. MARKS	MINIMUM PASS MARKS	MARKS OBTAINED
PHYSICAL CHEMISTRY (GEN.)	60	12	35
INORGANIC CHEMISTRY (GEN.)	60	12	38
ORGANIC CHEMISTRY (GEN.)	60	12	29
ORGANIC CHEMISTRY (SPECIAL)	60	12	50
INTERNAL ASSESSMENT	60	---	48
<hr/>			
AGGREGATE OF THEORY COURSES AND ASSESSMENT	300	108	200
<hr/>			
ROLL NO. 2104 - I INORGANIC CHEMISTRY [SPECIAL]	160	---	127
ROLL NO. 2104 - II	---	---	---
ROLL NO. 2104 - III	---	---	---
SESSIONAL MARKS	40	---	36
<hr/>			
AGGREGATE OF PRACTICAL AND SESSIONAL MARKS	200	72	163
<hr/>			
FOURTH SEMESTER AGGREGATE	500	200	363

MARKS OBTAINED IN FIRST SEMESTER 161 / 300
 MARKS OBTAINED IN SECOND SEMESTER ... 329 / 500
 MARKS OBTAINED IN THIRD SEMESTER 174 / 300
 GRAND TOTAL MARKS OBTAINED 1027 / 1600

(IN WORDS) ... ONE THOUSAND TWENTY SEVEN OUT OF 1600

RESULT : PASS

DIVISION : FIRST

REMARKS FT : FAILED IN THEORY COURSE, FP : FAILED IN PRACTICAL
 FA : FAILED IN AGGREGATE, CC : COURSE CANCELLED
 AB : ABSENT, G : GRACE IN A COURSE/PRACTICAL OR IN AGGREGATE

Jabalpur Dated 23-01-2002

Chatterji
 प्राचार्य,
 राजकीय स्वशासी विश्वविद्यालय,
 महाविद्यालय, जबलपुर.

[Signature]

ASST REGISTRAR
 REGISTRAR & SUPERVISOR
 RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA
 JABALPUR (M.P.)

प्राचार्य,
 राजकीय स्वशासी विश्वविद्यालय,
 महाविद्यालय, जबलपुर.

CONTROLLER OF EXAMINATIONS
 GOVT. MODEL SCIENCE COLLEGE
 JABALPUR (AUTONOMOUS) M.P.
 PRINCIPAL
 Govt. Higher Secondary School
 Belkhadu, Jabalpur
 PRINCIPAL
 Govt. Higher Secondary School
 Belkhadu / Jabalpur

[Handwritten signatures and dates]
 15/1/24

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR

(B++ ACCREDITED BY NAAC)



Correction Certified
Asst. Registrar
Exam.
29/7/14

NO. CC/003650

STATEMENT OF MARKS

BACHELOR OF EDUCATION EXAMINATION APRIL 2004

ROLL NO.: 10161 E/R NO.: AK/6551 CAT.: REGULAR

NAME : SMT. NAMITA YADAV NEE NAMITA SHARMA

F/H NAME: ANIL KUMAR YADAV

MOTHER : RAMBATI SHARMA

CENTRE : GOVT. COLLEGE OF EDUCATION (PSM), JABALPUR, JABALPUR.

A. R. (Exam)
R. D. V. V.
JABALPUR.

SUBJECT	MAX	MIN	OBT
PART-I THEORY			
TEACHER IN EMERGING INDIAN SOCIETY	100	033	074
DEVELOP. OF LEARNER & TEACH. LEARN. PROCESS	100	033	063
DEVELOP. OF EDUCATIONAL SYSTEM IN INDIA	100	033	062
ESSENTIALS OF EDUCATIONAL TECH. & MGMT.	100	033	072
METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECT- I : CHEMISTRY	100	033	066
METHODOLOGY OF TEACHING SCHOOL SUBJECT-II : BIOLOGICAL SCIENCES	100	033	086
ADDITIONAL SPECIALISATION : ENVIRONMENTAL EDUCATION	100	033	077
TOTAL MARKS IN PART - I (THEORY)			700 280 500
PART-II PRACTICAL			
FINAL PRACTICE TEACHING SUBJECT - I : CHEMISTRY	050	020	032
FINAL PRACTICE TEACHING SUBJECT - II : BIOLOGICAL SCIENCES	050	020	035
CRAFT OR WORK EXPERIENCE	050	020	049
PSYCHOLOGY PRACTICAL	050	020	043
SUPERVISED PRACTICE TEACHING	020	008	011
ASSIGNMENTS TWO IN EACH PAPER	035	014	017
CO-CURRICULAR ACTIVITIES	020	008	015
CRITICISM LESSONS	010	004	007
TEST EXAMS	015	006	013
TOTAL MARKS IN PART - II (PRACTICAL)			300 120 222
GRAND TOTAL (THEORY + PRACTICAL)			1000 722
IN WORDS:- SEVEN HUNDRED TWENTY TWO ONLY OUT OF 1000			
RESULT:-THEORY: FIRST (71.42%) PRACTICAL: FIRST (74%)			

Jabalpur, (India)

Dated 15 JUL 2004

(Signature)
Asst. Registrar
(Examinations)

Abbreviations :- BF - Brought Forward Marks, DS - Distinction, ABS - Absent,

FT - Fail in Theory, FP - Fail in Practical,

FF - Fail in whole Subject or Group

Note :- Please See notes on reverse.

(Signature)
15/7/24

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

RANI DURGAWATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR (M.P.)



No. :
07/ED/8144

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of
MASTER OF EDUCATION EXAMINATION 2007

ROLL NO : 6864
ENROL NO: AK/6551

CATEGORY : Reg
NAME : Smt NAMITA YADAV
F/H NAME : ANIL KUMAR YADAV
MOTHER NAME : RAMBATI SHARMA
Govt. College of Education, Jabalpur

SUBJECTS	MIN	MAX	PART I	PART II
Philosophical & Sociological Foundations of Education	25	100	60	
Psychological Foundations of Education	25	100	87	
Methodology of Educational Research & Data Analysis	25	100	72	
Environment Education	25	100	72	
Management Planning & Financing of Education	25	100	61	
Special Education (Exceptional Children)	25	100	69	
Dissertation	36	100		70
Viva Voce on Dissertation	36	100		93
Psychology Practical	15	40		35
Assignments	22	60		59

	TOTAL	421	257
Part I : Four Hundred Twenty One Out of 600	Result: PASS	Division: First	Percent: 70.17%
Part II: Two Hundred Fifty Seven Out of 300	Result: PASS	Division: First	Percent: 85.67%
Gr.Total: 678/900 In words : Six Hundred Seventy Eight Out of 900			
Passing Individual Subject & Agg 36%.			
Seperate in Part I & Part II			

Dt: 08-08-2007

Saraswati Vihar, Jabalpur

Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse.

Anil Nair
ANIL NAIR
Asstt. Registrar
Asst./Dy. Registrar (Exams.)

Namita
25/4/24
PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

Namita
PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA JABALPUR (M.P.)



(22)

09-10/P1/01311

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of

P G DIPLOMA IN GUIDANCE & COUNSELLING Semester 1 2009-10
ROLL NO : 64541

NAME : Smt NAMITA YADAV
F/H NAME : ANIL KUMAR YADAV ENROL : AK/6551
MOTHER : RAMBATI SHARMA CATG : REG
Govt. College of Educational, Psychology & Guidance, Jabalpur

SUBJECTS	Scheme of Marks					Marks Obtained			
	I	II	III	Min	Max	I	II	III	Tot
Theory & Practice of Guidance	TH	50		20	50	35			35
Counselling Psychology	TH	50		20	50	27			27
Vocational Psychology	TH	50		20	50	23			23
Rehabilitation Psychology	TH	50		20	50	34			34
Practical I									
	Pr	100		40	100	50			50
Internal Assessment	IA	100		40	100	62			62

Two Hundred Thirty One OUT OF 400 231

RESULT: PASS
PERCENTAGE: 57.75

30 AUG 2010

Saraswati Vihar, Jabalpur
Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse.

~~PRINCIPAL~~
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

~~PRINCIPAL~~
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

~~(S. D. NAMBLE)~~
Asstt. Registrar
Rani Durgavati Vishwavidyalaya
JABALPUR (M.P.)
Registrar (Exams.)

NAMITA
15/8/24

E

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR (M.P.)



10/P2/02658

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of

P G DIPLOMA IN GUIDANCE & COUNSELLING Semester 2 2010

ROLL NO : 181809

NAME : Smt NAMITA YADAV

F/R NAME : ANIL KUMAR YADAV

MOTHER : RAMBATI SHARMA

ENROL : AK/6551

CATG : REG

Govt. College of Education, Psychology & Guidance, Jabalpur

SUBJECTS	Scheme of Marks					Marks Obtained			
	I	II	III	Min	Max	I	II	III	Tot
Theory & Practice of Guidance	TH	50		20	50	38			38
Counselling Psychology	TH	50		20	50	37			37
Vocational Psychology	TH	50		20	50	43			43
Rehabilitation Psychology	TH	50		20	50	40			40
Practical									
	Pr	100		40	100	73			73
Internal Assessment	IA	100		40	100	63			63
Two Hundred Ninety Four OUT OF					400	294			

Previous Semester Marks

I: 231/400
II: 294/400

RESULT : PASS

PERCENTAGE: 65.63

DIVISION : First

Grand Total: 525/800

In Words : Five Hundred Twenty Five out of 800

27/01/11

Saraswati Vihar, Jabalpur
Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse.

Asst./Dy. Registrar (Exams.)

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

EASHI...
EASHI...
15/4/24

3

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(NAAC ACCREDITED 'B' UNIVERSITY)

110145



विद्यावाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि

श्रीमती नमिता यादव

को इस विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत

शिक्षा विषय में

विद्यावाचस्पति (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी)

की उपाधि से वर्ष 2015 में विभूषित किया गया।

इनके शोध प्रबन्ध का विषय है —

‘ उच्चतर माध्यमिक स्तर की किशोरवय बालिकाओं के आत्मसम्मान प्रतिबल
एवम् आत्मविश्वास पर संवेगात्मक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन ’

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that

Smt. Namita Yadav

has been awarded the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in the subject Education under the Faculty of

Education of this University in the year 2015

The title of her thesis is-

‘ उच्चतर माध्यमिक स्तर की किशोरवय बालिकाओं के आत्मसम्मान प्रतिबल
एवम् आत्मविश्वास पर संवेगात्मक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन ’

जबलपुर, दिनांक : 06 मार्च, 2017.

Jabalpur, Dated : 06th March, 2017.

Prof. Kanil Deo Mishra

कुलपति

Vice-Chancellor

स्वसाक्षित
Se


Self attested
Se

15.4.2024

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Belkhadu, Jabalpur

No. DE 237894



MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA CHITRAKOOT - SATNA (M.P.)

'Accredited "A" Grade by NAAC'

Mode: Distance Education

M.A. (ENGLISH) FINAL YEAR

SESSION 2017-18

Mark-Sheet

Name of Student : MANIKA KANOJIA

Registration/Roll No. :

Father/Husband's Name : RAKESH KANOJIA

16/41131609647

S.N.	Name of Subject /Paper	Max. Marks	Int. Marks 30	Ext. Marks 70	Total
1.	Victorian Literature (1832-1890)	100	28	49	77
2.	Twentieth Century Literature	100	27	50	77
3.	Literary Criticism	100	28	48	76
4.	American Literature	100	27	51	78
5.	TOTAL	400			308
-	TOTAL MARKS PREVIOUS YEAR	400			284
-	GRAND TOTAL	800			592

Result : Passed

Division : First

Failed Paper(s): I Year : Nil; II Year : Nil

Note :

- Passing marks - 36% (In Internal and External both)
- Third division - Below 48 to 36%
- Second division - Below 60 to 48%
- First division - Below 75 to 60%
- First division with Honours - 75% and above.
- किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदन अंकपत्र की जारी होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार्य होगा।

Prepared by :

Checked by :

(DR. J. S. MISHRA)
Asstt. Registrar (Exam.)

Date : 20 SEP 2018

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR (M.P.)



Sr. No. 09/PG/7126

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of

M A Final Hindi Literature Main Exam 2009

ROLL NO : 26078

ENROL NO: PAQ/7999

CATEGORY: N/C

NAME : Smt MANIKA KANOJIA

F/H NAME : RAKESH KANOJIA

MOTHER NAME : RAJKUMARI KANOJIA

Govt Auto. M.H. College of Home Sc. & Science for Women, Jabalpur

SUBJECTS		MIN	MAX	MKS	OBT.	TOTAL
Adhunik Hindi Kayva	Th		100	54		54
Bhasha Vigyan Evm Hindi Bhasha	Th		100	54		54
Bhartiya Sahitya	Th		100	42		42
Patrakarita Prashikshan	Th		100	53		53

(Handwritten signature)

Two Hundred Three Out of

400

203

Previous : 165 Out of 400

Final : 203 Out of 400

Result : PASS

Division : Third

Percentage: 46.00%

Gr. Total : 368 Out of 800

Passing 36% agg.

~~06-07-2009~~ 2009

(Handwritten signature)

I/C. Assis

Asst. Dy. Registrar (Exams.)

RANI DURGAWATI VISHWAVIDYALAYA JABALPUR (M.P.)



Sr. No. :
07/ED/13183

(NAAC Accredited B++ University)
Statement of marks for the examination of
BACHELOR OF EDUCATION EXAMINATION 2007

ROLL NO : 4393
ENROL NO: AQ/7999

CATEGORY : Reg
NAME : Ku MANIKA KANOJIA
F/H NAME : B L KANOJIA
MOTHER NAME : RAJ KUMARI
Shambhavi Education College, Jabalpur

SUBJECTS	MIN	MAX	PART I	PART II
PART I THEORY				
Teacher in Emerging Indian Society	33	100	51	
Develon. of Learner & Teaching Learning Process	33	100	64	
Development of Educational System in India	33	100	41	
Essentials of Educational Tech. & Management	33	100	36	
Methodology of Teaching 1st School Subject-Chem.	33	100	46	
Methodology of Teaching 2nd School Subject-Bio.Sc.	33	100	40	
Add. of Environmental Education	33	100	54	
PART II PRACTICAL				
Teaching of 1st School Subject-20 Lesson plan	20	50		40
Teaching of 2nd School Subject-20 Lesson Plan	20	50		42
Viva Voce in each Teaching Subject	12	30		22
Work Experience- Wood Craft	20	50		40
Psychology Practical	8	20		15
Supervised Practice Teaching	4	10		8
Assignment Two in Each Paper	14	35		32
Co-Curricular Activities	8	20		17
Critical Reason	4	10		8
Test Exams	10	25		22

TOTAL 332 246

Part I: Three Hundred Thirty Two Out of 700 Result: PASS Division: Third Percent: 47.43%

Part II: Two Hundred Forty Six Out of 300 Result: PASS Division: First Percent: 82.00%

Gr.Total: 578/1000 In words : Five Hundred Seventy Eight Out of 1000

Passing Individual Subject & Agg.

passing Both in Part I & Part II

Dt: 07/08/2007

Saraswati Vihar, Jabalpur

Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse.

Asst./Dy. Registrar (Exams.)

**GOVT. AUTONOMOUS M.H. COLLEGE
OF
HOME SCIENCE & SCIENCE FOR WOMEN JABALPUR**

AFFILIATED TO

RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)



STATEMENT OF MARKS

B.Sc. PART III (10+2+3) SUPP. EXAM., SEPTEMBER 2000

ROLL NO. : 5069 E/R NO. : AQ/7999
NAME : MANIKA
F/H NAME : BABOO LAL
CATEGORY : REGULAR

S U B J E C T S	S C H E M E O F M A R K S					M A R K S O B T A I N E D			
	I	II	III	MIN	MAX	I	II	III	TOTAL
FOUNDATION COURSE GR. 1. GEN. AWARENESS 2. HINDI LANGUAGE 3. ENGLISH LANGUAGE	40	40	40	040	120	14	25	17	56 B
BOTANY (TH)	40	40	**	026	080	19	15	**	34 B
(PR)				017	050				21 B
ZOOLOGY (TH)	40	40	**	026	080	09	22	**	31 B
(PR)				017	050				36 B
CHEMISTRY (TH)	28	26	26	026	080	11	12	09	32
(PR)				017	050				38 B
INTERNAL ASSESMENT				**	090				34 B

TWO HUNDRED EIGHTY TWO OUT OF 600 GRAND TOTAL 282

M: FIRST YEAR | SECOND YEAR | THIRD YEAR | GRAND TOTAL |

A: |

R: TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF | TOTAL | OUT OF |

K: |

S: 275 | 600 | 274 | 600 | 282 | 600 | 831 | 1800 |

DIVISION

SECOND

RESULT : PASS

REMARKS : FT: FAIL IN THEORY, FP: FAIL IN PRACTICAL
AB: ABSENT, G: GRACE, UF: UNFAIR MEANS
B: MARKS BROUGHT FORWARD

DATE: 06/10/2000

PREPARED BY : *[Signature]*

CHECKED BY : *[Signature]*

REGISTRAR / ASST. REGISTRAR
RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA
JABALPUR (M.P.)

CONTROLLER / PRINCIPAL
EXAMINATION
GOVT. AUTONOMOUS M.H. COLLEGE OF HOME
SCIENCE AND

001253867

33050

103

0531771

MARCH, 1995

13314642

MANIKA KANOJIA

BABU LAL KANOJIA

29.11.1979 TWENTYNINETH NOVEMBER -NINETEEN SEVENTY NINE

BHARAT SEWAK SAMAJ GIRLS H.S.S.GHAMAPUR JABALPUR

HINDI	SPECIAL	100	33	055	-	055
ENGLISH	GENERAL	50	17	021	-	021
SANSKRIT	GENERAL	50	17	021	-	021
MATHEMATICS		100	33	033	-	033
SCIENCE		100	27	027	16	043
SOCIAL SCIENCES		100	33	070	-	070

500 SECOND DIVISION 243

TWO HUNDRED FORTY THREE

Handwritten signature

Handwritten signature

1. SOCIALLY USEFUL PRODUCTIVE WORK
2. PHYSICAL & MORAL EDUCATION

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (MP)



रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

Statement of Marks

M.Ed Science IV Semester Exam May-June 2024

S.No: P4/000216

ROLL NO : 22124327

NAME : SHABANA PARVEEN

F/H NAME: ASAGAR ALI SHEIKH

MOTHER : RUKSHANA BANO

CATG : REGULAR

ENROL: R1507038490020



State Institute of Science Education, Jabalpur

SUBJECTS		Scheme of Marks				Marks Obtained				
		I	II	III	Min	Max	I	II	III	Tot
Contemporary and Future Perspective of Education	Th	80			32	80	72			72
	CCE	20			10	20	15			15
Research Data Analysis and Interpretation	Th	80			32	80	57			57
	CCE	20			10	20	18			18
Optional Advance Level Course- Guidance and Counselling	Th	80			32	80	65			65
	CCE	20			10	20	17			17
Dissertation	CCE	50			25	50	42			42
	Pr	100			50	100	93			93

Total Three Hundred Seventy Nine Out of 450 379

Previous Sem Marks

Sem 1	368	450
Sem 2	390	450
Sem 3	362	450
Sem 4	179	450
Total	1500	1800

RESULT : PASS
DIVISION : First
PERCENTAGE: 83.33%

In Words : One Thousand Five Hundred out of 1800

23-08-2024

Director

State Institute of Science Education & CTE
Jabalpur (M.P.)

Assistant Registrar

(Exam Section)

Rani Durgavati Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)

Saraswati Vihar, Jabalpur

Certifications of the abbreviations used may be seen on reverse

अवध प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
 AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, REWA, M.P.

M.Sc. (FINAL) ORGANIC CHEM.

MAR-APR. 2001

ROLL NO. 1671

NAME - KU. SHABANA PARVEEN

FATHER'S NAME - ASGAR ALI SMETHAN

MOTHER'S NAME - RUKHSHANA BANO

ENROLL NO. B 96-447

GOVT. P.T. S.N.S.P.G. COLLEGE, SHAHDOL

SUBJECTS	SCHEME OF MARKS				REGULAR			
	I	II	III	MAX	I	II	III	TOTAL
INSTRU. METHODS OF ANALYSIS	100	100	055	055
ORGANIC CHEMISTRY-I	100	100	055	055
ORGANIC CHEMISTRY-II	100	100	060	060
INDUSTRIAL CHEMISTRY	100	100	066	066
PRACTICALS	200	200	187	187

PREV. YEAR MARKS/OUT OF 387/600

600

GRAND TOTAL

423

M A R K S	FIRST YEAR		SECOND YEAR		THIRD YEAR		GRAND TOTAL		RESULT	DIVISION
	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF		
...	0810	1200	PASS	FIRST

MARKS OBT.-EIGHT HUNDRED TEN 0/OF 1200

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (*).

2. The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward

3. 'A' Denotes Absent

6 JUL 2001

9 JUL 2001

03/07/2001

University Office
Date -

Checked by

Assistant Registrar (Exams)
 Awadhes Pratap Singh Vishwavidyalaya
 REWA (M.P.) EXAMS.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म. प्र., भोपाल

पुस्तक क्रमांक 3



संस्कृत क्रमांक N° 000210

प्रतिलिपि अंक-सूची

शारीरिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा 200 1992

संस्था एवं परीक्षा केन्द्र :- शा/ शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी

परीक्षार्थी का नाम एवं पिता/पति तथा माता का नाम	रोल नम्बर	परीक्षार्थी द्वारा लिए गए विषय	प्राप्तांक				पूर्णांक		अथवा विद्यमान उत्तीर्ण हुआ है/नहीं	विशेष योग्यता	विशेष विवरण	
			बाह्य	आंतरिक	योग	वैधानिक/व्यावहारिक एवं अध्यापन कर्ता का योग	बाह्य एवं आंतरिक	योग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
नरेंद्र कुमार जायसवाल श्री. ओमप्रकाश जायसवाल	756	वैधानिक (प्रथम भाग)										
		1. शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत	57	-	57		100					
		2. शारीरिक शिक्षा के विविध रूप से संबंधित मनोविज्ञान	42	-	42		100					
		3. शारीरिक प्रशिक्षण के विषय संगठन और प्रशासन	42	-	42		100	500				
		4. शरीर रचना, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षण	50	-	50		100	II				
नामांकित क्रमांक	5. <u>संक्षिप्त सहयोग तथा प्रश्नोत्तर</u> प्रशिक्षण	62	-	62		100					
						253						
		व्यावहारिक (द्वितीय भाग)					पु. महिला 80 80	300				
		1. मुख्य खेल	-	44	44		80 80	II				
		2. व्यायाम	-	52	52		80 80					
		3. औपचारिक किंवा कलाप	-	44	44		80 60					
		4. मनोरंजन किंवा कलाप	-	30	30		60 80					
				170	170							
		(तृतीय भाग)										
		5. अध्यापन योग्यता	132	75	207			300	I			
					630		महायोग 1100					

नोट :- अनुत्तीर्ण विषय घेरे में दिखाये गये हैं। 2. अंकसूची में किसी प्रकार की अशुद्धि होने की दशा में अंकसूची उत्त्काल ही सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को पृथक पत्र के साथ अंकसूची में पाई त्रुटि दर्शाते हुए वापिस कर दी जाए।

लेखक के पूर्ण हस्ताक्षर.....

जांचकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर.....

भोपाल, दिनांक.....

भा.शिक्ष.मु.भो-371-मो.क.-7-2-2000-06 पुस्तकें (100 पृष्ठ बुल्कीट में)

सहायक सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

Handwritten signature



HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 021621
 DUPLICATE/PAPER WISE s No. YEAR-1982

MARK SHEET

Book No. 217 MARCH-1982

Roll No.	Division	District	Centre	School	Date of Birth	Candidate
500086	5	1	5101	017	12 JUNE 1964	Regular

CANDIDATE'S NAME FATHER'S NAME, SURNAME (SIXTY FOUR)

SRI NARENDRA KUMAR JAISWAL
S/O SRI OMPRAKASH JAISWAL

Subject	Max. Marks	Min. Pass Marks	Marks P I Theory	Marks P II Theory	Total Marks Theory	Pract. Marks	Total Marks Secured
(Special) HINDI	150	50	—	—	069	—	069
(General) ENGLISH	50	15	—	—	029	—	029
HIGHER MATHEMATICS	200	66	—	—	077	—	077
PHYSICS	200	66	—	—	066	027	093
CHEMISTRY	200	66	—	—	050	027	077
	800	RESULT	THIRD		GRAND TOTAL		345
ADDITIONAL (IF ANY) SUBJECT							
	100	33					

It is certified that the candidate has obtained desired proficiency in the subjects of Internal Examination i.e. Social Studies/General Science/Social Studies & Maths/ Social Studies & Biology/ Gen. Sc. and Maths and Craft (for Regular Candidates only).

Abbreviation:

*/ABS सम्बन्धित विषय अथवा भाग में अथवा प्रश्न-पत्र में अनुपस्थित है।

/F सम्बन्धित विषय अथवा भाग में अनुत्तीर्ण है।

D सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता मिली है।

G सम्बन्धित विषय में कृपांक द्वारा उत्तीर्ण।

S सम्बन्धित विषय अथवा भाग में पूरक की पात्रता है।

PR स्वाध्यायी परीक्षार्थी है।

विशेष- छात्र द्वारा अंक-सूची में किसी भी प्रकार की काट-छांट की जाना अपराध है।

Dated, the 06.02.2011

1. Marksheet Prepared by *गणेश*

2. Marksheet Compared by *ए.ए.ए.ए.*

कार्यालय प्रति में कौश रसीद क्रमांक

दिनांक

रुपये

T. R. Page No. Centre No.

माशिमम्भो-451-अभिलेख-22.12.2009-20 बक (100-100 पृष्ठ की)

cosnik

ASST. SECRETARY
 BOARD OF SECONDARY EDUCATION
 MADHYA PRADESH, BHOPAL

for Secretary

Board of Secondary Education,
 Madhya Pradesh, Bhopal

2-5 gmb for
Abhishek



BARKATULLAH VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL

STATEMENT OF MARKS

INSTITUTE OF CORRESPONDENCE COURSES
B.ED. (CORRESPONDENCE) 1995-96

MAR-APR '96

NAME : SRI GUAZI SHUJAT AHMAD
ROLL NO. : 0013807 SHEET NO. : 00299
REGIST. NO. : JR 9611811 ENROL. NO. : CC/96/06389

REGULAR GOVT. COLLEGE OF EDUCATION JABALPUR

SUBJECT / PAPERS	SCHEME OF MARKS			MARKS OBTAINED		
	EXT	INT	MIN	EXT	INT	TOTAL
PRINCIPLES & TECHNOLOGY OF EDUCATION	080	020	040	042	016	058
EDUCATIONAL DEVELOPMENT & MANAGEMENT	080	020	040	047	016	063
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY	080	020	040	043	016	059
NON FORMAL EDUCATION	080	020	040	057	016	073
METHODOLOGY OF TEACHING I. HINDI	080	020	040	038	016	054
METHODOLOGY OF TEACHING II. SOCIAL STUDIES	080	020	040	044	017	061
PRACTICAL MAX : 400 MIN : 160			OBT : 279			
			600	TOTAL	368	

THEORY RESULT : PASS 1ST DIVISION
PRACTICAL RESULT : PASS 1ST DIVISION
MARKS OBT.- THEORY : THREE HUNDRED SIXTY EIGHT OUT OF 600
MARKS OBT.- PRACTICAL : TWO HUNDRED SEVENTY NINE OUT OF 400

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (*)
2. The alphabet 'CF' adjacent to marks denotes carry-forward.

DATE 27/03/97

(Signature)
REGISTRAR
Institute of Correspondence Courses
Barkatullah University, Bhopal



No. DE 11780
MAHATMA GANDHI CHITARKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
CHITARKOOT - SATNA (MP)

Revised

Mode: Distance Education

M.A. Education (Final Year)

Session 2007-08

Mark-Sheet

Name of Student : QUAZI SHUJAT AHMAD

Registration No.: 070779

Father's/Husband Name : M.A.QUAZI

Roll No. : 193198

S.N.	Name of Subject/Paper	Int. Marks MM 30	Ext. Marks MM 70	Total MM 100	Result
1.	Comparative Education	24	38	62	Passed With First Div.
2.	Teacher Education	28	43	71	
3.	Environmental Education	26	48	74	
4.	Educational Technology	28	58	86	
5.	Dissertation	-	-	66	
	Total		500	359	
	Previous Marks (Total)		400	262	
	Grand Total		900	621	

Remarks :

Note :

1. Passing marks - 36% (In Internal and External both)
2. Third division - Below 48 to 36%
3. Second division - Below 60 to 48%
4. First division - Below 75 to 60%
5. First division with Honours - 75% and above.



DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDHYALAYA, SAGAR
(Formerly University of Sagar) SR.NO. 26

Statement of marks for the examination of
LL.B. THIRD YEAR SUPL. 1994 NOV-DEC., 94
ROLL NO. 53124 NAME -QUAZI SHUJAT AHMAD
E/52789 QUAZI MUSTAO AHMAD 28/02/95
SUPL -I UNIVERSITY TEACHING DEPTTS., SAGAR

SUBJECTS	SCHEME OF MARKS					MARKS OBTAINED				
	I	II	III	MIN	MAX	I	II	III	TOTAL	
T-XIII LAW OF EVID. & LIMITATION	100	033	100	050	050	
T-XIV PROCEDURAL LAW PART II	100	033	100	040	040	
T-XV BAR COURSES & COURT PRACTICE	100	033	100	049	049	
TP-XVI PL.CONV.LEGAL AID ACT & P.TRAINING	075	075	...	050	150	056	055	...	111	
T-XVII LABOUR LAW	100	033	100	046	046	
T-XVIII CRIMINAL PEN & FORENSIC SCIE.	100	033	100	052	052C	
FIRST YR. MARK 320 / 600					650	GRAND TOTAL		348		
D I S T	M A R K S	SECOND YEAR		THIRD YEAR		GRAND TOTAL		RESULT	DIVISION	%
		TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF			
		303	600	348	650	971	1850			

NINE HUNDRED SEVENTY ONE OUT OF 1850

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (*).
2. The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward.
3. Division on Science subjects for B. Sc. III

University Office :
Sagar, M. P. 470 003.

(Signature)
DOCTOR HARISINGH GOUR
VISHWAVIDYALAYA,
SAGAR (M. P.)

(Signature)
(Dr. B. P. Sahu)
Asstt. Registrar Exams.
Registrar (Exams.)

Self Attested -
(Signature)

Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar

(Formerly : University of Saugar)

DUPLICATE



STATEMENT OF MARKS

B. A. PART III Main/Supple. Examination of 1988

Roll No. H2297 Enrol. No. E/52789 No. 1491

Name of Candidate Quazi Sharaf Ahmad

Father's/Husband's Name Shri. Quazi Mushtaque

Category Regular/Non-Collegiate/Ex-student/Supple Centre C.T.D.-SAGAR

SUBJECT	PAPER	Max. Marks	Min. Pass Marks	Marks Obtained	Carry Forward Marks	Total Marks obtained	RESULT
Compulsory Subject Old Course	Samanya Hindi/Gewekrit Genr English (O. C.) OR O-English [N. C.]	100	33	45		45	
	Pap. I Pap. II	50 50		1 1			
Hindi or Urdu or Marathi or Criminology or Pure Maths or Special English	I	75/50	30/33	25		46	
	II	75/50		21			
	Practical	50	17	27		27	
Political Science or Geography or Yogic Science or Education	I	75/50					
	II	75/50	50/33				
	Sessional Practical	50	17				
Economics or Ancient Indian History or Psychology	I	75/50					
	II	75/50	50/33				
	Sessional Practical	50	17				
History or Philosophy or Anthropology or Music	I	75/50	50/33	40		80	
	II	75/50		40			
	Sessional Practical	50	17				
Sociology or Linguistics or Persian or Sanskrit Home Sc. or Statistics	I	75/50	50/33	33		85	
	II	75/50		52			
	Sessional Practical	50	17				

ADDITIONAL SUBJECT

Subject	Max. Marks	Pass Marks	Marks obtained	Result
O. English S. Hindi OR S. Sanskrit	100	33		PASS

Marks obtained in add. Subject
.....(in words).....
..... marks out of 100

Total of Marks obtained 283 (in words) Two hundred
Eighty-three only out of 550
Total Marks obtained at B. A. Part II 271 out of 550
Grand Total of Marks obtained 554 (in words) Five hundred
fifty-four only out of 1100
Passed in SECOND Division / Failed/SUPPLE IN

Chances Supp. Exam 1988/Main Exam. 1989
Distinction (if any) in
Prepared by [Signature] Checked by [Signature]
Date of receipt of Mark-Sheet
by the Deptt. / College
SAGAR
Dated 1.2.1989

For Registrar
[Signature]
Asst. Registrar (Examinations)
Dr. Harisingh Gour
Vishwavidyalaya, Sagar

Signature

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAM.,

1984
SUPPL. EXAM. AUGUST, 1984

S. NO. 363970

MARK SHEET

CANDIDATE	ROLL NUMBER	OP. NO.	DET. NO.	CENTRE NO.	SCHOOL NO.	PREVIOUS ROLL NO.	DATE OF BIRTH
	51597	5	1	5159	PR	****	JUL. 1968



NAME OF CANDIDATE
SHRI. NIAZI MUSTAK AHMED

SUBJECT(S)	MAX. MARKS	MIN. PASS MARKS	MIN. QUAL. THEO.	MIN. QUAL. PRAC.	RES. MARKS	NEE. MARKS	TOTAL MARKS THEO.	PRAC. MARKS	TOTAL
HINDI (SPECIAL)	150	50			37	45	082		082
ENGLISH (GENERAL)	50	15			19		015		015
PHYSICS	200	66	37	12	41	16	057	45	102
CHEMISTRY	200	66	37	12	23	29	052	46	098
BIOLOGY	200	66	37	12	24	30	054	41	095
ADDITIONAL SUBJECT(S) (IF ANY)	500		SECOND				GRAND TOTAL		342

SEAL OF FORWARDING OFFICER OR INSTITUTION

Seer Jyoti
PRINCIPAL
26/7/1984

GOVT. H. S. SCHOOL
Gunahri Moham, Sihore

Sumit
सहस्रक सचिव

[Signature]

(K. S. JAIN)
SECRETARY

self Attested. -

SA

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

89/

0773



Bachelor of Education Examination, 1997.

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 274 Regn/Enrol. No. PE/7301
 Name Raj Kumar Yadav

Paper	Subjects	Max. Marks	Mini. Pass Marks	Marks Obtd.
PART I (THEORY)				
I	Principles & Practice of Education	100	25	45
II	Educational Psychology and Elementary Statistics	100	25	50
III	(A) Development and Problems of Indian Education	60 } 100 40 }	25	67
	(B) Special Course in Education <i>Exceptional Children</i>			
IV	School Organisation & Health Education	60 } 100 40 }	25	60
V	Methodology of Teaching School Subject Group I... <i>Biology</i>	100	25	67
VI	Methodology of Teaching School Subject Group II... <i>Chemistry</i>	100	25	56
Total—		600	240	345
PART II (PRACTICAL)				
A	Practical Teaching work during the Session in both School Subjects offered under paper V & VI	100	40	89
B	(i) Final Test in Teaching Lessons (Two Subjects)	100	40	72
	(ii) Viva-Voce on Methodology of Teaching School Subjects	100	40	73
C	Test/Assignment Connected with Six Theory Papers	150		136
D	Socially useful Productive Work	100		72
	(i) Sessional & Theory			
	(ii) Practical			
E	Community Life	25		19
F	Co-Curricular Activities	25		21
Total—		600	240	482

Total of marks obtained in words }
 in Part I (Theory) *Three hundred & forty five only* out of 600.
 In Part II (Practical) *Four hundred & eighty two only* out of 600

RESULT—Passed in (Part I) (Theory) *SECOND* Division/Failed
 Passed in (Part II) (Practical) *FIRST* Division/Failed.

Remarks, X.....

[Signature]

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur



M. Sc. (Final) Examination, 1987.

Subject :- Botany

86/ No. 057

STATEMENT OF MARKS

Roll No. 1152

Regn/Enrol. No. PE/730

Name. Raj Kumar Yadav

Subjects	Max. Marks	Marks Obtained
Paper I—Angiosperms	75	57
Paper II—Plant Physiology and Biochemistry	75	37
Paper III—Cytology, Genetics, Plant Evolution and Biometry	75	22
Paper IV—Special Papers A—Microbiology B—Plant Pathology E—Experimental Phycology F—Acrobiology	75	49
Practical (General)	100	79
Practical on Special Paper	60	47
Sessional (General)	25	25
Sessional on Special Practical	15	15
Dissertation and Viva-Voce	150	—
Total—	500	331

Total of Marks obtained..... 331 (In Words)..... Three

Hundred thirty one only out of 500.

Total of Marks obtained in M.Sc. Previous Examination... 302 out of 500.

Aggregate of Previous & Final Examination..... 633 out of 1000.

Result :- Passed in... First Division Failed.

Remarks.....

Abbreviations C=Paper cancelled A=Absent

Jabalpur Prepared by [Signature] Asstt/Dy. Registrar (Exams)

**RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA
JABALPUR**



STATEMENT OF MARKS

S NO 113

B. SC. PART III EXAMINATION, 1985 (MAIN)

ROLL NO. 7117 NAME : RAJ KUMAR YADAV
 F/H : TAPESHWER PRASAD YADAV
 ENROLMENT NO. PE7301 CATEGORY : REGULAR
 CENTRE : GOVT. SCIENCE COLLEGE, JABALPUR

S U B J E C T	MAX MARKS	PAP			TOT	PRAC	SUB TGT	PRV YR	GRAND TOTAL
		I	II	III					
CHEMISTRY	150	21	16	10	56	28	84	79	163
BOTANY	150	18	32		50	30	80	76	156
ZOOLOGY	150	29	26		55	34	89	75	164
** TOTALS **	450						253	237	493

TOTAL MARKS OBTAINED/OUT OF - 483/ 900
 FOUR HUNDRED EIGHTY THREE O/F NINE HUNDRED
 RESULT : PASSED IN SECOND DIVISION

GOVERNMENT SCIENCE COLLEGE
JABALPUR.

to Registrar

Jabalpur, (India)
Dated 13/08/85

Asst./Dy. Registrar
Examinations

Abbreviations :- BF — Brought Forward Marks, DS — Distinction, ABS — Absent
 FT — Fall in Theory FP — Fall in Practical

B-BROUGHT FORTH, F-Fall in whole Subject or Group
 Note :- Please see notes on reverse

G-GRACE

अंक पत्र — हाई स्कूल परीक्षा १९६१

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित १९६१ की हाईस्कूल परीक्षा में
निम्नलिखित परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण :-

अनुक्रमिक परीक्षार्थी का नाम क्रमांकी वर्ग क्रमांक
591444 RAJKUMAR YADAV 01-01-67 E 048900

विद्यालय/केन्द्र का नाम परीक्षा प्रकार संस्था./व्यक्ति
D.R. INTER COLLEGE BAIRIA BAILEIA FULL EXAM REGULAR

विषय	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	विषयानुसार प्राप्ति							योग	सम्पूर्ण योग सर्व परीक्षाएँ
			अंक अ. अ.	अंक अ. अ.	अंक अ. अ.	अंक अ. अ.	अंक अ. अ.	अंक अ. अ.	अंक अ. अ.		
HINDI	100	33	33	28						061	TOTAL 273
MATHEMATICS	100	33	34	18						052	ASSEC
SANSKRIT	100	33	23	34						057	SECOND CIV
ENGLISH	100	33	22	23						045	
SCIENCE	100	33	19	24	15					058	

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक ६-२-६१
गोपनीयता का ध्यान रखें।

उपरोक्त विवरण सत्य है।
राष्ट्रीय विद्यालयानाचार्य के हस्ताक्षर
अनुसंधान विभाग

अंक पत्र — इन्टरमीडिएट परीक्षा १९८३
 मध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित १९८३ की इन्टरमीडिएट परीक्षा में
 निम्नलिखित परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	वर्ग	क्रमांक
275613	RAJ KUMAR YADAV	B1	113312
विद्यालय/केन्द्र का नाम		परीक्षा प्रवर्ग संस्था./व्यक्ति.	
D R INT COLLEGE BARIYA EALLIA		FUL EXAM REGULAR	

विषय	अंक पूर्व	अंक वर्त	प्रश्नपत्रानुसार प्राप्तांक			योग	समूह का अंक उत्पन्न कर
GENERAL HINDI	100	33	1/13	2/21	3/25	063	289/500
ENGLISH	100	33	1/25	2/22		048	PASSED
PHYSICS	100	33	1/23	2/27	P/15	065	SEC310 DIV
CHEMISTRY	100	33	1/24	2/13	P/17	060	
BIOLOGY	100	33	1/15	2/15	P/21	052	

अधिकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक 23-6-83
 प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मुहर
 प्रधानाचार्य
 नाम ...
 पता ...
 विद्यालय ...

नोट—आवश्यक सूचना दीये सुचित हैं।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(NAAC ACCREDITED 'B' UNIVERSITY)

अनुक्रमांक : 19120410



शिक्षा निष्णात (विज्ञान)

प्रमाणित किया जाता है कि

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर के छात्र

राजकुमार यादव

ने जून 2021 में सेमेस्टर पद्धति ली गई इस विश्वविद्यालय की
शिक्षा निष्णात (विज्ञान) परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।

इन्हें शिक्षा निष्णात (विज्ञान) की उपाधि प्रदान की जाती है।

Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur

Roll No. : 19120410

MASTER OF EDUCATION (SCIENCE)

This is to certify that

Rajkumar Yadav

a student of State Institute of Science Education, Jabalpur passed the Examination

by Semester System for the Degree of Master of Education (Science) of this

University held in the June 2021 and was placed in First Division

The Degree of Master of Education (Science) is being awarded to him.

Prof. Kapil Deo Mishra

कुलपति

Vice-Chancellor

जबलपुर, दिनांक : 12 जनवरी 2022.

Jabalpur, Dated : 12th January, 2022.

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (MP)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

Statement of Marks



M.Ed. (Science) IV Semester Exam June-2021

S.No. : P4/000024

ROLL NO : 19120410

NAME : RAJKUMAR YADAV

F/H NAME : TAPESHWAR PRASAD YADAV

MOTHER : LATE KAMLA DEVI

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION, JABALPUR

CATG : REGULAR

ENROL No : PE7301



राजकुमार,

Subjects		Scheme of Marks				Marks Obtained				
		I	II	III	Min	Max	I	II	III	Tot
CONTEMPORARY AND FUTURE PERSPECTIVE OF EDUCATION	Th	80			32	80	72			72
	CCE	20			10	20	19			19
RESEARCH DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION-II	Th	80			32	80	65			65
	CCE	20			10	20	16			16
SPECIAL EDUCATION-II	Th	80			32	80	65			65
	CCE	20			10	20	18			18
DISSERTATION										
	CCE	50			25	50	42			42
	Pr	100			50	100	87			87

Total Three Hundred Eighty Four Out Of 450

384

Previous Sem Marks

Sem 1 353 / 450

Sem 2 397 / 450

Sem 3 423 / 450

Sem 4 384 / 450

Total 1557 / 1800

RESULT : PASS

DIVISION : FIRST

PERCENTAGE : 86.50%

In Words : One Thousand Five Hundred Fifty Seven Out Of 1800

04-03-2022

Saraswati Vihar Jabalpur

Clarifications of the abbreviations used may be seen on reverse

plero
Director
State Institute of Science Education
Jabalpur

plero
Assistant Registrar
(Exams.)

Rani Durgavati Vishwavidyalaya
Assl. Dy Registrar (Exams.)
JABALPUR

शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

2707
1899
COLL

शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्

TAL




स. क्र. 889


प्रमाण-पत्र

श्री/कुमारी/श्रीमती अमृत शंकर पाण्डेय
पिता/पति का नाम श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय
परीक्षार्थी क्रमांक 5497 निवास स्थान मऊगंज (शिव)
को दिनांक 19-2-1989 को जबलपुर
में शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् द्वारा ली गई हिन्दी मुद्रलेखन की
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में यह प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
उनकी मुद्रलेखन की गति 25 शब्द प्रति मिनट है।

भोपाल:


अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

दिनांक 17-1-1990

शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्
मध्यप्रदेश 



RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA JABALPUR

Statement of marks for the examination of
B.A. part III (Unified) Comp. Exam. No.

ROLL NO : 2736/S E/R NO: PI/106
NAME : SHRI AMRIT SHANKAR PANDEY
F/H NAME : SHRI V.P. PANDEY

Sr. No. of Education
Govt. College of Education
JABALPUR

SUBJECTS	SCHEME OF MARKS					MARKS OBT				
	I	II	III	MIN	MAX	I	II	III		
FOUNDATION COURSE GROUP	50	50	50	50	150	24	23	14	61	
1. GENERAL AWARENESS										
2. HINDI LANGUAGE										
2. ENGLISH LANGUAGE										
ECONOMICS	75	75	**	50	150	34	30	**	064	
POLITICAL SCIENCE	75	75	**	50	150	30	29	**	059	
SOCIOLOGY	75	75	**	50	150	34	31	**	065	
TWO HUNDRED FOURTY NINE ONLY					600	GRAND TOTAL		249		
M A R K S	FIRST YEAR		SECOND YEAR		THIRD YEAR		GRAND TOTAL		RESULT	DIVISION
	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF		
	-	-	288	600	249	600	0537	1200	PASS THIRD	

ATTEMPT : III

Clarifications of the Abbreviations used may be seen on reverse

Saraswati Vihar, Jabalpur

Dated

07 JAN 1992

CANDIDATE COPY

(Signature)

Asst. / Dy. Registrar (Exams.)



BOARD OF SECONDARY EDUCATION MADHYA PRADESH BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAM., 1985

APRIL - MAY, 1985.
MARK SHEET

S. NO. 266778

ROLL NUMBER	DATE OF BIRTH	DIV NO.	DIST NO.	CENTRE NO.	SCHOOL NO.	CANDIDATE
403755	25 JAN. 1967	4	1	4119	018	REGULAR

SRI AMRIT SHANKAR PANDEY
S/O SRI VISHWANATH PANDEY

SUBJECT(S)	MAX MKS	MIN PASS MKS	MIN QUAL THEO	MIN QUAL PRAC	MKS PAPER I	MKS PAPER II	TOTAL MARKS THEO	PRACT MARKS	TOTAL MARKS SECURED
HINDI (SPECIAL)	150	50			40	37	077		077
ENGLISH (GENERAL)	50	15			26		026		026
PHYSICS	200	66	37	12	30	20	050	37	087
CHEMISTRY	200	66	37	12	33	34	067	34	101
BIOLOGY	200	66	37	12	26	27	053	40	093
ADDITIONAL SUBJECT(S) (IF ANY) ↓									
RESULT →	800 SECOND								GRAND TOTAL 384
1 9 8 5									



J. P. Divedy
(J. P. Divedy)

(FOR REGULAR CANDIDATES ONLY)





SEAL OF FORWARDING OFFICER

C) NAME OF FACULTY MEMBERS WHO LEFT OR JOINED DURING LAST QUARTER

• Faculty Members who joined the institute during Last Quarter : -


S.No.	Faculty Name	Designation	Joining Date	Photo
1	Smt. Zareena Khan	Senior Lecturer	23-06-2025	
2	Dr. Ajay Tiwari	Senior Lecturer	16-06-2025	
3	Smt. Shabana Parveen	Madhyamik Shikshak	23-06-2025	

• Faculty Members who Left/Retire the institute during Last Quarter : -

S.No.	Faculty Name	Designation	Retire Date	Photo
1	Smt. Shraddha Pathak	Director	31-07-2025	
2	Dr. Smt. Usha Choudhary	Asst. Director	31-05-2025	
3	Shri Ram Kumar Shrivastava	Asst. Professor	31-12-2025	
4	Shri Pradeep Kumar Behre	Asst. Professor	31-01-2026	

राज्य शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

5	Smt. Sunita Shrivastav	Senior Lecturer	30-09-2025	
6	Smt. Sadhna Pandey	Lecturer	31-01-2026	
7	Dr. Smt. Jyoti Karlekar	Lecturer	30-09-2025	
8	Smt. Bhawna Gadhwal	Lecturer	28-02-2026	
9	Shri Vinod Kumar Mishra	Teacher	30-06-2025	


 राचालक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर

STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER
EDUCATION JABALPUR (M.P.)

प्रवेश सूची B.Ed. (Sc.) सत्र 2024-26

स.क.	छात्राध्यापक का नाम	विभागीय / गैरविभागीय	स्कूल का नाम
1	अर्जुन अमझरे	विभागीय	आ.जा.क.वि.शा.प्रा.वि.टांडा (विकल्या) जिला- बडवानी
2	सनित कुमार पटेल	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.लमतरा जिला- कटनी
3	मुकेश कुमार लोधी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.कुम्ही सतधारा जिला- जबलपुर
4	हितेश श्रीवास्तव	विभागीय	शिक्षा विभाग सी.एम.राईज उमावि गुना जिला- गुना
5	सर्वेश शुक्ला	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.पू.मा.शा.किरनताल जिला- उमरिया
6	महेन्द्र कुमार विसेन	विभागीय	शिक्षा विभाग एकीकृत मा.शा.बसरिया जिला- विदिशा
7	माधुरी रामटेके	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.तौरी जिला- बालाघाट
8	श्वेता साहू	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.हरिजनटोला हरई जिला- जबलपुर
9	अनुष्का सोनी	गैरविभागीय	गैर विभागीय जगदम्बा कालोनी जिला-जबलपुर
10	वन्दना उईके	गैरविभागीय	गैर विभागीय केवलारी जिला- सिवनी
11	अपूर्वा चौबे	गैरविभागीय	गैर विभागीय जे.डी.ए.कालोनी जिला- जबलपुर
12	संजना सिसोदिया	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.हाई स्कूल भाडखापा जिला- छिदवाडा
13	शीतल सोलंकी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.एकीकृत मा.शा.कपाली जिला- बैतूल
14	पवन दुबे	विभागीय	आ.जा.क.वि.शा.मा.शा.रचमी समैया जिला- छिदवाडा
15	संतोष पटेल	विभागीय	आ.जा.क.वि.शा.मा.शा.छिदा हरई जिला- छिदवाडा
16	पंकज बर्मन	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उ.मा.वि.मैसवाही जिला- कटनी
17	गीता देवी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.विकयटोला पिलौजी कालोनी जिला- कटनी
18	रीना खरे	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.बा.मा.शा.जबेरा जिला- दमोह
19	हर्षिता	गैरविभागीय	गैर विभागीय आमला बैतूल
20	सपना सोनकर	गैरविभागीय	गैर विभागीय हटा, जिला- दमोह
21	अरविंद प्रजापति	विभागीय	शिक्षा विभाग शा. एकीकृत हाईस्कूल तलेन, जिला- शाजापुर
22	ब्रह्मेन्द्र गौतम	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.मा.शा.घुघरी जिला- बालाघाट
23	निखिल शर्मा	विभागीय	आ.जा.क.वि.एकीकृत मा.शा.सुधारसानी जिला- नरसिंहपुर
24	कैलाश असाठी	विभागीय	शिक्षा विभाग जनपद मा.शा.बोरनपुर जिला- दमोह
25	रोशनी असाठी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.किवलारी जिला- दमोह
26	जागेश्वरी टेम्भरे	विभागीय	शिक्षा विभाग सी.एम.राईज मलाजखण्ड जिला- बालाघाट
27	आशा साकेत	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उमावि.रजनिया जिला- सिंगरौली
28	उज्जवल मेश्राम	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उत्कृष्ट उमावि. लांजी जिला- बालाघाट
29	पुष्पा परते	गैरविभागीय	गैर विभागीय विजय पानी सिवनी
30	गिरजा प्रसाद अमरिया	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.ब्रा.शा.उमरी जिला- पन्ना
31	गीतांजली सूर्यवंशी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.सेमरताल तामिया जिला- छिदवाडा
32	सपना कौरव	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.पिपरिया जिला- नरसिंहपुर

प्रचारक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

33	छाया देवी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा.नटराज नगर जिला-सतना
34	पल्लवी मरकाम	गैरविभागीय	गैर विभागीय चौरा डोंगरी छिंदवाडा
35	सुरभि मिश्रा	गैरविभागीय	गैर विभागीय बेन गंगा रोड शहडोल
36	रवि सोनी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा. माडल उ.मा.वि. जीरापुर, राजगढ़
37	नागेन्द्र चतुर्वेदी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.पूर्व मा.शा.घूघटी जिला- सतना
38	मोहन लाल कुशवाहा	विभागीय	आ.जा.क.वि.पूर्व मा.शा. तेन्दुआट, शहडोल
39	शिवानी पाण्डेय	गैरविभागीय	गैर विभागीय जगदम्बा कालोनी जिला-जबलपुर
40	मान्या सिंह	गैरविभागीय	गैर विभागीय रोशन नगर, कटनी, जिला- कटनी
41	अभिषेक विस्वेकर्मा	गैरविभागीय	गैर विभागीय आश्रम पिपरिया, मझौली, जिला- जबलपुर
42	प्रीति जियूतोडे	गैरविभागीय	गैर विभागीय लांझी, जिला- बालाघाट
43	श्रुति चतुर्वेदी	गैरविभागीय	गैर विभागीय ब्यूहारी, जिला- शहडोल
44	अशोक कुमार बाजपेई	विभागीय	आ.जा.क.वि. शा. हाईस्कूल मांझीपुरा, जिला- मण्डला
45	अकिता मिश्रा	विभागीय	आ.जा.क.वि. शा. एकीकृत मा.शा.भीष्मपुर, जिला- मण्डला
46	अखिलेश कुमार चतुर्वेदी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.हाईस्कूल शाजापानी, जिला- सिंगरौली
47	सोनम नागेश	गैरविभागीय	गैर विभागीय बिजौरी, घंसोर, जिला- सिवनी
48	घनेश्वरी मरावी	गैरविभागीय	गैर विभागीय केरपानी घनगांव, मवाई, जिला-
49	भावना ठाकरे	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उ.मा.वि. मोहगांव, जिला- बालाघाट
50	अतुल सिंह	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उ.मा.वि. मदनवारा जिला- सतना
51	मोनिका देवी मार्को	गैरविभागीय	गैर विभागीय झुरकी निवास, जिला- मण्डला
52	रामगोपाल सौनी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.एकीकृत मा.शा. रोझडा, जिला- नर्मदापुरम
53	शिवम कुशवाहा	गैरविभागीय	गैर विभागीय लालमाटी, जिला- जबलपुर
54	नीरज कुमार शिवहरे	विभागीय	आ.जा.क.वि. शा. कन्या उ.मा.वि. धूमा, जिला- सिवनी
55	एजिल एक्का	गैरविभागीय	गैर विभागीय बारा पत्थर, जिला- सिवनी
56	रविन्द्र कुमार शुक्ला	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.मा.शा. उमरिया, जिला- छिंदवाडा
57	सतीश पवार	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.मा.शा.बांका मुकासा, जिला- छिंदवाडा
58	ललिता देवी चौधरी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.हाईस्कूल कटंगी कला, जिला- कटनी
59	मेर सिंह मरावी	विभागीय	आ.जा.क.वि. शा. प्रा.वि. पडरमाटा, जिला- छिंदवाडा
60	श्रीमती लता बिसेन	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.मा.शा.चिखली वाला जिला- सिवनी
61	नेहा साहू	गैरविभागीय	गैर विभागीय शिवनगर कॉलोनी मरझोर, सिवनी
62	अंजलि पटैल	गैरविभागीय	गैर विभागीय लखेरा, जिला- कटनी
63	स्वाती चौधरी	गैरविभागीय	गैर विभागीय कोडिया, गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर
64	राजेश साहू	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.कन्या हाईस्कूल खेरा कलारी जिला- सिवनी
65	पूर्णमा शर्मा	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.प्रा.शा. पुरवा, नं.-2 जबलपुर जिला- जबलपुर
66	सावित्री कोरी	गैरविभागीय	गैर विभागीय त्रिपुरी चौक, जबलपुर जिला- जबलपुर
67	कन्हैया कुमार यादव	गैरविभागीय	गैर विभागीय गाडाघाट घंसौर, जिला- सिवनी
68	अलका तिवारी	गैरविभागीय	गैर विभागीय भलवार बकिया बेली जिला- सतना
69	ऋषभ उरमलिया	गैरविभागीय	गैर विभागीय अम्बे कालोनी पनागर जबलपुर, जिला- जबलपुर

70	ऋतु टाडिया	गैरविभागी	गैर विभागीय बरगांव शहपुरा जिला- डिण्डौरी
71	अर्चना पटैल	गैरविभागी	गैर विभागीय अमरपाटन जिला- सतना
72	हर्षिता पटैल	गैरविभागी	गैर विभागीय खजुआ कला, जिला- सीवा


संचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

**STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER
EDUCATION JABALPUR (M.P.)**

प्रवेश सूची M.Ed. (Sc.) सत्र 2024-26

स.क.	छात्राध्यापक का नाम	विभागीय / गैरविभागीय	स्कूल का नाम
1	वर्षा गुप्ता	विभागीय	शिक्षा विभाग शा. हाईस्कूल सूरतलाई जिला- जबलपुर
2	मनीष कुमार असाठी	विभागीय	आ.जा.क.वि.एकलव्य आवासीय विद्यालय जबलपुर जिला-जबलपुर
3	मोहन यादव	विभागीय	आ.जा.क.वि.शा.मा.वि. चौकीताल, बीजादांडी जिला-मण्डला
4	श्रीमती संगीता नौरोजी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.कन्या उ.मा.वि. कुण्डम, जिला- जबलपुर
5	पूनम शोभा टोप्यो	विभागीय	शिक्षा विभाग एकी. शा.हाईस्कूल डगडगाहिनीता, जिला- जबलपुर
6	श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उत्कृ.उ.मा.वि. शहपुरा जिला- जबलपुर
7	विजय तिवारी	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उ.मा.वि. हरई, जिला- जबलपुर
8	सुशील कुमार यादव	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.कन्या उ.मा.वि. बघराजी, जिला- जबलपुर
9	श्रीमती चुनौती टेम्भरे	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.हाईस्कूल बसकुटा, जिला- सिवनी
10	श्रीमती बसंती मर्सकोले	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उ.मा.वि. मेघा, जिला- सिवनी
11	सोनू कुमार	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.कन्या उ.मा.वि. पडरिया, कुण्डम जिला- जबलपुर
12	दीपमाला श्रीवास	विभागीय	शिक्षा विभाग पं.ल.शं.झा मॉडल मिडिल स्कूल जिला- जबलपुर
13	दीपक कुमार अग्निहोत्री	विभागीय	शिक्षा विभाग शा.उ.मा.वि. उमरिया जिला- नरसिंहपुर

रांचालक

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

**STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER
EDUCATION JABALPUR (M.P.)**

प्रवेश सूची B.Ed. (Sc.) सत्र 2025-27

क्र.	छात्राध्यापक का नाम	विभागीय / गैरविभागीय	स्कूल का नाम
1	नोखे लाल गौतम	विभागीय	शा.उच्चतर माध्यामिक विद्यालय अरी
2	रजनीश कुमार मिश्रा	विभागीय	शा. माध्यामिक विद्यालय जुहला कटनी
3	कमलेश कुमार शुक्ला	विभागीय	शा.हाई स्कूल पनपथा उमरिया
4	भावना वारस्कर	विभागीय	शा.उच्चतर माध्यामिक विद्यालय सोनाखार
5	नीतू गौतम	विभागीय	शा. माध्यामिक विद्यालय बिलाईकाप
6	दुर्गा चिल्हारे	विभागीय	शा.नवीन उच्चतर माध्यामिक विद्यालय मुलताई
7	महेन्द्र कुमार जैन	विभागीय	शा.हाई स्कूल रजरा दमोह
8	वीरन सिंह धुर्वे	विभागीय	शा.नवीन माध्यामिक विद्यालय चरगोंव कला
9	उषा खादीकर	विभागीय	शा.उच्चतर माध्यामिक विद्यालय खण्डारा बैतूल
10	रणजीत सिंह	विभागीय	शा.माध्यामिक विद्यालय बाधी मौहार सतना
11	आरती यादव	विभागीय	शा. माध्यामिक विद्यालय अमोंव त्योथर रीवा
12	अर्चना परतेली	विभागीय	शा.एकीकृत माध्यामिक विद्यालय अम्बाडा
13	कमलेश कुमार कोरी	विभागीय	शा.प्राथमिक शाला आलोद नरसिंहपुर
14	निकेता कोरी	विभागीय	शा.उच्चतर माध्यामिक विद्यालय इमझिरा नरसिंहपुर
15	लखन सिंह ठाकुर	विभागीय	शा. माध्यामिक विद्यालय टीकरी बुजुर्ग
16	ऑसमा बी असारी	विभागीय	शा. हाई विद्यालय पहरूआ
17	अमिता धुर्वे	विभागीय	शा. उच्चतर माध्यामिक विद्यालय सोंवरी बाजार वि.खं.मोहखेडा
18	अनीता अहिरवाल	विभागीय	शा.एकीकृत माध्यामिक विद्यालय धुनगोर
19	लच्छी लाल आर्मा	विभागीय	शा.एकीकृत माध्यामिक विद्यालय ठोडा
20	तीरथ सिंह गौड	विभागीय	शा.माध्यमिक विद्यालय हीरापुर टोला
21	अरविंद सिंह परिहार	विभागीय	कन्या उमावि.करही कला
22	रामेश्वर प्रसाद रावत	विभागीय	सांदीपनी उमावि. कुशमी सीधी
23	अश्वनी कुमार राणा	विभागीय	शा.उमावि.मानेगांव बालाघाट
24	भागीरथी साकेत	विभागीय	शा.उमावि.पहाड़ी रीवा
25	इनोद टोप्यो	विभागीय	शा.उमावि.विन्दूल सिगरौली
26	अंजू पांडे	विभागीय	शा.क.उमावि.बैढन
27	सपना गौतम	विभागीय	शा.मावि.बंजारी कटनी
28	माया जावरिया	विभागीय	पी.एम.श्रीलालकामदराजशा.उमावि.पतौरा सतना
29	ददुल्ले प्रसाद सतनामी	विभागीय	शा.मावि.हरदी सुकवाह सतना
30	राघवेन्द्र प्रसाद उरमलिया	विभागीय	शा.उमावि.खलरी
31	जितेन्द्र कुमार शरणागत	विभागीय	शा.मा.शाला केकडई सिवनी
32	संगीता सिंह	विभागीय	पी.एम.श्री वेंकट शा.उमावि. सतना

रिश्तालक


राज्य शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्ष, लक्ष्मी महाविद्यालय
जबलपुर

33	विनाद कुमार सिंह	विभागीय	शा मा शाला लक्ष्मण सिंह रौरा रीवा
34	सूर्यकांत चौधरी	विभागीय	पी एम श्री बैंकट शा उमावि सतना
35	सरस्वती साहनी	विभागीय	शा उमावि उमावि गडरहा सिंगरीली
36	सुबोध कुमार झारिया	विभागीय	शा हाई स्कूल राखी
37	वदना नेमा	विभागीय	शा नवीन शा धूरपुर करेली नरसिहपुर
38	जगदीश प्रसाद बर्मन	विभागीय	शा प्राध शा खभरा सिहोरा
39	अखिल कुमार तिवारी	विभागीय	शा पू मा शा खैरा रायपुर रीवा
40	तुलसी पट्टा	विभागीय	शा एकीकृत मा शा छपरी अमरपुर डिण्डोरी
41	मनीष कुमार सोनी	विभागीय	शा नवीन मा शा उमरिया
42	कीर्ति विश्वकर्मा	गैरविभागीय	राधा-कृष्ण मंदिर मोहल्ला, मु0पो0 बघराजी, तह0कुण्डम
43	हिमानी यादव	गैरविभागीय	प्लॉट नै0 बी-30, सजय नगर बडा पत्थर राझी, जबलपुर,
44	अजली चौधरी	गैरविभागीय	बादशाह हलवाई मंदिर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर
45	तनु पाण्डेय	गैरविभागीय	म0न0 167, बार्ड-04, लोकसागर तालाब, बरेला, जिला- जबलपुर
46	पलक तिवारी	गैरविभागीय	देसाई माता मंदिर के पास, तिघरा, खमरिया, जिला- जबलपुर
47	प्रियका चौधरी	गैरविभागीय	हनुमान बार्ड, करेली, जिला- नरसिहपुर
48	जेबा फातिमा	गैरविभागीय	2025, मोलाना की गली, कोतवाली, जिला- जबलपुर
49	कृतिका भलावी	गैरविभागीय	वार्ड-47, माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड, लोनिया कलबल, छिदवाडा
50	अंकिता देवी बनावल	गैरविभागीय	करौदा टोला, खाटी, पुष्पराज गढ़, अनूपपुर
51	अनिरुद्ध सिंह ठाकुर	गैरविभागीय	स्टेशन रोड, ठाकुर निवास, गाडरवारा, जिला- नरसिहपुर
52	सावित्री मरकान	गैरविभागीय	ददर गाँव, मेहदवानी, जिला- डिंडौरी
53	प्रिया परसवार	गैरविभागीय	आजाद वार्ड गोटेगाँव, जिला- नरसिहपुर
54	अमरदीप साहू	गैरविभागीय	पंजाब बैंक कॉलोनी, दमोह नाका, जबलपुर
55	शालू शर्मा	गैरविभागीय	ए-8, सत प्रकाश भवन, बादशाह हलवाई मंदिर, ग्वारीघाट रोड,
56	अमृता	गैरविभागीय	बिजापुरी, पडरिया, कुण्डम, जिला- जबलपुर
57	अर्शिया असारी	गैरविभागीय	374/31, मोमिन ईदगाह, जाकिर हुसैन बार्ड, जबलपुर
58	शुभम चौधरी	गैरविभागीय	बिल्हा शिल्पी नगर, भेडाघाट, जबलपुर
59	दीपिका बरकडे	गैरविभागीय	पौंडी माल, बीजादाडी, जिला- मण्डला
60	कंचन बर्मन	गैरविभागीय	ग्राम व मुकाम- कुण्डम, जिला- जबलपुर
61	दीपेन्द्र चौधरी	गैरविभागीय	नया बाजार, 03, मल्लपुरा, दमोह
62	यश टेम्भरे	गैरविभागीय	माझापुर, कनकी, बालाघाट
63	देवेन्द्र पाल	गैरविभागीय	पिण्डरइ (पाजी), तेन्दूखेडा, जिला- दमोह
64	दिव्या उपाध्याय	गैरविभागीय	तेवर, पिपरिया, भेडाघाट रोड, जबलपुर
65	आशना प्यासी	गैरविभागीय	1219, आई0टी0आई0 माढोताल, जबलपुर
66	रक्षा मेहरा	गैरविभागीय	डॉ0 भद्र कं दवाखाना के पास, गोटेगाँव, जिला- नरसिहपुर
67	प्रियंका बट्टे	गैरविभागीय	झिगरी, रुसा, जिला- डिण्डौरी
68	अन्हा परवीन	गैरविभागीय	आलमगंज चीप हाउस, धनपुरी, शहडोल
69	प्रिंसी साहू	गैरविभागीय	लाठगाव, गोटेगाँव, जिला- नरसिहपुर

संचालक

राज्य शिक्षा संस्थान एवं
अध्ययन शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

70	तमन्ना परबीन	गैरविभागी	107, दक्षिण मिलौनीगंज, जबलपुर
71	अंजली यादव	गैरविभागी	ग्राम पो0 घाट सिमरिया, सीहोरा, जिला- जबलपुर
72	हनुमान अग्रिया	गैरविभागी	वार्ड-08, चंदिया, उमरिया
73	मोनिका मिश्रा	गैरविभागी	पुलिस क्वार्टर, गोहलपुर, जिला- जबलपुर
74	रोहित सिंह	गैरविभागी	जटंगा बेल डोगरी, पुष्कराज गढ़, अनूपपुर
75	रागिनी पुसाम	गैरविभागी	शारदा चौक, जबलपुर
76	गायत्री लोधी	गैरविभागी	ग्राम-पो0 भीटा फुलर, शहपुरा, जबलपुर
77	रोशनी बर्मन	गैरविभागी	नई बस्ती सुभाष नगर, झंडा चौक, रांडी, जबलपुर
78	सतेन्द्र शाह मरावी	गैरविभागी	म0नं0 03, वार्ड-08, बरछा माल, डिण्डौरी
79	राज राजेश्वर शाह मरावी	गैरविभागी	म0नं0 03, वार्ड-08, बरछा माल, डिण्डौरी
80	आरती साहू	गैरविभागी	ग्राम- अनहाई, बनखेडी, नर्मदापुरम्
81	लखन मरावी	गैरविभागी	सरसा रैयत, मेहंदवानी, जिला- डिण्डौरी


संचालक
 राज्य शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर

**STATE INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND COLLEGE OF TEACHER
EDUCATION JABALPUR (M.P.)**

प्रवेश सूची M.Ed. (Sc.) सत्र 2025-27

क.	छात्राध्यापक का नाम	विभागीय	स्कूल का नाम
1	भूपेन्द्र कुमार दुबे	विभागीय	शा.हाई स्कूल घाट पिडरई नरसिंहपुर
2	शालिनी सोनी	विभागीय	शा.उमावि.घनपुरी जबलपुर
3	जया सोनी	विभागीय	शा.उत्कृष्ट वि.पनागर जबलपुर
4	चित्रा घुर्वे	विभागीय	शा.क.उमावि जुन्नारदेव छिदवाडा
5	आरती सराठे	विभागीय	शा.क.उमावि.कुण्डम जबलपुर
6	सोनम कोरी	विभागीय	शा.उमावि.गोसलपुर जबलपुर
7	अर्पणा शर्मा	विभागीय	शा.उमावि.बेलखाडू जबलपुर
8	रुचि अग्निहोत्री	विभागीय	शा.पी.एम.श्री उमावि.नुनसर पाटनजबलपुर
9	निशा तिवारी	विभागीय	शा.उमावि.क.बरगी जबलपुर
10	भावना मिश्रा	विभागीय	शा.उमावि.खलरी जबलपुर
11	शील कुमारी चिंचलवार	विभागीय	शा.उमावि.मानकादेही खुर्द छिदवाडा
12	सुनीता यादव	विभागीय	शा.हाई स्कूल मनकेडी जबलपुर
13	दीपक कुमार अग्निहोत्री	विभागीय	शा.उमावि.आडेगाव नरसिंहपुर
14	डॉ. सारिका खरे	विभागीय	सांदीपनी श'शा.क.उमावि.कटगी जबलपुर
15	नीलेश मेहरा	विभागीय	शा.उमावि.शोभापुर नर्मदापुरम
16	ललिता राठौर	विभागीय	शा.माडल उमावि.बरबसपुर पाली
17	अमित कुमार विश्वकर्मा	विभागीय	शा.उमावि.कैमोरी पाटनजबलपुर
18	स्वर्णिमा लखेरा	विभागीय	शा.हाई स्कूल उमरिया पठरा पनागर जबलपुर
19	प्रतिमा पाठक	विभागीय	शा.मा.शा.हरीदंदेल देवसर सिंगरौली
20	ममता पटेल	विभागीय	शा.एकीकृत हाई स्कूल बैरागी जबलपुर
21	तुलसी राम सोनी	विभागीय	शा.मा.शा.उमरियापान कटनी
22	रवि मोहन अग्रवाल	विभागीय	शा.सांदीपनि उमावि.आधारताल जबलपुर
23	छाया राकेशिया	विभागीय	शा.उमावि.मनकादेही खुर्द छिदवाडा
24	ज्योति सोनी	विभागीय	शा.क.उमावि.बिलायत कला कटनी
25	रीना चौधरी	विभागीय	शा.माडल उमावि.सरदारपुर धार



संचालक

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

कार्यालय राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक
शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

प्रैक्टिस टीचिंग स्कूल

1. पं. लज्जा शंकर झा शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. जबलपुर।
2. शासकीय कन्या माध्यमिक शाला घमापुर जबलपुर।
3. शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बेलबाग जबलपुर।
4. शासकीय कन्या माध्यमिक शाला रेल्वे सराय,जबलपुर।
5. शासकीय माध्यमिक शाला भरतीपुर जबलपुर।
6. शासकीय माध्यमिक शाला नवीन बुनियादी जबलपुर।
7. शासकीय कन्या माध्यमिक शाला गोरखपुर जबलपुर।
8. सी.एम.राइज आधारताल जबलपुर।
9. बरिष्ठ बुनियादी पनागर जबलपुर।
10. शासकीय माध्यमिक शाला तमरहाई मिलौनीगंज जबलपुर।
11. शासकीय माध्यमिक शाला सुजीपुरा जबलपुर।
12. शासकीय माध्यमिक शाला तमरहाई दमोह नाका जबलपुर।
13. शासकीय माध्यमिक शाला नई बस्ती गोहलपुर जबलपुर।


राचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर
संचालक

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक. / एफ-५५-१/ 2019 / 20-2 / 553

भोपाल, दिनांक 20/06/19

आदेश

राज्य शासन द्वारा पूर्व में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क संबंधित सभी आदेश/निर्देशों को निरस्त करते हुए राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित बी.एड. (नियमित) पाठ्यक्रम हेतु शासकीय /स्थानीय निकायों के प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निगनानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

स.क्र.	भद	शुल्क रूपये(प्रति वर्ष)
1	खेलकूद / शारीरिक शिक्षा	रु.500.00
2	गूल्यांकन / स्थानीय परीक्षा शुल्क	रु.500.00
3	साहित्य एवं सांस्कृतिक शुल्क	रु.500.00
4	विज्ञान एवं भूगोल प्रयोगशाला शुल्क	रु.1000.00
5	वाचनालय एवं इंटरनेट	रु.1000.00
6	महा.पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	रु.500.00
7	विविध शैक्षिक ग्रंथ एवं नवाचार	रु.1000.00
8	पुस्तकालय कौशल मनी	रु.1000.00
9	शोध अनुसंधान	रु.1000.00
10	महा.संसाधन विकारा शुल्क	रु.2000.00
11	कौशल मनी	रु.1000.00
	कुल योग-	रु.10,000 (दस हजार रु.मात्र)

नोट:- चयन तालिकाओं में उल्लेखित क्रमांक 8 एवं 11 पर ली जाने वाली राशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर अथवा छात्र द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ देने पर छात्र को वापसी योग्य होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में लिये जाने वाले शुल्क पृथक से देय होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 24-8-2021

क्रमांक एफ 44-7/2021/20-2::राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों एवं प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थानों में संचालित बी.एड. एवं बी.एड. (विज्ञान) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित गैर विभागीय प्रशिक्षार्थियों के लिए सत्र 2021-22 से निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाता है-

क्र.	मद	बी.एड. के गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावित शुल्क
1	2	3
01	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा	रु.500.00
02	मूल्यांकन/स्थानीय परीक्षा शुल्क	रु.2000.00
03	साहित्य एवं सांस्कृतिक शुल्क	रु.1500.00
04	विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	रु.1000.00
05	वाचनालय एवं इंटरनेट	रु.3000.00
06	महा. पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	रु.1000.00
07	विविध शैक्षिक भ्रमण एवं नवाचार	रु.2000.00
08	पुस्तकालय कॉशन मनी	रु.1000.00
09	शोध अनुसंधान	रु.2000.00
10	महा. संसाधन विकास शुल्क	रु.5000.00
11	कॉशन मनी	रु.1000.00
	कुल योग	रु.20,000.00

उक्त तालिका में उल्लेखित मद क्रमांक 8 एवं 11 पर दी जाने वाली राशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर छात्र को वापसी दी जायेगी। संबंधित विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रशिक्षार्थियों द्वारा पृथक से देवेंगे।

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 24-8-21

क्रमांक एफ 44-7/2021/20-2::

प्रतिलिपि:-

1. निज़ सहायक, मान.मंत्री जी म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतमनगर, भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. रामरत कलेक्टर, जिला म.प्र.।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
6. प्राचार्य, प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल एवं जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, सगस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला म.प्र.।
9. एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

// लेखीराम //
24082021



क्रमांक - F-44-9/2019/

20-2/5531

मिर्जापुर 20.6.19

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक / एफ- / 2019/20-2/553
आदेश

मिर्जापुर, दिनांक 20/06/19

राज्य शासन द्वारा पूर्व में एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क संबंधित सभी आदेश/निर्देशों को निरस्त करते हुए राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित एम.एड. (नियमित) पाठ्यक्रम हेतु शासकीय /स्थानीय निकायों के प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

स.क्र.	वर्ग	शुल्क रूपरेखा (प्रति वर्ष)
1	खेलकूद / शारीरिक शिक्षा	₹.500.00
2	मूल्यांकन / स्थानीय परीक्षा शुल्क	₹.500.00
3	साहित्य एवं सांस्कृतिक शुल्क	₹.500.00
4	विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	₹.1000.00
5	वाचनालय एवं इंटरनेट	₹.1000.00
6	महा.पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	₹.2000.00
7	विविध शैक्षिक भ्रमण एवं नवाचार	₹.2000.00
8	पुस्तकालय कॉशन गनी	₹.2000.00
9	शोध अनुसंधान	₹.1500.00
10	महा.संसाधन विकास शुल्क	₹.2000.00
11	कॉशन गनी	₹.2000.00
	कुल योग-	₹.15,000 (पंद्रह हजार रुपये)

नोट:- उक्त तालिकाओं में उल्लेखित क्रमांक 8 एवं 11 पर ली जाने वाली शशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर अथवा छात्र द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ देने पर छात्र को वापसी योग्य होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में लिये जाने वाले शुल्क पृथक से देय होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

रूप में
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

21/06/2019

A.D

TE

21

B.Ed

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004
::आदेश::

M.Ed. Fresher Fee Structure

भोपाल, दिनांक 24-8-21

क्र०एफ F-44-7/2021/20-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों एवं प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थानों में संचालित एम.एड. एवं एन.एड. (विज्ञान) द्विबर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित गैर विभागीय प्रशिक्षार्थियों के लिए सत्र 2021-22 से निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाता है-

क्र.	मद	एम.एड. के गैर-विभागीय अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावित शुल्क
1	2	3
01	खेलकूद / शारीरिक शिक्षा	₹.1000.00
02	भूल्याकन / स्थानीय परीक्षा शुल्क	₹.2000.00
03	साहित्य एवं सांस्कृतिक शुल्क	₹.2000.00
04	विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	₹.2000.00
05	वाचनालय एवं इंटरनेट	₹.3000.00
06	महा. पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	₹.2000.00
07	विविध शैक्षिक भ्रमण एवं नवाचार	₹.3000.00
08	पुस्तकालय कॉशन मनी	₹.2000.00
09	शोध अनुसंधान	₹.5000.00
10	महा. संसाधन विकास शुल्क	₹.5000.00
11	कॉशन मनी	₹.3000.00
	कुल योग	₹.30,000.00

उक्त तालिका में उल्लेखित मद क्रमांक 8 एवं 11 पर दी जाने वाली राशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर छात्र को वापसी योग्य होगी। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले शुल्क प्रशिक्षार्थियों द्वारा पृथक से देय होंगे।

(प्रभोद सिंह)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 24-8-21

क्रमांक एफ F-44-7/2021/20-2::
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान मंत्री जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतमनगर, भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, जिले म.प्र.।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
6. प्राचार्य, प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल एवं जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिले म.प्र.।
9. एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


// लेखीराम //
24082021




Sr No	Employee Name Employee Code Designation GPF/DPF/P RAN A/c No - Bank A/c No. (Days Paid)	PAYMENT												A.G. DEDUCTION										TRS. DEDUCTION						Total De duc tion	Net Sa lar y					
		Basic Pay/ D.A / Grade Pay	Tri bal Ar eal Co nst it. / HR A	Sp eci al Pa y/ Me dic al Al low anc e/ NP A/ Cit y C	Co nv. Al l. F or. Ph y. Ch a/ Co nv. Al l.	Fix ed T.A / Su mp tua ry All	Me dic al Rei mb urs em ent	PP on pay	I.R (J udi cia l)	Ho me Or der ly/ Do me sti c Help al low anc e	Me dic al All anc (Ju dic ial)	Sp eci al Pa y f or Ad mi nis tra tive W ork	Co ncu rre nt Ch arg es All ow anc es	NP S Go vt. Co nt. RT D	Gro ss Sal ary	Ve hic le Re cov	Tr a vel Ad v./ H.B .A. Ad v./ H.B .A.	GP F/ DP F/ AIS PF	ve h icl e A dv a nce Re cov ery	GP F A dv. Re cov ./ Co mp ute r A dv. Re cov ./ Sol ar Co v. R eco v. R eco v.	Fes t. A dv. Re cov ./ Ad v. R eco v.	Pa y A dv. Re cov .	Fes tiv al Ad van ce Re cov ery	DP F A dv a nce Re cov ery	Tot al AG De duc tion	HR R	Oth er Re cov er ies	Co urt De duc tion	Rel ief Fu nd			In com e Tax/ Pro fes s. T ax/ FB F	GI S (AI l In dia GI S	NP S E mp loy ee Co ntri bu tion	Tot al Tre asu ry De duc tion	
Total Of Page No.1	110 500 607 75 0	0 0 761 0 150	0 0 0 0 0	671 768 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1,80, 474	0 0 0	0 0 0	0 150 00 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	15,0 00	100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	300	0 0 0 0 0	816	15,8 16	1,64, 658
Grand Total	11050 0 60775 0	0 0 7610 0 150	0 0 0 0 0	671 768 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1,80, 474	0 0 0	0 0 0	0 15000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	15,00 0	100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	300	0 0 0 0 0	816	15,81 6	1,64, 658


 राचालक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर


	AR BARMAN 181016335 Farrash 11007059606 8 62790001000 15454 (31)	00 164 45 0	0 299 0 0	0 0 50 0	384 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	208 0	0 0	5 3	3 3	26 26	
3	LOKESH KUM AR UPADHYA Y 294008646 Assistant Gra de III 11100060698 9 30354452225 (31)	384 00 211 20 0	0 0 384 0 0	0 0 0 0 0	0 384 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	63,7 44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 208 0	0 0	200 595	6,36 2	6,36 0	57,3 84
4	NEETU MISHR A 181017339 Assistant Gra de III 11008302963 8 31710340767 (31)	262 00 144 10 0	0 0 262 0 0	0 0 0 0 0	0 384 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	43,6 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 208 0	0 0	200 406	4,46 1	4,46 9	39,1 45
	Total	123 500 679 25 0	0 0 123 50 0	0 0 0 100 0	0 153 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,05 ,411	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 832 0	0 0	600 191	20,5 43	20,5 75	1,84 ,836	


 राचालक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर


Sr No	Employee Name Employee Code Designation GPF/DPF/P RAN A/c No - Bank A/c No. (Days Paid)	PAYMENT												A.G. DEDUCTION										TRS. DEDUCTION						Total De duc tion	Net Sa lar y	
		Basic Pay/ D.A / Gra de Pay A	Tri bal Ar / Co nst it. / HR A	Sp eci al Pa y/ NP A/ Cit y C om pe nsa tor y A llo wa nce / Oth er Al l ow anc e	Co nv. Al l ow anc e	I. F Ph y. Ch a/ Co nv. Al l ow anc e	Fix ed T.A / Su mp tua ry Al l ow anc e	Med ical Re im b urs em ent	PP on pay	I.R (J udi cia l)	Ho me Or der ly/ Do me sti c H elp Al low anc e	Sp eci al Pa y f or Ad mi nis tra tive W ork	Co ncu rre nt Ch arg es All ow anc es	NP S Go vt. Co nt. RT D	Gro ss Sal ary	Ve hic le Re cov er y	Tr a vel Ad v. / H.B .A. Ad v. / TT Ad v. / H.B .A. DP / AIS G PF	GP F/ DP / AIS G PF	veh icl e A dva nce Re cov ery	GP F A dv. Re cov er y	Fes tiv ity Ad v. Re cov er y	DP F A dva nce Re cov er y	Tot al AG De duc tion	HR R	Oth er Re cov er ies	Co urt De duc tion	Rel ief Fun d	Inc om e T ax/ Pro fes s. T ax/ FB F	GI S (AI In dia) GI S			NP S E mp loy ee Co ntri bu tion
Total Of Page No.1	123 500 679 25 0	0 0 123 50 100 0	0 0 0 0 0	0 153 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,05, 411	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	600	191 43	20,5 75	20,5 75	1,84, 836
Grand Total	12350 0 67925 0	0 0 12350 0	0 0 0 0 0	0 1536	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,05, 411	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	600	19143	20,57 5	20,57 5	1,84, 836	


 राचालक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर

Sr No	Employee Name Employee Code Designation GPF/DPF/P RAN A/c No - Bank A/c No (Days Paid)	PAYMENT												A.G. DEDUCTION										TRS. DEDUCTION						Total De duc tion	Net Sa lar y	
		Basic Pay/ D.A / Gra de Pay	Tri bal Ar / Co nst it. / HR A	Cit y C om pe nsa tor y A llo wa nce / Oth er All / NP	Co nv. Al / Ph y. Co nv. Al	Fix ed T.A / Su mp tu ry All	Med ical Rei m b urs ent	PP on pay	I.R (J udi cia l)	Ho me Or der ly/ Do me sti c H elp anc e	Med ical All (Ju dic ial)	Sp eci al Pa y f or Ad mi nis tra tive W ork	Co ncu rre nt Ch arg es All ow anc es	NP S Go vt. Co nt. D	Gro ss Sal ary	Ve hic le Re cov er y	Tr a vel Ad v. / H.B .A. Ad v. / TT	GP F/ DP / AIS PF	veh icl e A dva r A dv. Re cov ery	GP F A dv. Re cov er y	Fes t.A dv. Re cov er y	Med ical Ad v. R eco v. er y	Pa y A dv. Re cov er y	Fes tiv al Ad van ce Re cov er y	DP FA dva nce Re cov er y	Tot al AG De duc tion	HR R	Oth er Re cov er y	Co urt De duc tion			Rel ief Fu nd
5	ZARINA KHAN 180264235 Senior Lectur er 11100156222 7 02661010000 3475 (31)	685 00 376 75 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1,06 ,175	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	400	106 18	11,2 26	11,2 26	94,9 49
	Total	685 00 376 75 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1,06 ,175	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	400	106 18	11,2 26	11,2 26	94,9 49	


 राचालक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर

Sr No	Employee Name Employee Code Designation GPF/DPF/P RAN A/c No - Bank A/c No. (Days Paid)	PAYMENT												A.G. DEDUCTION										TRS. DEDUCTION						Total De duc tion	Net Sa lar y			
		Basic Pay/ D.A ./ Gra de Pay A	Tri bal Ar ./ Co nst it. ./ HR A	Cit y C om pe nsa tor y A llo wa nce / Oth er All ./ NP	Co nv. Al I. F Ph y. Co nv. Al I.	Fix ed T.A ./ Su mp tu ary All	Med ical Re im bur s ent	PP on pay	I.R (J udi cia l)	Ho me Or der ly/ Do me sti c H elp Al low anc e	Med ical All ow anc e (Ju dic ial)	Sp eci al Pa y f or Ad mi nis tra tive Wo rk	Co ncu rre nt Ch arg es All ow anc es	NP S Go vt. Co nt. RT D	Gro ss Sal ary	Ve hic le Re cov er y	Tr a vel Ad v./ H.B ./A. Ad v./ TT	GP F/ DP F/ AIS PF	veh icl e A dva nce Re cov ery	GP F A dv. Re cov er y	Fes t.A dv. Re cov er y	Med ical Ad v. R eco v. er y	Pa y A dv. Re cov er y	Fes tiv al Ad van ce Re cov ery	DP FA dva nce Re cov ery	Tot al AG De duc tion	HR R	Oth er Re cov er ies	Co urt De duc tion			Rel ief Fun d	Inc om e T ax/ Pro fes s.T ax/ FB F	GI S (AI In dia GI S
Total Of Page No.1	242 500 133 375 0	0 0 242 50 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4,00 ,125	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	120 0	375 89	39,6 21	39,6 21	3,60 504	
Total Of Page No.2	685 00 376 75 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1,06 ,175	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	400	106 18	11,2 26	11,2 26	94,9 49
Grand Total	31100 0 17105 0 0	0 0 24250 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5,06, 300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1600	48207	50,84 7	50,84 7	4,55, 453	


 राचालक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर

F)

अधोसंरचना एवं अधिगम संसाधन

संस्थान में उपलब्ध भौतिक संसाधन

- थियेटर (वातानुकूलित)** – संस्थान में 150 श्रौता दर्शकों की क्षमता वाला थियेटर है। इसमें सिल्वर स्क्रीन एल.सी.डी. प्रोजेक्टर (2D एवं 3D), एल.सी.डी. टी.वी (डीटीएच सेवा सहित), पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इनोवेटिव अटेंडेंस सिस्टम, राइटिंग पैड, विजुअलाइज़र, 3D लेसन आदि सुविधाएं हैं। थियेटर की दीवारों में नाउवन एवं इसके पीछे से एकासिटींग की गई है। बैठने की सीटों को 10 फिट ऊँचा किया गया है क्योंकि पूर्व में बनी सीटियों की ऊँचाई कम थी। थियेटर में स्टेज व सिल्वर स्क्रीन 15'x12' की लगाई है जिसे सुरक्षित करने के लिए शटर लगाया गया है। थियेटर में 8000 ल्यूमिनिसेंस पेनासोनिक Active 3D projector व 4 हजार ल्यूमिनिसेंस Passive 3D Projector व 4 हजार ल्यूमिनिसेंस 2D Projector है। 9 टन AC cooling, Computerised, color stage, LED Focus light, Tenda Wifi, core i7 CPU with 4GB graphic card for 3D Projection हैं। यहां podium आदि पुरानी लकड़ियों का उपयोग करके बनाये गये हैं।
- कम्प्यूटर लैब** – संस्थान में माइक्रो साफ्ट आधारित एडवांस कम्प्यूटर लैब है जिसमें 30 कम्प्यूटर इंटरनेट सुविधा सहित है। वायरलेस, ब्राडबैंड इंटरनेट, वीडियो कॉल, की सुविधा हैं। कम्प्यूटर लैब का प्रयोग छात्राध्यापकों एवं स्टॉफ सदस्यों द्वारा शैक्षणिक संबंधी कार्य में किया जाता है। 'नेत्रहीन छात्राओं' को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया है।
- स्वच्छ पेयजल व्यवस्था** – पेयजल हेतु नगर निगम नल व बोरवेल द्वारा जल आपूर्ति होती है। एकागार्ड द्वारा व वाटर कूलर द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था है।
- शिकायत पेटी** – संस्थान में एक शिकायत पेटिका है जिसमें छात्राध्यापक अपनी समस्याओं को लिखित रूप में डाल देते हैं। जिनका निराकरण समय समय पर किया जाता है।
- प्रसाधन** – छात्र एवं छात्राओं के लिए एवं स्टॉफ व कर्मचारियों के लिए प्रथक प्रथक प्रसाधन कक्षों की व्यवस्था है।
- ऑफिस** – संस्थान में ऑफिस में केबिन बनाय गए हैं जिसमें centralized air cooling system है। फाल्स सीलिंग है साथ ही स्टोर रूम जुड़ा है। यहां संस्थान के पूरे इंटरनेट का केन्द्र है।
- रिसर्च लैब** – इसमें wall screen है 2D projector व एक केबिन है। जिसमें कम्प्यूटर प्रिंटिंग का पूरा सिस्टम लगा है। रिसर्च रिकार्ड Journals यहाँ अलमारियों में रखे हैं।
- पुस्तकालय** – संस्थान में एक पुस्तकालय एवं वाचनालय है जिसमें निम्न निम्न संसाधन उपलब्ध है।
 - पुस्तकों की संख्या – वॉल्यूम (9875)
- बहुउद्देशीय हॉल** – यह यूजीसी हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मैथ्स ओलम्पियाड, विज्ञान मेला, सेमिनार आदि से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
- प्रयोगशालाएं** – संस्थान में भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान, मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं।
- वायफाय कैंपस** – संस्थान कैंपस में वायफाई की सुविधा उपलब्ध है।
- डिस्प्ले गैलरी** – विज्ञान साहित्य संगीत आदि गतिविधियों से संबंधित सामग्री अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- डस्टबिन** – परिसर की स्वच्छता के लिए विभिन्न आकार प्रकार के डस्टबिन उपलब्ध हैं।
- पार्किंग व्यवस्था** – संस्थान में दोनो गेट के बाहर पार्किंग की व्यवस्था है।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

तकनीकी संसाधन – संस्थान तकनीकी रूप से सक्षम है। यहां सेंट्रल एनाउन्समेंट सिस्टम, इनोवेटिव ईपीबीएक्स सिस्टम, एफएक्यू सिस्टम, फीडबैक सिस्टम आदि, राइजो मसीन, ओएमआर मसीन, उपलब्ध हैं।

संस्थान में उपलब्ध भौतिक संसाधन तकनीकी संसाधनों का अधिगम प्रक्रिया में संसाधनों के रूप में उपयोग अच्छी तरीके से किया जाता है।

- संस्थान में म.प्र. राज्य शासन, राज्य शिक्षा केन्द्र व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त वित्तीय सहायता से अधोसंरचना में आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य किए जाते हैं। संस्थान में IQAC कमेटी द्वारा इन कार्यों को कराया जाता है। जैसे पिछले कुछ समय में संस्थान के बरामदे में विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं।
- संस्थान में थिएटर, स्टूडियो, उद्यान, कम्प्यूटर लैब, डिस्प्ले गैलरी, स्मार्ट क्लासेस, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, इंडोर गेम सुविधा, रिक्रिएशन कक्ष है।
- थिएटर, स्टूडियो व कम्प्यूटर लैब जैसे तकनीकी संसाधनों का अन्य संस्थाओं, DIET, BRC, IASE द्वारा आयोजित प्रोग्राम, नेत्रहीन बालिकाओं का प्रशिक्षण, एम.पी.सी.एस.टी. के कार्यक्रम – राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कार्यशाला, सेमिनार आदि में उपयोग किया जाता है।
- संस्थान में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के रूप में प्रसाधन कक्ष, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था व कैंटीन है।

MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURE

- संस्थान में एक संस्थान विकास समिति है जिसके द्वारा 'संरचनात्मक कार्यों' के लिए अनुमति प्राप्त संसोधनात्मक निर्माण कार्य किए जाते हैं।
- संस्थान में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग DIET व IASE द्वारा (आवश्यकता पड़ने पर), एवं संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे – राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सेमिनार, कार्यशाला, रिसर्च आदि में उपयोग किया जाता है।
- संस्थान पर्यावरणीय मामलों में अत्यंत संवेदनशील है अतः छात्राध्यापकों द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया जाता है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, कचरा प्रबंधन के लिए कुड़ादान (Dustbin) रखे गए हैं, नियमित रूप से कीटनाशक का छिड़काव परिसर में किया जाता है।

LIBRARY & LEARNING RESOURCE

- संस्थान के केंद्र में स्थित एक बड़ा पुस्तकालय एवं वाचनालय है। जिसमें निम्न संसाधन उपलब्ध हैं,
1. पुस्तकों की संख्या – वॉल्यूम (9875)
- संस्थान में नियमानुसार, आवश्यकतानुसार समय समय पर संसाधनों का विकास किया जाता है।
- संस्थान की लाइब्रेरी में कम्प्यूटर, इंटरनेट, राइजो मशीन और फोटोकॉपी मशीन है।
- संस्थान में पुस्तकालय शनिवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है।
- संस्थान में स्टॉफ के सदस्य एवं छात्रों को लाइब्रेरी की नई पुस्तकों की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड से प्राप्त होती है।
- संस्थान के पुस्तकालय में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा नहीं है।


राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर


ICT AS LEARNING RESOURCE

- संस्थान में कम्प्यूटर लैब का उपयोग बी.एड., एम.एड के छात्राध्यापक व स्टॉफ अपने presentation, dissertation, field work के लिए करते हैं।


OTHER FACILITIES

- संस्थान में भौतिक संसाधनों का उपयोग विज्ञान शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मोटिवेशनल कैम्प, ख्याति प्राप्त 'बुद्धिजीवियों' आदि के उद्बोधन के लिए किया जाता है।
- संस्थान में प्रयोगशालाएं (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान) नवीन पाठ्यक्रम में प्रयुक्त नहीं हो रही है किंतु सैधांतिक विषयों के शिक्षण में उपलब्ध उपकरणों आदि का उपयोग किया जाता है। कम्प्यूटर लैब अपडेटेड है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है।
- संस्थान में Multi-purpose hall का Maths Olympiad, training program के लिए एवं Workshop पुनार्वलोकन आदि के लिए किया जाता है।
- संस्थान में स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध हैं।
- Visualizer with Recording capacity
- Writing tabs with Recording capacity
- Smart Classes & Interactive Boards


राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर




राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान - जबलपुर


 राचलक
 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान
 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
 जबलपुर


G- FACILITIES ADDED DURING THE LAST QUARTER

-----Nil-----


राचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यक्षक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

H) Number of books in the Library, Journals Subscribed to and additions, if any, in the last quarter

1. पुस्तकों की संख्या — 9875
2. विगत तीन महीनों में बुक या जर्नल्स की खरीदी की गई है। — NIL


राचालक
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

DN 025713

The Notary Public Jabalpur

AFFIDAVIT

Smt. Laxmi Singh W/o Anant Singh, R/o 843, Baldevbagh, Rathi Colony, Mahatma Gandhi Ward, Jabalpur (M.P.) 482001 and Chairperson/ Manager/Secretary/Correspondent of Director, SISE & CTE Jabalpur certify that I have been authorised by the Management of the above mentioned institution to give this Affidavit on behalf of the institution, which at present offers B.Ed. (Sc.) & M.Ed (Sc) course of 2 years duration (File Code No. MIS Code OAPW0977 File No. 213012) with an annual intake of 100 in B.Ed. (Sc) 50 in M.Ed. (Sc) it is further certified that the Management has studied the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations 2014 carefully and has understood their implication for the existing Teacher Education Institutions offering NCTE recognized teacher education programme(s)..

Further, I have been authorized by the management to state that the institution shall fulfill the revised Norms relating to infrastructure, instructional facilities, enhanced amount of endowment, and Reserve Funds, Number and qualification of Teaching Staff, Curriculum and implementation strategies, in view of the change in duration/intake of the programme(s) offered in the institution within the time limit allowed by NCTE.

Place Jabalpur
Date 13.05.2026

13 MAY 2026

Signature *[Signature]*
Director
State Institute of Science Education
Jabalpur

ATTESTED

NOTARY SURENDRA K. KHARE
JABALPUR (M.P.)

13 MAY 2026



Director
State Institute of Science Education

1944
18/5/2026

लक्ष्मी सिंह -w10 अवंत सिंह
863, महात्मा गांधी वरिष्ठ

श्री

विद्यापीठ
महाराष्ट्र
4 MAY 2026
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र

SV / 00000002 / 2023
साजिद खान
महाराष्ट्र
विज

EXPLANATORY NOTE

1. The NCTE Regulations 2014 contemplate enhanced duration of B.Ed., M.Ed programmes from one to two years. The existing institutions offering these programmes will be given revised Recognition order if they choose to come under New Regulations. No fresh application is necessary and they will be revised order of recognition wef 2015-2016 provided they furnish the affidavit in the prescribed format. A copy of the revised order shall be endorsed to the affiliating university for their information and record.
The existing teacher education institutions wherever necessary as per the revised Norms and standards, shall provide additional built up area create additional infrastructure appoint additional staff and furnish additional Reserve Fund per unit per programme by October 31, 2015. However if the institution is not willing to fulfill and norms prescribed in the New Regulations as mentioned above its Recognition will automatically become invalid as the old Regulations have already been superseded.
2. The unit size of B.Ed and M.Ed has been increased from 35 to 50 all the existing institutions offering these programmes shall increase their unit size to 50 from the academic year 2015-2016 onwards provided they furnish the undertaking in the prescribed format and appoint additional staff by October 31, 2015. The revised recognition order for the enhanced unit size will be issued separately on receipt of the undertaking. A copy of the revised order shall be endorsed to the affiliating university for their information and record.
3. In the new Regulations the size of one basic unit for B.Ed has been reduced to 50 from 100. The institutions are eligible to have two basic units of 50 each initially. In order to have two basic units of 50 each they need to construct additional built up area appoint additional staff, furnish additional Endowment and Reserve Fund. The institution shall opt for one or two basic units in the undertaking enclosed with the conversing letter. Based on the undertaking revised recognition order will be issued accordingly. In case the institution opts for two basic units of 50 each they will be permitted to admit students for two basic units from 2015-2016 onwards but they shall construct additional built up area, create additional infrastructure and pay additional Endowment and Reserve Fund by October 31, 2015 if they fail to adhere to this condition the recognition for additional unit will be withdrawn from 2016-17 onwards.

In case the institution does not opt for two units and choose to have only one basic unit they shall admit only 50 students from the academic year 2015-2016 onwards.



13 MAY 2026

Director
State Institute of Science Education
Jabalpur

NO
SUF
MAY

4. All the existing vacant positions and vacancies occurring in future shall be filed up by the institution with candidates having qualifications as per the New Regulations.
5. The New Regulations on template existence of Teacher Education Institutions in composite settings only. The Regulations have defined composite Institutions as institutions offering undergraduate programmes in sciences/ social sciences/humanities and institutions offering more than one teacher education programme. If an institution offering two/three teacher education programme, it need not take any further action in the matter. However institution shall have to seek recognition for one more programme if currently it is offering only one programme. The time limit for the addition of more programmes shall be intimated in due course.
6. If an existing recognised institution has not maintained the Endowment Fund and Reserve fund in the manner prescribed for all the courses it is running it shall be required to do so at the new rates in respect of the programme fore which it has not maintained the two funds. In respect of the existing programme if Endowment Fund and reserve Fund has already been maintained the institutions shall not be required to deposit the balance with the Bank in the form of a FDR. For instance if an institution is running two programmes and it has FDRs for Rs. 8.00 Lakhs it shall be require to obtain RDRs for Rs. 12.00 Lakhs for the second programme.
7. The institution shall clearly mention the enhanced duration of the programme () and change in the intake of students if any in their prospectus and students application from for admission.
8. It required the institution shall write to the affiliating university for issuance of revised affiliation order in view of the enhanced duration/intake of the programme.



ATTESTED
NOTARY SURENDRA K. KHARE
JABALPUR (M.P.)

13 MAY 2026


Director
State Institute of Science Education
Jabalpur



सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
Statistics Division
New Delhi

Provisional Certificate



Reference No. C-33474-2024

This is to certify that MANOHAR LAL SHARMA of State Institute of Science Education, Jabalpur (C-33474) has successfully submitted the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) for the survey year 2024-2025.

(Ms. Navanita Gogoi)

Deputy Director General

Dated: 17/09/2025

J) The institution shall be free to post additional information. If it so desires.



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Quality Profile

Name of the Institution : State Institute of Science Education and College of Teacher Education
Place : Civil Lines, Jabalpur, Madhya Pradesh

Criteria	Weightage (W _i)	Criterion-Wise Grade Point Averages (C _r , GPA)	W _i X C _r , GPA
I. Curricular Aspects	050	2.70	135
II. Teaching-Learning and Evaluation	450	3.60	1620
III. Research, Consultancy and Extension	100	2.45	245
IV. Infrastructure and Learning Resources	100	2.65	265
V. Student Support and Progression	100	3.00	300
VI. Governance and Leadership	150	2.77	416
VII. Innovative Practices	050	2.70	135
Total	$\sum_{i=1}^7 W_i = 1000$		$\sum_{i=1}^7 W_i \times C_r, GPA = 3116$

Institutional CGPA = $\frac{\sum_{i=1}^7 W_i \times C_r, GPA}{\sum_{i=1}^7 W_i} = \frac{3116}{1000} = \boxed{3.12}$

Grade =

Date : November 05, 2016



D. Singh
Director

- This certification is valid for a period of Five years with effect from November 05, 2016
- An institutional CGPA on seven point scale in the range of 3.76 - 4.00 denotes A⁺ grade, 3.51 - 3.75 denotes A⁺ grade, 3.01 - 3.50 denotes A grade, 2.76 - 3.00 denotes B⁺ grade, 2.51 - 2.75 denotes B⁺ grade, 2.01 - 2.50 denotes B grade, 1.51 - 2.00 denotes C grade
- Scores rounded off to the nearest integer

ECSC/18/A&A/1281



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

*The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
State Institute of Science Education and
College of Teacher Education
Civil Lines, Jabalpur, affiliated to Rani Durgavati Vishwavidyalaya,
Madhya Pradesh as
Accredited
with CGPA of 3.12 on seven point scale
at A grade
valid up to November 04, 2021*

Date : November 05, 2016



*D. Singh
Director*



BCBQ/18/A&A/1281